



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन सं. 2

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन सं. 2**

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं
1.	प्राक्कथन		ix
2.	कार्यकारी सारांश		xi
अध्याय-1: विहंगावलोकन			
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा	1.1	1
4.	रा.रा.क्षे. दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	4
6.	सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	5
7.	वित्त का आशुचित्र	1.3.1	8
8.	सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र	1.3.2	10
9.	अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां	1.4	10
अध्याय-2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त			
10.	वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव	2.1	13
11.	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	2.2	14
12.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधन	2.3	15
13.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियां	2.3.1	15
14.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	16
15.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि	2.3.2.1	16
16.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	19
17.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.2.3	26
18.	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	2.3.2.4	27
19.	एकल नोडल एजेंसी	2.3.2.5	33
20.	पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	34
21.	संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	35
22.	व्यय की वृद्धि और संरचना	2.4.1	35
23.	राजस्व व्यय	2.4.2	39
24.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.4.2.1	40
25.	प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	41

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं
26.	सब्सिडी	2.4.2.3	45
27.	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.4	47
28.	पूँजीगत व्यय	2.4.3	49
29.	पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	50
30.	निवेश और रिटर्न	2.4.3.2	51
31.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई), रा.रा.क्षे.दि.स. की इक्विटी और बकाया ऋण का वित्त लेखाओं के आंकड़ों के साथ मिलान	2.4.3.3	52
32.	सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	2.4.4	53
33.	सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन	2.5	54
34.	सरकारी खातों से बाहर की धनराशि	2.5.1	54
35.	ऋण प्रोफाइल: संघटक	2.5.2	56
36.	ऋण प्रोफाइल की परिपक्वता और पुनर्भुगतान	2.5.3	57
37.	ऋण धारणीयता	2.6	58
38.	निष्कर्ष	2.7	62
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
39.	बजटीय प्रक्रिया	3.1	63
40.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण	3.1.1	64
41.	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	65
42.	विनियोजन लेखे	3.2	66
43.	बजट लक्ष्य-प्राप्ति	3.2.1	67
44.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता	3.3	68
45.	अनावश्यक या अधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.1	68
46.	अनावश्यक या अधिक पुर्नविनियोजन	3.3.2	69
47.	अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण	3.3.3	69
48.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियां	3.4	70
49.	एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.4.1	70

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
50.	बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां	3.5	71
51.	बजट प्रक्षेपण एवं अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच अंतर	3.5.1	71
52.	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणा एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.5.2	74
53.	व्यय की अधिकता	3.5.3	74
54.	केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत अनुदान के उपयोग में कमी	3.5.4	77
55.	चयनित अनुदान की समीक्षा ("अनुदान संख्या 06-शिक्षा")	3.6	77
56.	सिफारिशें	3.7	82
अध्याय-4: लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रवृत्ति			
57.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियां	4.1	83
58.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब	4.2	83
59.	समाज कल्याण निदेशालय	4.2.1	86
60.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस)	4.2.2	87
61.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीडीडीसी)	4.2.3	88
62.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)	4.2.4	89
63.	दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)	4.2.5	90
64.	संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.3	90
65.	कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (डीएसीएल)	4.3.1	94
66.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	4.3.2	96
67.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)	4.3.3	97
68.	व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी)	4.3.4	98
69.	परिवहन विभाग	4.3.5	99
70.	व्यक्तिगत जमा खाते	4.4	101
71.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-4) साउथ कोर्ट, साकेत	4.4.1	103
72.	भूमि एवं भवन विभाग	4.4.2	103
73.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.5	104
74.	स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.6	108

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं
75.	वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां	4.7	109
76.	दिल्ली राज्य वित्त आयोग	4.8	113
अध्याय-5: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम			
77.	सरकारी कंपनियों की परिभाषा	5.1	115
78.	लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	115
79.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम तथा राज्य की स.रा.घ.उ. में उनका योगदान	5.3	116
80.	एसपीएसई में निवेश तथा बजटीय सहायता	5.4	117
81.	एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग तथा ऋण	5.4.1	117
82.	एसपीएसई में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण	5.4.2	118
83.	विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	5.4.3	118
84.	एसपीएसई से रिटर्न	5.5	118
85.	एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	118
86.	एसपीएसई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश	5.5.2	119
87.	ऋण सर्विसिंग	5.6	120
88.	ब्याज कवरेज अनुपात	5.6.1	120
89.	एसपीएसई का वित्तीय निष्पादन	5.7	121
90.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	5.7.1	121
91.	एसपीएसई द्वारा इक्विटी पर रिटर्न	5.7.2	122
92.	निवेश पर रिटर्न	5.7.3	123
93.	सरकारी निवेशों पर वास्तविक रिटर्न की दर (आरओआरआर)	5.7.4	123
94.	हानि में चल रहे एसपीएसई	5.8	126
95.	उठाई गई हानि	5.8.1	126
96.	एसपीएसई में पूंजी का अपक्षरण	5.8.2	126
97.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.9	127
98.	सीएजी द्वारा सरकारी कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	128
99.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.11	128
100.	वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता	5.11.1	128

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं
101.	सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता	5.11.2	129
102.	वैधानिक निगमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता	5.11.3	129
103.	सीएजी निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा	5.12	130
104.	वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा	5.12.1	130
105.	वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.12.2	130
106.	सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	131
107.	सीएजी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	131
108.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.13.1	131
109.	वैधानिक निगम जहां सीएजी एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है	5.13.2	132
110.	निष्कर्ष	5.14	132
111.	सिफारिशें	5.15	132
112.	परिशिष्टों की सूची		<i>vi</i>
113.	पारिभाषिक शब्दावली		177

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या-रूपरेखा	135
परिशिष्ट 1.2	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े	136
परिशिष्ट 3.1	उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुआ	138
परिशिष्ट 3.2	निधियों का अधिक्त्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहां अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी	139
परिशिष्ट 3.3	वर्ष 2022-23 के दौरान बड़ी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत) वाले अनुदान का विवरण	142
परिशिष्ट 3.4	मार्च 2023 के अंत में व्यपगत बचत (₹ 10 करोड़ से अधिक) का विवरण	143
परिशिष्ट 3.5	वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए एकमुश्त प्रावधानों का विवरण	146
परिशिष्ट 3.6	योजनाएं जिनके लिए संशोधित परिव्यय (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था	147
परिशिष्ट 3.7	योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया, लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिया गया था	152
परिशिष्ट 3.8	केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय पर अनुदान	157
परिशिष्ट 3.9	केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	158
परिशिष्ट 3.10	2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या-6-शिक्षा में निधियों का अतिरिक्त/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहां अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी	159
परिशिष्ट 3.11	अनुदान संख्या: 06-शिक्षा के तहत संशोधित अप्रयुक्त परिव्यय (₹ एक करोड़ या अधिक)	162
परिशिष्ट 3.12	अनुदान सं. 06-शिक्षा के अंतर्गत व्यय की अधिकता	165
परिशिष्ट 5.1	एसपीएसई की सूची	167
परिशिष्ट 5.2	31 मार्च 2023 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	168

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 5.3	नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसके लिए खाते प्राप्त हुए हैं	170
परिशिष्ट 5.4	सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव	172
परिशिष्ट 5.5	सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव	174
परिशिष्ट 5.6	वैधानिक निगमों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव	176

प्राक्कथन

प्राक्कथन

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. अध्याय-1 प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के बृहत् वित्तीय विश्लेषण तथा घाटे/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
3. इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 और 3 में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के क्रमशः वित्त लेखाओं और विनियोजन लेखाओं की जांच से उद्भूत मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां समाविष्ट हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. से जहाँ भी आवश्यक है सूचना प्राप्त की जा चुकी है।
4. अध्याय 4 चालू वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, निर्देशों के अनुपालन पर टिप्पणी करता है।
5. अध्याय 5 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों और वैधानिक निगमों के वित्तीय निष्पादन तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एसपीएसई) के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी प्रमुख टिप्पणियों के प्रभाव पर चर्चा करता है।
6. वह प्रतिवेदन जिसमें विभिन्न विभागों के लेनदेन की निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष और वैधानिक निगमों, बोर्डों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं और वह प्रतिवेदन जिसमें राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अभ्युक्तियां सम्मिलित हैं, पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त के संबंध में है। यह वित्त, बजट प्रबंधन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य विषयों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय-सूची को उजागर करता है और प्रमुख आंकड़ों एवं पहलुओं को आशुचित्र के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट लक्ष्य के प्रति निष्पादन, राजस्व और व्यय अनुमान, विचलनों के कारण और उनके प्रभाव के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (वर्तमान मूल्य पर) 9.29 प्रतिशत औसत वृद्धि दर के साथ 2018-19 के ₹ 7,38,389 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 10,43,759 करोड़ हो गया। राज्य का बजट परिव्यय 10.08 प्रतिशत औसत वृद्धि दर के साथ 2018-19 के ₹ 58,177.14 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 79,128.28 करोड़ हो गया।

वर्ष 2021-22 की तुलना में स.रा.घ.उ. में 15.38 प्रतिशत की वृद्धि थी। राजस्व प्राप्तियों में 27.15 प्रतिशत वृद्धि हुई और स.रा.घ.उ. की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2021-22 के 5.45 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 6.01 प्रतिशत हो गई। स्वयं राज्य का कर राजस्व 18.35 प्रतिशत बढ़ा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण व अग्रिम) 2021-22 के ₹ 56,957 करोड़ से 4.28 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 59,395 करोड़ हो गया। इसमें राजस्व व्यय में 2021-22 की तुलना में 4.78 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी। राजस्व अधिशेष ₹ 3,270 करोड़ से बढ़कर ₹ 14,457 करोड़ हो गया, जिसमें 2021-22 की तुलना में 342.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 2021-22 के

₹ 7,021 करोड़ के राजकोषीय घाटे के प्रति 2022-23 में ₹ 4,566 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष था जिससे 165.03 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई।

प्राप्ति-व्यय बेमेल

प्राप्ति और व्यय के बीच निरंतर बेमेल बढ़ते हुए राजकोषीय तनाव की ओर इंगित करता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसा कि राज्य का अपना कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखा व्यय (परिसंपत्ति सृजन, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) सम्मिलित हैं।

2018-19 से 2022-23 तक राजस्व प्राप्तियां 11 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ बढ़कर ₹ 43,113 करोड़ से ₹ 62,703 करोड़ हो गईं। पूंजीगत प्राप्तियां इस अवधि के दौरान ₹ 4,524 करोड़ से घटकर ₹ 4,509 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2018-19 में 13.56 प्रतिशत से 2022-23 में 23.54 प्रतिशत तक बढ़ा, जो भारत सरकार की सहायता पर अधिक निर्भरता को इंगित करता है। इस वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में राज्य सरकार को ₹ 981.79 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों को पूरा करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य की अवसंरचना एवं सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होता है। 2018-19 और 2022-23 के बीच राजस्व व्यय में ₹ 36,852 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.99 प्रतिशत) से ₹ 48,246 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.62 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान इसने लगातार 7.48 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि करते हुए व्यय के 81 प्रतिशत (2022-23) से 87 प्रतिशत (2018-19) तक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष/घाटा होता है। राज्य का राजस्व अधिशेष वर्ष 2018-19 के ₹ 6,261 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.85 प्रतिशत) से चालू वर्ष में ₹ 14,457 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.39 प्रतिशत) तक बढ़ा। राजस्व अधिशेष को इस तथ्य को

ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि अन्य राज्यों के विपरीत 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. कर्मचारियों की ₹ 1,867 करोड़ की पेंशन देयता भारत सरकार द्वारा वहन किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस के ₹ 11,240 करोड़ का व्यय भी भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा वहन किया गया था।

राज्य सरकार ने पूंजीगत खाते पर ₹ 8,065 करोड़ खर्च किए। यह वर्ष 2022-23 के कुल व्यय का 13.58 प्रतिशत था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच के अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय अधिशेष/घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय अधिशेष 2018-19 के ₹ 2,237 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.30 प्रतिशत) से बढ़कर 2022-23 में ₹ 4,566 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 0.44 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार पड़ता है और उसमें ब्याज का भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर होने वाला व्यय शामिल है। 2018-19 से 2022-23 के दौरान ब्याज के भुगतान, वेतन और पेंशन पर किया गया प्रतिबद्ध व्यय, राजस्व व्यय का लगभग 36 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय में 7.90 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई अर्थात् 2018-19 के ₹ 13,195.08 करोड़ से 2022-23 में ₹ 17,484.05 करोड़ तक {2021-22 की तुलना में 8.22 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 16,155.86 करोड़)}।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, 2018-19 से 2022-23 के दौरान अपरिवर्तनीय व्यय, राजस्व व्यय के 31.22 प्रतिशत से 30.4 प्रतिशत तक घटा, जो गिरावट की प्रवृत्ति की ओर इंगित करता है। अपरिवर्तनीय व्यय 21.65 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 2021-22 में ₹ 12,056.84 करोड़ से 2022-23 में ₹ 14,667.45 करोड़ तक बढ़ा। 2018-19 (₹ 11,505.71 करोड़) से 2022-23 (₹ 14,667.45 करोड़) के दौरान अपरिवर्तनीय व्यय की औसत वृद्धि 5.50 प्रतिशत थी।

कुल मिलाकर, 2022-23 में प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय ₹ 32,151.50 करोड़ रहा; जो राजस्व व्यय का 67 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों और पूंजी निर्माण के लिए कम लचीलापन रह जाता है।

सब्सिडी गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा है

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी की बढ़ती प्रवृत्ति है जो 2018-19 के दौरान ₹ 2,533 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 4,633 करोड़ हो गई अर्थात् 2018-19 के कुल राजस्व व्यय के 6.87 प्रतिशत से 2022-23 में 9.60 प्रतिशत हो गई। पावर सब्सिडी इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी का 66.95 प्रतिशत (2019-20) से लेकर 70.39 प्रतिशत (2020-21) तक थी।

राजकोषीय स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजट-इतर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे व्यापक राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के बेमेल का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि तथा अन्य अपरिवर्तनीय व्यय जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, रिज़र्व निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों को अंतरण आदि सम्मिलित हैं।

राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार 2018-19 से 2022-23 के बीच रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के बकाया सार्वजनिक ऋण में प्रतिवर्ष 4.01 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का सार्वजनिक ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 2018-19 के 4.44 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.86 प्रतिशत हुआ है जो इंगित करता है कि ऋण स्थिरीकरण निकट भविष्य में संभव हो सकता है।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, यद्यपि डोमर गैप (जी-आर के रूप में अभिव्यक्त) धनात्मक था और पिछले वर्षों से उसके मूल्य में भी वृद्धि हुई, 2022-23 तक अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव प्रदर्शित करते हुए प्रारंभिक बकाया स्थिर न था। अतः वर्ष 2021-22 और 2022-23 में केवल डोमर गैप को देखकर मजबूत आर्थिक विकास (जी-आर > 0 के रूप में अभिव्यक्त) के रुझान को निर्णायक रूप से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। हालांकि, स.रा.घ.उ. (जी) की वास्तविक वृद्धि दर और कोविड-19 के बाद के वर्ष (अर्थात् 2021-22

और 2022-23) के दौरान डोमर गैप (जी-आर) को 2020-21 के दौरान ऋणात्मक स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप बाद के वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. की विकास दर की गणना के लिए आधार कम होगा। सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का संपूर्ण अंश वर्ष 2018-19 और 2022-23 में उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया था, जबकि 2019-20 से 2021-22 के दौरान, पुनर्भुगतान 34 प्रतिशत से 84 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास (2021-2023 से जी-आर>0 के रूप में अभिव्यक्त) पर निर्भर रहना राज्य के ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

बजट निष्पादन

कुल व्यय आउटटर्न

बजटीय लक्ष्य और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट निष्पादन की जांच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय आउटटर्न किस सीमा तक आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में मूल रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है। राजस्व भाग में, मूल अनुमोदित बजट (बीई) की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-)9.41 प्रतिशत था। यह नौ अनुदानों में +25 प्रतिशत तक, तीन अनुदानों में +25 प्रतिशत और +50 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में +50 प्रतिशत और +100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी भाग में मूल अनुमोदित बजट की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 26.07 प्रतिशत था। यह दो अनुदानों में +25 प्रतिशत तक, पांच अनुदानों में +25 प्रतिशत और +50 प्रतिशत के बीच; और चार अनुदानों में +50 प्रतिशत और +100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी भाग के चार अनुदानों के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना आउटटर्न

बजट निष्पादन इस बात पर भी विचार करता है कि कार्यान्वयन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनरावंटन ने किस सीमा तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है। यह आकलन संस्वीकृत बजट और वास्तविक व्यय के बीच भिन्नता की सीमा को इंगित करता है। राजस्व भाग में, संस्वीकृत बजट (एसबी)

की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 12.71 प्रतिशत था। यह नौ अनुदानों में + 25 प्रतिशत तक, तीन अनुदानों में + 25 प्रतिशत और + 50 प्रतिशत के बीच और एक अनुदान में + 50 प्रतिशत और + 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। पूंजी भाग में, संस्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 30.08 प्रतिशत था। यह दो अनुदानों में + 25 प्रतिशत तक, तीन अनुदानों में + 25 प्रतिशत और +50 प्रतिशत के बीच और छह अनुदानों में + 50 प्रतिशत और + 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

यह देखा गया कि आठ मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 1,999.30 करोड़ का प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन इंगित करता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और संस्वीकृत बजट के बीच विचलन लगभग 17.84 प्रतिशत था, तथापि विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे अधिक विचलन था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि अनेक मामलों में ऐसे अनुपूरक अनुदान भी थे जहां व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट पद्धति की आवश्यकता है।

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में वे मर्दे, लेनदेन और घटनाएं सम्मिलित हैं जो अनुपालन में अंतराल नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित हैं, जो वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों को भी उजागर करता है जैसे सरकारी खातों के बाहर धन की पार्किंग, देयताओं का गैर या अल्प उन्मोचन, लेनदेन और डेटा अंतराल का गलत वर्गीकरण।

व्यक्तिगत जमा खातों का प्रचालन

31 मार्च 2023 तक 11 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 28.80 करोड़ का अंत शेष था।

एकल नोडल एजेंसी को धनराशि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और धन उपलब्ध कराने हेतु एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की प्रणाली शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर एकल नोडल एजेंसी के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान एकल नोडल एजेंसियों को ₹ 2673.03 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा ₹ 1,335.36 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 1337.67 करोड़) हस्तांतरित किए गए। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एकल नोडल एजेंसियों के बैंक खातों में ₹ 902.89 करोड़¹ बिना खर्च किए पड़े थे।

सशर्त अनुदान के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र

एक निर्धारित समयावधि के अंदर सशर्त अनुदान के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2023 तक ₹ 9,314.85 करोड़ के 1,339 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे।

ए.सी. बिल के प्रति डी.सी. बिल

इसी प्रकार, संक्षिप्त आकस्मिक व्यय (ए.सी.) बिल के माध्यम से निकाली गई अग्रिम धनराशि के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक व्यय (डी.सी.) बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद 31 मार्च 2023 तक ₹ 574.89 करोड़ के 4,818 ए.सी. बिल डी.सी. बिल प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे, जिनमें ₹ 283.63 करोड़ के 4,068 ए.सी. बिल 2021-22 तक की अवधि से संबंधित थे।

प्रचलित नियमों और कोडीय प्रावधानों का अनुपालन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। गैर-अनुपालन और विचलन लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। सशर्त अनुदान के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर प्रस्तुत न करने, ए.सी. बिल के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत न करने, आईजीएस-3 का अनुपालन न करने से खातों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

¹ पीएफएमएस पोर्टल पर 31 मार्च 2023 तक अव्ययित शेष राशि ₹ 822.93 करोड़ थी (29 फरवरी 2024)।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2023 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन दिल्ली में 18 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई) थे, जिनमें दो वैधानिक निगम और 15 सरकारी कंपनियां (चार निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) और एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 16 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था जिनके 23 लेखे बकाया थे। आठ कार्यरत एसपीएसई द्वारा अर्जित ₹ 1,873.65 करोड़ के कुल लाभ में से 98.46 प्रतिशत का योगदान केवल पांच एसपीएसई द्वारा किया गया था। नौ एसपीएसई द्वारा की गई ₹ 8,531.24 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 8,498.35 करोड़ (99.61 प्रतिशत) की हानि केवल दिल्ली परिवहन निगम द्वारा की गई। 2022-23 के दौरान, एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का प्रभाव लाभप्रदता तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 180.76 करोड़ था।

राज्य सरकार एसपीएसई के प्रबंधन पर अपने वित्तीय विवरण की समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए दबाव डाल सकती है। अंतिम लेखाओं के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहते हैं। राज्य सरकार उन रा.सा.क्षे.उ. में हानियों के कारण का विश्लेषण कर सकती है, जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी और इन रा.सा.क्षे.उ. के संचालन को जारी रखने के संबंध में निर्णय ले।

अध्याय-1

विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली के पास दोहरा अधिकार क्षेत्र अर्थात् संघ सरकार एवं राज्य सरकार जैसी एक प्रशासनिक संरचना है। दिल्ली में 11 जिले तथा 33 उप मंडल हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी तथा 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या अनुमान के अनुसार, राज्य की जनसंख्या 2.14 करोड़ थी, जो देश की जनसंख्या का 1.54 प्रतिशत है और जनसंख्या के मामले में राज्यों में 19वें स्थान पर है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 14,402.56 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है जो 422.26 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. के राष्ट्रीय औसत से अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 86.20 प्रतिशत है। (परिशिष्ट 1.1)

1.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) एक दी गई समयावधि में राज्य के सीमाक्षेत्र के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय के साथ राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने में भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ.¹ में प्रवृत्तियों

¹ वर्तमान मूल्यों पर

को तालिका 1.1 में दर्शाया गया है; स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान तथा क्षेत्रीय वृद्धि में बदलाव को क्रमशः चार्ट 1.1 और चार्ट 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.1: स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भारत					
वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. (श्रृंखला 2011-12)	1,88,99,668	2,01,03,593	1,98,29,927	2,34,71,012	2,72,40,712
जीवीए	1,71,75,128	1,83,81,117	1,81,88,780	2,14,38,883	2,47,42,871
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-1.36)	18.36	16.06
पिछले वर्ष की तुलना में जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	-1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (₹ में)	1,42,424	1,49,915	1,46,301	1,71,498	1,96,983
राज्य/संघ राज्य					
वर्तमान मूल्यों पर स.घ.उ. (श्रृंखला 2011-12)	7,38,389	7,92,911	7,63,435	9,04,642	10,43,759
जीएसवीए	6,47,839	7,04,369	6,74,551	7,92,859	9,16,792
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.92	7.38	-3.72	18.50	15.38
पिछले वर्ष की तुलना में जीएसवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.38	8.73	-4.23	17.54	15.63
प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (₹ में)	3,75,656	3,95,763	3,73,976	4,34,903	4,92,455


स्रोत: एमओएसपीआई वेबसाइट एवं अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) वर्तमान मूल्य पर ₹ 10,43,759 करोड़ था तथा 2022-23 में स.घ.उ. वर्तमान मूल्य पर ₹ 2,72,40,712 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. ₹ 4,92,455 करोड़ था जबकि देश का ₹ 1,96,983 करोड़ था। हालाँकि, 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. में वृद्धि (31.09 प्रतिशत) इसी अवधि के दौरान देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. में वृद्धि (38.31 प्रतिशत) के साथ तालमेल नहीं रख सकी। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि राज्य का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ., जो देश के प्रति व्यक्ति स.घ.उ. (2018-19) का 263.76 प्रतिशत था, 2022-23 के अंत में घटकर प्रति व्यक्ति स.घ.उ. का 250 प्रतिशत हो गया था।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है क्योंकि जीवीए को स.घ.उ. की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। जबकि स.घ.उ. की गणना अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्ययों के योग के रूप में की जा सकती है, जिसमें निजी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय और सकल स्थायी पूंजी निर्माण या निवेश व्यय शामिल हैं जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में मांग की स्थितियों को दर्शाते हैं। दोनों आकलनों में शुद्ध करों के प्रतिपादन में अंतर है, जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। अतः एक नीति-निर्माता के परिप्रेक्ष्य से बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए आंकड़ों की तुलना महत्वपूर्ण है।


2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए स.रा.घ.उ. और जीएसवीए की प्रवृत्ति को नीचे चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान स.रा.घ.उ. की तुलना में जीवीए की वृद्धि दर



स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने में भी महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है।

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि



स्रोत: दिल्ली के राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान 2021-22, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.।

चार्ट 1.2 से पता चलता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में सभी क्षेत्रों में विकास दर में कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का राजस्व अधिशेष ₹ 11,187 करोड़ (342.11 प्रतिशत) बढ़ गया जैसा कि इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 1.4 और अध्याय 2 में बताया गया है।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़ों को तैयार करते हैं। लेखा नियंत्रक रा.रा.क्षे.दि.स. प्रतिवर्ष राज्य के वित्त तथा विनियोजन लेखे तैयार करता है। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और आबंटन प्राथमिकताओं का आकलन करने के तथा इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और संगत नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए।
- स.रा.घ.उ. तथा राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स.।

- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम।
- भारत के नि.म.ले.प. के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विश्लेषण/टिप्पणी के लिए उपयुक्ता के अनुरूप उपयोग किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मसौदे पर टिप्पणी हेतु जनवरी 2024 में भेज दिया गया था। प्रधान सचिव (वित्त) रा.रा.क्षे.दि.स. से समापन सम्मेलन किए जाने के लिए उपयुक्त दिनांक सूचित करने का निवेदन किया गया है। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तरों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.3 सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखाओं को दो भागों में रखा जाता है:

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 46)

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त ऋण, प्राप्त सभी अनुदान तथा ऋण के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल हैं। कानून के अनुसार और अधिनियम में दिए गए उद्देश्यों के लिए तथा तरीके के अलावा इस निधि से कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की आकस्मिकता निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 47)

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, और यह उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है जो उन अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए, जो किसी ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा उस व्यय को अधिकृत किया जाना लंबित हो, को पूरा करने हेतु सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। चूंकि रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए अलग से कोई लोक

लेखा नहीं है इसलिए लोक लेखा से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचंत) का केंद्रीय सरकार के लोक लेखा में विलय हो जाते हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम शेष केंद्र सरकार के सामान्य नकद शेष में समायोजित होता है और सरकार के पास जमा राशि के रूप में माना जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजकोषीय देयताओं में बड़े पैमाने पर लघु बचत संग्रह का हिस्सा शामिल है। दिल्ली केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है तथा यह केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से के बदले में सहायता अनुदान प्राप्त करती है।

बजट दस्तावेज

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कर राजस्व, गैर-कर राजस्व एवं भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज के लिए किए गए खर्चों और विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा ऋण पर किया गया ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्ति निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की **पूंजीगत प्राप्तियों** में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियां और विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। रा.रा.क्षे.दि.स को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। सभी आवश्यक ऋण भारत की समेकित निधि से दिए जाते हैं।


पूंजीगत व्यय को मोटे तौर पर भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस संपत्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, सा.क्षे.उ. में निवेश पर व्यय शामिल हैं।

वर्तमान में सरकार के पास एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों हैं:

	लेन-देन की विशिष्टता	वर्गीकरण
ले.म.नि. द्वारा मुख्य तथा लघु शीर्षों की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि/विभाग	मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
छूट राज्यों के लिए छोड़ दी गई है	योजना	उप-शीर्ष (2-अंकीय)
	उप-योजना	विस्तृत-शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	वस्तु-शीर्ष-वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य का पता चलता है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के पहले अंक में एम्बेडेड नंबरिंग तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों के लिए है, 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण कुछ वस्तु शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर "वेतन" वस्तु शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" वस्तु शीर्ष पूंजीगत व्यय है। बजट दस्तावेजों में वस्तु शीर्ष विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएं

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि. के उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, विधानमंडल के समक्ष, उस वर्ष के लिए पूंजी की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कराएगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, अनुदानों/विनियोजन की मांग के रूप में विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और उसके अनुमोदन के पश्चात, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत समेकित निधि से आवश्यक धनराशि के विनियोजन के लिए विनियोजन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा रा.रा.क्षे.दि.स. की अन्य बजटीय पहल के क्रियान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में दिए गए हैं।

1.3.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय तथा 2021-22 के वास्तविक व्यय की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ संपूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संघटक	2021-22 वास्तविक	2022-23			
			बजट अनुमान	वास्तविक	ब.अ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता
1	कर राजस्व	40,019	47,700	47,363	99.29	4.54
2	गैर-कर राजस्व	827	1,000	581	58.10	0.06
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	8,467	12,589	14,759	117.24	1.41
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	49,313	61,289	62,703	102.31	6.01
5	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	623	602	1,258	208.97	0.12
6	उधार एवं अन्य देयताएं ^(क)	7,021	10,200	(-)4,566	(-)44.76	(-)0.44

क्र. सं.	संघटक	2021-22 वास्तविक	2022-23			
			बजट अनुमान	वास्तविक	ब.अ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता
7	पूँजीगत प्राप्तियां (5+6)	7,644	10,802	(-)3,308	(-)30.62	(-)0.32
8	कुल प्राप्तियां (4+7)	56,957	72,091	59,395	82.39	5.69
9	जिनमें से, राजस्व व्यय	46,043	53,688	48,246	89.86	4.62
10	ब्याज भुगतान	3,274	3,271	3,266	99.85	0.31
11	पूँजीगत व्यय	8,311	12,385	8,065	65.12	0.77
12	ऋण एवं अग्रिम	2,603	9,727	3,084	31.71	0.30
13	कुल व्यय (9+11+12)	56,957	75,800	59,395	78.36	5.69
14	राजस्व अधिशेष (4-9)	3,270	7,601	14,457	190.20	1.39
15	राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य(+) {(4+5)-13}	(-)7,021	(-)13,909	4,566	(-)32.83	0.44
16	प्राथमिक घाटा (15+10)	(-)3,747	(-)10,638	7,832	(-)73.62	0.75

(क) उधार और अन्य देयताएं: सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियां - संवितरण) और प्रारंभिक और अंतिम नकद शेष का शुद्ध भारत सरकार के सामान्य नकद के साथ विलय कर दिया गया। वर्ष 2021-2022 के लिए प्रभावी उधार और अन्य देयताएं ₹ 828 करोड़ होंगी क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य को बैंक टू बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 6,193 करोड़ के जीएसटी विलत आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के तहत राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा। 2022-23 के दौरान ऐसा कोई बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

जीएसटी मुआवजा, जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अधीन राज्य सरकार का राजस्व है। 2022-23 के दौरान ₹ 12,817 करोड़ का जीएसटी मुआवजा 'जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली राजस्व हानि के लिए मुआवजा' के प्रति राजस्व प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुआ था।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 2018-19 से 2022-23 के दौरान राजस्व अधिशेष दर्ज किया। अन्य राज्यों के विपरीत रा.रा.क्षे.दि.स. कर्मचारियों की ₹ 1,867 करोड़ की पेंशन देयताएं भारत सरकार द्वारा वहन की गई थी। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस के ₹ 11,240 करोड़ का व्यय भी भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा वहन किया गया था। यदि दोनों व्ययों को हिसाब में लिया जाए तो ₹ 14,457 करोड़ का राजस्व अधिशेष घटकर ₹ 1,350 करोड़ का राजस्व अधिशेष हो जाएगा।

1.3.2 सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र

मौजूदा सरकारी लेखा प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्तियों का व्यापक लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। हालांकि, सरकारी लेखाओं में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित संपत्ति शामिल होती हैं। संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं। देयताओं में केवल भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संपत्ति और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: संपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					संपत्तियां				
	2021-22	2022-23	प्रतिशत वृद्धि		2021-22	2022-23	प्रतिशत वृद्धि		
समेकित निधि									
क	केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	53,844*	52,380	-2.72	क	सकल पूंजीगत व्यय	83,294	91,359	9.68
ख	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए पूंजीगत परिव्यय का शेष	1,588	1,588	0	ख	ऋण व अग्रिम	72,454	74,280	2.52
ग	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष	3,356	3,356	0	ग	भारत सरकार के सामान्य नगद शेष में अंतिम नगद शेष का विलय	11,349	14,451	27.32
घ	राजस्व लेखा में संचयी अधिशेष	1,08,309	1,22,766	13.35					
	कुल	1,67,097	1,80,090		कुल	1,67,097	180,090		


नोट: 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को क्रमशः ₹ 83,294 करोड़ तथा ₹ 91,359 करोड़ की संपत्ति में 'सकल पूंजीगत परिव्यय' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,588 करोड़ की राशि शामिल है जिसे 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक कार्यालय से लिया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को संपत्ति के पक्ष में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम क्रमशः ₹ 74,454 करोड़ और ₹ 74,280 करोड़ थे जिसमें 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक कार्यालय से लिया गया ₹ 3,356 करोड़ शामिल थे।

* इसमें 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।


1.4 अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां

चार्ट 1.4 एवं 1.5 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटे के संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2018-19 से 2022-23 की अवधि में अधिशेष/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.5: 2018-19 से 2022-23 की अवधि में स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां



चार्ट 1.4 से देखा जा सकता है कि 2018-19 के दौरान ₹ 2,237 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष 2019-20 के दौरान ₹ 416 करोड़ के घाटे में बदल गया और 2020-21 के दौरान ₹ 6,708 करोड़ का घाटा हो गया। जो कि 2021-22 के दौरान ₹ 7,021 करोड़ के घाटे तक पहुंच गया। हालांकि 2022-23 के दौरान ₹ 4,566 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष था, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 27.15 प्रतिशत की वृद्धि थी। इसके अलावा, चार्ट 1.5 के अनुसार, 2021-22 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.78 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के प्रति 2022-23 में राजकोषीय अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.44 प्रतिशत रहा।

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

अध्याय-2

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

2.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयन में मुख्य बदलावों पर विहंगम दृष्टि डालता है। इन सभी संकेतकों का आगामी पैराग्राफों में विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में प्रमुख बदलाव तालिका 2.1 में दिए गए हैं:

तालिका 2.1: वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रमुख राजकोषीय संचयनों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व प्राप्तियां 27.15 प्रतिशत बढ़ गईं।✓ स्वयं की कर प्राप्तियां 18.35 प्रतिशत बढ़ गईं।✓ गैर-कर प्राप्तियां 29.75 प्रतिशत घट गईं।✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान 74.31 प्रतिशत बढ़ गईं।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय 4.78 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 5.31 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 3.36 प्रतिशत बढ़ गया।✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 1.02 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सहायता अनुदान पर व्यय 24.66 प्रतिशत बढ़ गया।
पूंजीगत प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 70.95 प्रतिशत घट गईं।✓ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 101.94 प्रतिशत बढ़ गईं।
पूंजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूंजीगत व्यय 2.95 प्रतिशत घट गया।✓ सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 67.32 प्रतिशत बढ़ गया।✓ सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 9.79 प्रतिशत घट गया।✓ आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 0.05 प्रतिशत घट गया।
ऋण तथा अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण 18.46 प्रतिशत बढ़ गया।✓ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां 101.94 प्रतिशत बढ़ गईं।
सार्वजनिक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 34.97¹ प्रतिशत घट गईं।✓ सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान 11.86 प्रतिशत बढ़ गया।

¹ वर्ष 2021-22 के लिए ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 6,193 करोड़ को छोड़ने के बाद प्राप्त बैंक बैंक ऋण।

2.2 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

यह भाग पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के संघटकों की तुलना करता है। 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरणों को तालिका 2.2, चार्ट 2.1 तथा चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.2 : 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग के विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2022-23	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
स्रोत	आरंभिक शेष	11,393	11,349	(-) 0.39
	राजस्व प्राप्तियां	49,313	62,703	27.15
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	623	1,258	101.93
	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां (निवल)	6,977	(-) 1,464 ²	(-) 286.73 ³
	कुल	68,306	73,846	8.11
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	46,043	48,246	4.78
	पूंजीगत व्यय	8,311	8,065	(-)2.96
	ऋण तथा अग्रिमों का संवितरण	2,603	3,084	18.48
	अंतिम शेष ⁴	11,349	14,451	27.33
	कुल	68,306	73,846	8.11

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2022-23 के दौरान राज्य की समेकित निधि में संसाधनों की संरचना और अनुप्रयोग चार्ट 2.1 और चार्ट 2.2 में दिया गया है।



² पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में सार्वजनिक ऋण प्राप्ति में ₹ 7,941.45 करोड़ (70.95 प्रतिशत) की कमी के कारण

³ वर्ष 2021-22 के लिए ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 6,193 करोड़ को छोड़ने के बाद प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य की कोई पुनर्भुगतान देनदारी नहीं है। 2022-23 के दौरान भारत सरकार से कोई बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त नहीं हुआ।

⁴ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ₹ 14,451 करोड़ के अंतिम शेष को मुख्य शीर्ष '8450: केंद्र शासित प्रदेशों का शेष खाता' के अंतर्गत दर्शाया गया है जिसका यूनिजन कैश बैलेंस में विलय हो जाता है।

2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:


1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान शामिल होते हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** (ऋण और गैर-ऋण प्राप्तियां) में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. आदि को वितरित ऋण तथा अग्रिम की वसूलियां, भा.स. से ऋण द्वारा प्राप्तियां तथा विभिन्न पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं।

राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां दोनों ही रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समेकित निधि का भाग होती हैं।

2.3.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियां

समग्र प्राप्तियों की संरचना को नीचे चार्ट 2.3 में दिया गया है।

चार्ट 2.3: 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियों की संरचना



*आरंभिक शेष तथा आकस्मिक निधि को छोड़कर

#कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर दर्शाते हैं।

2.3.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कर, गैर-कर राजस्व तथा भा.स. से सहायता अनुदान शामिल होते हैं।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियां एवं उत्प्लावकता अनुपात तथा राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 एवं चार्ट 2.4 में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व प्राप्तियां (रा.प्रा.)	43,113	47,136	41,864	49,313 ⁵	62,703
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	11.50	9.33	(-)11.18	17.79	27.15
स्वयं के कर राजस्व (क)	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363
स्वयं के गैर-कर राजस्व (ख)	644	1,097	980	827	581
स्वयं के राजस्व (क+ख)	37,269	37,663	30,405	40,846	47,944
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	2.15	1.06	(-)19.27	34.34	17.38
भा.स. से सहायता अनुदान	5,844	9,473	11,459	8,467	14,759
भा.स. से सहायता अनुदान की वृद्धि दर (प्रतिशत)	167.58	62.10	20.96	(-) 26.11	74.31
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (2011-12 श्रेणी)	7,38,389	7,92,911	7,63,435	9,04,642	10,43,759
स.रा.घ.उ. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	8.92	7.38	(-) 3.72	18.50	15.38
रा.प्रा./सं.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	5.84	5.94	5.48	5.45	6.01
उत्प्लावकता अनुपात ⁶					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.29	1.26	*	0.96	1.77
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स्वयं का राजस्व उत्प्लावकता	0.24	0.14	*	1.86	1.13

स्रोत: अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय रा.रा.क्षे.दि.स.

*चूंकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, इसीलिए उत्प्लावकता की गणना नहीं की गई थी।

⁵ जीएसटी क्षतिपूर्ति (राज्यों को क्षतिपूर्ति) जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राज्य सरकार का राजस्व है। दिल्ली को रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण राज्य के लिए देयता के पुनर्भुगतान किए बिना मिला। इस व्यवस्था के कारण, राजस्व प्राप्ति को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ऋण प्राप्ति के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है।

⁶ उत्प्लावकता अनुपात मूल विभिन्नताओं में दिए गए बदलाव के संदर्भ में राजकोषीय विभिन्नताओं की जवाबदेही की शिथिलता तथा मात्रा को दर्शाता है। उदाहरणार्थ स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 1.77 पर है जिसका तात्पर्य है कि यदि स.रा.घ.उ. में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियां 1.77 प्रतिशत बिंदू बढ़ जाती हैं।


राजस्व प्राप्तियां 11 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर से 2018-19 में ₹ 43,113 करोड़ से 45.44 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 62,703 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से 2018-19 से 2022-23 तक स्वयं के कर राजस्व में ₹ 10,738 करोड़ (29.32 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।

दूसरी ओर, भारत सरकार की ओर से सहायता अनुदान में 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान ₹ 8,915 करोड़ (152.55 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। हालाँकि, इसमें वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में ₹ 6,292 करोड़ (74.31 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,371.06 करोड़ (98.84 प्रतिशत) का बढ़ा हुआ क्षतिपूर्ति था।

2022-23 के दौरान, राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 13,390 करोड़ (27.15 प्रतिशत) बढ़ गई, जो विशेष रूप से स्वयं के कर राजस्व में ₹ 7,344 करोड़ (18.35 प्रतिशत) वृद्धि और केंद्र सरकार से प्राप्त ₹ 6,292 करोड़ (74.31 प्रतिशत) के कारण था।

कुल राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा 2018-19 में 84.95 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 75.54 प्रतिशत हो गया। इसका कारण उक्त अवधि के दौरान स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि (29.32 प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (45.44 प्रतिशत) में वृद्धि होना है। 2018-19 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियां लगभग 86.44 प्रतिशत थी जबकि सहायता अनुदान का योगदान 13.56 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 में, रा.रा.क्षे.दि.स. के अपने संसाधनों से राजस्व प्राप्तियां लगभग 76.46 प्रतिशत थीं जबकि सहायता अनुदान का योगदान 23.54 प्रतिशत था।

चार्ट 2.4: 2018-2023 के दौरान स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां




रा.रा.क्षे. दिल्ली की स.रा.घ.उ. 2018-19 में ₹ 7,38,389 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 10,43,759 करोड़ (41.36 प्रतिशत) हो गई। 2021-22 की तुलना में, स.रा.घ.उ. (₹ 9,04,642 करोड़) में वृद्धि होकर 2022-23 में ₹ 10,43,759 करोड़ (15.38 प्रतिशत) हो गई। जैसा कि चार्ट 2.4 से स्पष्ट है, स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियां 2018-19 में 5.84 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 6.01 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी, लेकिन 2020-21 में घट गई। 2021-22 के दौरान यह लगभग स्थिर रही और इसके बाद 2022-23 में बढ़ गई। 2022-23 में स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों में तीव्र उछाल पिछले वर्ष की तुलना में स्वयं के कर राजस्व में 18.35 प्रतिशत की वृद्धि और केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में 74.31 प्रतिशत की वृद्धि के कारण है।

स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 1.29 से बढ़कर 2022-23 में 1.77 हो गया। स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य की अपनी राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 0.24 से बढ़कर 2022-23 में 1.13 हो गई।

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान में वृद्धि मुख्य रूप से जीएसटी क्षतिपूर्ति में ₹ 6,445.95 करोड़ (2021-22) से ₹ 12,817.01 करोड़ (2022-23) पर्याप्त वृद्धि के कारण थी।

राजस्व प्राप्तियों के संघटकों की प्रवृत्तियों को चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5 : राज्य की राजस्व प्राप्तियों में संघटकों की प्रवृत्तियां



स्रोत: वित्त लेखे

वित्त वर्ष 2018-19 से 2019-20 के लिए स्वयं का कर राजस्व लगभग समान रहा, लेकिन 2020-21 में कमी आई और एसजीएसटी (₹ 5,061 करोड़) की बढ़ी हुई प्राप्तियों और राज्य मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अंतर्गत बढ़ी हुई प्राप्तियों (₹ 842.50 करोड़) के कारण 2021-22 की तुलना में 2022-23 में ₹ 7,344 करोड़ (18.35 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

गैर-कर राजस्व 2018-19 में ₹ 644 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,097 करोड़ हो गया, लेकिन 2020-21 में ₹ 980 करोड़ से घटकर 2022-23 में ₹ 581 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण ब्याज प्राप्तियों में ₹ 297.67 करोड़ (83.71 प्रतिशत) की कमी थी।

2.3.2.2 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के संसाधन


संसाधनों के संग्रह में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का निष्पादन उसके अपने संसाधनों के मूल्यांकन, जिसमें स्वयं के कर एवं गैर-कर शामिल हैं, से होता है।

स्वयं का कर राजस्व

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व इत्यादि सम्मिलित होते हैं। 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे

दिल्ली सरकार के स्वयं कर राजस्व के संघटकों की प्रवृत्ति को तालिका 2.4 तथा चार्ट 2.6 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.6: 2018-19 से 2022-23 के दौरान स्वयं के कर राजस्व की प्रवृत्ति



तालिका 2.4: रा.रा.क्षे दिल्ली सरकार के स्वयं के कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	स्पार्क लाइन
राज्य वस्तु तथा सेवा कर (एसजीएसटी)	19,187	19,465	15,676	22,263	27,324	
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	5,886	5,475	4,411	5,099	5,582	
राज्य उत्पाद शुल्क	5,028	5,068	4,108	5,488	5,548	
वाहनों पर कर	2,055	1,948	1,676	1,956	2,884	
स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	4,459	4,606	3,549	5,212	6,023	
भू-राजस्व	0	3	4	0	0	
अन्य कर ⁷	10	1	1	1	2	
कर राजस्व	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁷ अन्य करों में मनोरंजन कर, बैटिंग कर, विलासिता कर तथा केबल कर शामिल हैं।


तालिका 2.5: वर्ष 2022-23 के लिए ब.अ./पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं का कर राजस्व

राजस्व शीर्ष	ब.अ. (प्राप्ति बजट 2022-23 के अनुसार) (₹ करोड़ में)	पु.अ. (प्राप्ति बजट 2023-24 के अनुसार) (₹ करोड़ में)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	ब.अ. और वास्तविक के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	पु.अ. और वास्तविक के बीच अंतर (₹ करोड़ में)	ब.अ. की तुलना में प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी	पु.अ. की तुलना में प्रतिशतता (+) अधिक्य (-) कमी
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	26,000	28,000	27,324	1,324	(-676)	5.09	(-2.41)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,200	5,200	5,582	382	382	7.35	7.35
राज्य उत्पाद शुल्क	9,500	6,500	5,548	(-3,952)	(-952)	(-41.6)	(-14.65)
वाहनों पर कर	2,000	2,750	2,884	884	134	44.2	4.87
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	4,997	5,998	6,023	1,026	25	20.53	0.42
भू-राजस्व	3	2	0	(-3)	(-2)	(-100)	(-100)
अन्य कर	0	0	2	2	2	-	-
कुल	47,700	48,450	47,363⁸	(-) 337	(-)1,087	(-)0.71	(-)2.24

अन्य करों में मनोरंजन कर, बैटिंग कर, विलासिता कर तथा केबल कर शामिल हैं।

2022-23 के दौरान, बजट अनुमानों की तुलना में राज्य उत्पाद शुल्क और भू-राजस्व में कमी रही।

चार्ट 2.7: एसजीएसटी संग्रहण में प्रवृत्तियां



जीएसटी संग्रह 2021-22 में ₹ 5,061 करोड़ (22.73 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 22,263 करोड़ से 2022-23 में ₹ 27,324 करोड़ हो गया। यह मुख्य रूप से एसजीएसटी

⁸ 2022-23 के दौरान वास्तविक कर उछाल 0.71 के अनुमान के मुकाबले 1.19 था (ब.अ. में वृद्धि दर/स.रा.घ.उ. में वृद्धि दर)।

और आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग में ₹ 2,628 करोड़ की वृद्धि के कारण था, साथ ही पिछले वर्ष की तुलना में आईजीएसटी आवंटन में ₹ 483 करोड़ की वृद्धि हुई।

आरबीआई के लेखे के अनुसार एसजीएसटी की राशि ₹ 27,324.11 करोड़ है जो रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त लेखे में दर्शाए गए विवरण से मेल खाती थी।

एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर (आईजीएसटी)

रा.रा.क्षे.दि.स., भारत सरकार से आईजीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट तथा एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के उपयोग किए जाने के आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित आईजीएसटी के निपटान के प्रति निधियां प्राप्त करती है जिसको एसजीएसटी के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान एसजीएसटी के अंतर्गत प्राप्त ₹ 27,324 करोड़ में से ₹ 14,665 करोड़ आईजीएसटी के रूप में प्राप्त हुए थे। वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान प्राप्त की गई निधियों के विवरणों को तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6: 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए
आईजीएसटी प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2020-21	2021-22	2022-23
इनपुट टैक्स क्रेडिट	2,626	3,761	6,389
आईजीएसटी का आवंटन (कर)	3,454	6,820	7,289
आईजीएसटी का आवंटन (ब्याज)	0	5	19
आईजीएसटी का अग्रिम आवंटन	1,593	1,413	968
कुल	7,673	11,999	14,665

राजस्व के बकाये

राजस्व के बकाये सरकार को बकाया/देय राजस्व की देरी से प्राप्ति को दर्शाता है। व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार मुख्य शीर्ष '0040 - बिक्री पर कर, व्यापार' आदि के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक राजस्व बकायों के विवरणों की सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों से अधिक के लिए ₹ 70,410 करोड़ की राशि में से ₹ 46,037 करोड़ की राशि बकाया थी।

निर्धारण के बकाये

निर्धारण के बकाये संभावित राजस्व को दर्शाते हैं जो कि विलम्बित निर्धारण के कारण अवरूद्ध थे। वर्ष के आरंभ में लम्बित मामले, निर्धारण के लिए देय मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित मामलों की संख्या को तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: निर्धारण के बकाये

राजस्व शीर्ष	मामलों के प्रारंभिक शेष	2022-23 के दौरान निर्धारण के लिए देय नये मामले	कुल निर्धारण देय	2022-23 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष के अन्त में शेष	निपटान की प्रतिशतता
0040 'बिक्री, व्यापार आदि पर कर	-	91,601	91,601	91,601	0	100

स्रोत: व्यापार तथा कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, रिफंड के मामले इत्यादि का विवरण

आबकारी तथा कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गए मामले तथा उद्घृत किए गए अतिरिक्त कर हेतु मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण के प्रयत्नों का महत्वपूर्ण संकेतक है। रिफंड के मामले के निपटान में तत्परता विभाग के निष्पादन का महत्वपूर्ण संकेतक है।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए सूचना के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए पता लगाए गए कर के अपवंचन के मामले तथा रिफंड मामलों के विवरणों को तालिका 2.8 तथा तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: पता लगाए गए कर के अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2022 तक लंबित मामले	2022-23 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	कुल मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूरी की गई तथा अतिरिक्त मांग के साथ उद्घृत किए गए जुर्माने इत्यादि		31 मार्च 2023 तक अपील के अंतर्गत लंबित मामलों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
जीएसटी	238	237	475	237	119.37	238

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 2.9: वर्ष 2022-23 के लिए रिफंड मामलों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	जीएसटी		बिक्री कर /वैट	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	5507	1109.82	11292	1150.99
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	27915	4926.45	3	0.09
3	वर्ष के दौरान किए गए रिफंड	21020*	2391.57	6607	256.52
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिभागी/समायोजित रिफंड		880.39	2705	40
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष#	4,631#	1,493.18	4,688	854.56

* विभाग के पास उपलब्ध मामलों (रिफंड किया गया/ अस्वीकृत) की संख्या के लिए कोई अलग से कॉलम नहीं है।

जीएसटी और व्यापार एवं कर विभाग ने कहा (अक्टूबर 2023) कि जीएसटीएन पोर्टल में दर्शाए गए शेष बकाया दावों में अंतर था तथा इसकी अंकगणितीय गणना के लिए जीएसटीएन से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ, विभागीय प्राप्तियां इत्यादि शामिल होते हैं। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व तथा प्रवृत्तियों के संघटक तालिका 2.10 तथा चार्ट 2.8 में दिए गए हैं।

तालिका 2.10: रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के गैर-कर राजस्व के संघटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ब्याज प्राप्तियां	113	404	468	356	58
लाभांश तथा लाभ	15	16	10	90	104
अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्तियां	516	677	502	381	419
क) लोक निर्माण	18	13	43	23	43
ख) शिक्षा	29	27	79	10	8
ग) चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	103	112	95	97	116
घ) पॉवर	53	87	33	52	61
ड) अन्य इत्यादि	313	438	252	199	191
कुल गैर-कर राजस्व	644	1,097	980	827	581

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

गैर-कर राजस्व 2018-19 में ₹ 644 करोड़ से 9.78 प्रतिशत घटकर 2022-23 में ₹ 581 करोड़ हो गया। गैर-कर राजस्व जो कि 2022-23 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (₹ 62,703 करोड़) का 0.93 प्रतिशत था, पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 246 करोड़ (29.75 प्रतिशत) कम हो गया जो मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 298 करोड़ (83.71 प्रतिशत) की कमी के कारण हुआ।


वर्ष 2022-23 के लिए पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं का गैर-कर राजस्व तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: वर्ष 2022-23 के लिए पु.अ. की तुलना में रा.रा.क्षे.दि.स. का वास्तविक स्वयं का गैर-कर राजस्व

(₹ करोड़ में)


गैर-कर राजस्व शीर्ष	पु.अ. (प्राप्ति बजट 2022-23 के अनुसार)	वास्तविक	पु.अ. और वास्तविक के बीच अंतर	पु.अ. की (+) अधिक्य/ (-) कमी की प्रतिशतता
ब्याज प्राप्ति	163	58	(-) 105	(-) 64.42
लाभांश और लाभ	40	104	(+)64	(+)160
अन्य गैर-कर प्राप्ति	398	419	(+) 21	(+)5.28
कुल	601	581	(-) 20	(-)3.33

चार्ट 2.8: गैर-कर राजस्व शीर्षों में प्रवृत्तियां



चार्ट 2.8 से स्पष्ट है कि अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्ति 2018-19 से 2022-23 के दौरान ₹ 97 करोड़ (18.8 प्रतिशत) घट गई। हालांकि 2022-23 के दौरान, ₹ 38 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से 'चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' से बढ़ी हुई प्राप्ति (₹ 18.27 करोड़) के कारण थी। अन्य गैर-कर राजस्व प्राप्ति में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: 'अन्य गैर-कर राजस्व' के शीर्षों में प्रवृत्तियां



2.3.2.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों को सहायता अनुदान (स.अ.) उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना तथा गैर-योजना वर्गीकरण को बंद कर दिया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, रा.रा.क्षे.दि.स. को भा.स. से ₹ 12,589 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले ₹ 14,759 करोड़ (117.24 प्रतिशत) का सहायता अनुदान (स.अ.) प्राप्त हुआ। भा.स. से स.अ. के विवरण तालिका 2.12 में है:

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)


शीर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस)	807.03	1,169.48	1,441.46	991.93	981.79
सामान्य केंद्रीय योजना सहायता (ब्लॉक अनुदान)	449.99	472.00	626.00	626.00	626.00
अन्य अनुदान	79.75	70.56	शून्य	3.43	9.49
केंद्रीय करों में हिस्से के बदले अनुदान	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्थित राजस्व की हानि का क्षतिपूर्ति	4,182.00	7,436.00	5,521.65	6,445.96	12817.02
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	एनएसएपी योजना 2018-19 से सीएसएस में शामिल कर दी गई।				
केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य अनुदान (योजना)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया फंड में योगदान	शून्य	शून्य	161.49	शून्य	शून्य
राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान	शून्य	शून्य	3,383.00	शून्य	शून्य
प्राकृतिक आपदाओं के कारण सहायता के लिए अग्रिम वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान	शून्य	शून्य	शून्य	75.00	शून्य
कुल	5,843.77	9,473.04	11,458.60	8,467.32	14759.30
राजस्व प्राप्तियों में स.अ. की प्रतिशतता	13.55	20.10	27.37	17.17	23.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

भा.स. से स.अ. 2018-19 में ₹ 5,843.77 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 14,759.30 करोड़ (152.56 प्रतिशत) हो गया। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 6,291.98 करोड़ (74.31) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए ₹ 6,371.06 करोड़ (98.84 प्रतिशत) का बढ़ा हुआ क्षतिपूर्ति है।

दिल्ली, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आता है और केंद्रीय कर तथा शुल्कों के राज्य हिस्से के बदले में अनुदान प्राप्त करता है जो कि 2001-02 से ₹ 325 करोड़ तक स्थिर रहा। वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के लिए स.अ. में प्रवृत्तियों को चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: सहायता अनुदान में प्रवृत्तियाँ



2.3.2.4 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग को सत्यापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन के लिए पांच योजनाओं का चयन किया गया था।

जीएफआर 230(8) के अनुसार, किसी भी अनुदान प्राप्त संस्था को जारी किए गए सहायता अनुदान या अग्रिम (क्षतिपूर्ति के अलावा) के विरुद्ध सभी ब्याज या अन्य आय अनिवार्य रूप से लेखे को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद भारत के समेकित निधि में प्रेषित की जानी चाहिए।

नियम 239 के अनुसार, केंद्रीय योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त केंद्रीय अनुदान के योजना के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) राज्य

सरकार द्वारा जीएफआर-12सी प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है। यूसी “योजना को विनियमित करने वाले प्रभाग के प्रशासनिक सचिव/वित्त सचिव” द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

ए) प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण)

शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने केंद्रीय प्रायोजित योजना पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार (भा.स.) से 2022-23 के दौरान ₹ 140.98 करोड़ की सहायता अनुदान प्राप्त की। इसके अलावा, पिछले वर्ष (2021-22) का कुल अव्ययित शेष ₹ 33.47 करोड़ था और उक्त योजना के अंतर्गत केंद्र के हिस्से के मुकाबले वर्ष 2022-23 का प्रतिबद्ध दायित्व ₹ 74.29 करोड़ था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- i. केंद्र की कुल हिस्सेदारी ₹ 248.74 करोड़ (प्रतिबद्ध देयता और पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि सहित) के मुकाबले, ₹ 235.48 करोड़ का व्यय किया गया, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) डीओई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 31 मार्च 2023 तक केंद्र के हिस्से के मुकाबले ₹ 13.26 करोड़ (5.33 प्रतिशत) की राशि अव्ययित रह गई (2022-23 के दौरान प्राप्त ₹ 1.36 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है)।
- ii. इसके अलावा, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत व्यय विवरण से पता चला कि राज्य के हिस्से के मुकाबले प्राप्त ₹ 134.22 करोड़ की कुल धनराशि (वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 82.80 करोड़ और वर्ष 2020-21 की प्रतिबद्ध देनदारी के रूप में ₹ 46.57 करोड़ और अव्ययित शेष ₹ 4.85 करोड़), डीओई ने ₹ 143.53 करोड़ का व्यय किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त योजना के अंतर्गत राज्य के हिस्से के मुकाबले ₹ 9.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
- iii. केंद्र और राज्य के हिस्से घाटे को दर्शाने वाली एकल नोडल खाता (एसएनए)-05 रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने कोषागार से एसएनए को केंद्रीय शेयर हस्तांतरण के रूप में ₹ 50.33 करोड़ का अतिरिक्त

हिस्सा हस्तांतरित किया, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹ 1.52 करोड़ की कम निधि जारी की।

- iv. जून 2023 तक एसएनए खाते के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए उपार्जित ब्याज ₹ 1.36 करोड़ था। विभाग ने कहा (सितंबर 2023) कि विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए जून 2023 (सरकारी लेखे में ब्याज जमा करने की तिथि) तक सरकारी लेखे में जमा किया गया ब्याज ₹ 1.18 करोड़ था जिसके लिए ₹ 70.71 लाख की जमा पर्चों की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की गई थी।

फिर भी जीएफआर 2017 के नियम 230(8) के उल्लंघन में ₹ 0.18 करोड़ की कम जमा राशि थी, जिसके लिए कारणों की प्रतीक्षा थी।

बी) समग्र शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक और अध्यापक शिक्षण)

केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा (प्रारंभिक, माध्यमिक और अध्यापक शिक्षण)' के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने भारत सरकार से ₹ 225.09 करोड़ की अनुदान सहायता प्राप्त की। उक्त योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष (2021-22) का ₹ 28.04 करोड़ का अव्ययित शेष भी था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- (i) ₹ 403.20 करोड़ (राज्य का हिस्सा ₹ 150.07 करोड़ सहित) की कुल निधि के मुकाबले, डीओई द्वारा ₹ 370.60 करोड़ का व्यय किया गया था और 31 मार्च 2023 तक ₹ 32.60 करोड़ का अव्ययित शेष था (इसमें वर्ष के दौरान उपार्जित ₹ 2.36 करोड़ ब्याज की राशि शामिल नहीं है)।
- (ii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2022-23 के दौरान उपार्जित कुल ब्याज की राशि ₹ 2.36 करोड़ को समेकित निधि में प्रेषित नहीं किया गया था जो जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) का उल्लंघन है।
- (iii) केंद्र और राज्य के हिस्से में कमी को दर्शाने वाली एसएनए-05 रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने कोषागार से एसएनए को केंद्रीय हिस्सा हस्तांतरण के रूप में ₹ 11.79 करोड़ का अतिरिक्त हिस्सा हस्तांतरित किया, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹ 86.91 करोड़ का अतिरिक्त निधि जारी किया।

- (iv) अभिलेख में यूसी जीएफआर के नियम 239 के अंतर्गत अनिवार्य निर्धारित प्रारूप में नहीं था और डीओई द्वारा भारत सरकार (भा.स.) को केवल अनंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। निर्धारित प्रारूप में यूसी जारी न करने के कारणों की प्रतीक्षा है।

सी) दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डीएसएचएम)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीएचएफडब्ल्यू) ने दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डीएसएचएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से 2022-23 के दौरान शून्य सहायता अनुदान प्राप्त किए। इसके अलावा, उक्त योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष (2021-22) का कुल ₹ 398.72 करोड़ अव्ययित शेष रह गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- (i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 432.56 करोड़ (राज्य के ₹ 33.84 करोड़ के हिस्से सहित) के कुल निधि के मुकाबले, ₹ 242.79 करोड़ का व्यय किया गया था, जिसके लिए डीएचएफडब्ल्यू ने भारत सरकार को यूसी प्रस्तुत किए थे। 31 मार्च 2023 तक ₹ 189.78 करोड़ की राशि अव्ययित रह गई (इसमें वर्ष के दौरान उपार्जित ₹ 6.43 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है)।
- (ii) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से वर्ष के दौरान उपार्जित कुल ब्याज ₹ 11.89 करोड़ में से, डीएचएफडब्ल्यू ने ₹ 5.46 करोड़ का ब्याज भारत सरकार के लेखे में वापस कर दिया। हालाँकि ₹ 6.43 करोड़ का शेष ब्याज अभी भी भारत सरकार के लेखे में प्रेषित होना बाकी है, जो जीएफआर, 2017 के नियम 230 (8) का उल्लंघन था।
- (iii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि, आईडीआईजीआईपीएवाई बैंक खाते (एसएनए खाता) में दर्शाए गए व्यय के विवरण में दर्शाए गए आंकड़े और वर्ष 2022-23 के लिए सीएसएस योजना के लिए यूसी में दर्शाए गए व्यय मेल नहीं खाते। वर्ष 2022-23 के लिए समेकित यूसी के अनुसार बुक किया गया कुल व्यय ₹ 242.79 करोड़ है, जबकि आईडीआईजीआईपीएवाई में दर्शाए गए व्यय का आंकड़ा ₹ 180.35 करोड़ था।

डीएसएचएम ने कहा (सितंबर 2023) कि राज्य स्वास्थ्य सोसायटी दिल्ली ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रदान किए गए भुगतान डैशबोर्ड के रूप में पीएफएमएस पर मॉडल-1 को चुना था। बैंक के अधिदेश के अनुसार, आईसीआईसीआई के भुगतान डैशबोर्ड के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन पीएफएमएस पर प्रतिबिंबित होते हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक सीएसएस भुगतान के लिए पीएफएमएस के साथ एकीकृत है। हालांकि, इस समय, आईसीआईसीआई बैंक और पीएफएमएस के बीच तकनीकी मुद्दों के कारण मॉडल-1 पर आईडीआईजीआईपीएवाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया व्यय पूरी तरह से पीएफएमएस पर प्रतिबिंबित नहीं होता है।

डीएसएचएम से अनुरोध है कि मामले को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए आईसीआईसीआई बैंक और सीजीए (जो पीएफएमएस का प्रबंधन करता है) के साथ उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऊपर उद्धृत तकनीकी मुद्दों को जल्द से जल्द हल किया जाए और मॉडल-1 पर आईडीआईजीआईपीएवाई सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया व्यय पूरी तरह से मेल खाए जो पीएफएमएस पर प्रतिबिंबित होते हैं।

डी) कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (एएमआरयूटी) 2.0

यूडी (डीयूडी) विभाग ने केंद्र प्रायोजित एएमआरयूटी 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य जल अभियान योजना (एसडब्ल्यूएपी) की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 211.41 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(i) व्यय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था और डीयूडी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख बतलाता है कि ₹ 211.41 करोड़ का सहायता अनुदान 31 मार्च 2023 तक अव्ययित रहा।

(ii) इसके अलावा, एएमआरयूटी 2.0 के अंतर्गत शहरी जल संतुलन योजना (सीडब्ल्यूबीपी) तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा डीयूडी को केंद्रीय सहायता के रूप में ₹ 0.90 करोड़ जारी किए गए (जनवरी 2022)। यह राशि केंद्रीय सहायता जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर स्थानीय नोडल

एजेंसियों (एसएनए) यानी मिशन निदेशक के खाते में भेजा जाना आवश्यक था। राशि 29 अगस्त 2022 को यानी 7 महीने की देरी के बाद नामित एसएनए खाते में स्थानांतरित की गई थी। यह राशि अव्ययित पड़ी हुई है, जिसके लिए विभाग ने (सितंबर 2023) वित्त विभाग द्वारा जारी प्राधिकरण में त्रुटि को जिम्मेदार ठहराया है।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि देरी होने से केंद्रीय सहायता का उद्देश्य बाधित हुआ।

ई) एनएफएसए (सीएसएस) के अंतर्गत खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों के मार्जिन के अंतर-राज्य संचालन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता

खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग (डीएफसीए) को खाद्यान्न और एफपीएस डीलरों के अंतर-राज्य संचालन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता की केंद्रीय प्रायोजित योजना और एनएफएसए (सीएसएस) के अंतर्गत मार्जिन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार से 2022-23 के दौरान ₹ 23.99 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। यह योजना 2022-23 में शुरू हुई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

डीएफसीए ने कहा (सितंबर 2023) कि 31 मार्च 2023 तक ₹ 47.98 करोड़ (राज्य का हिस्सा ₹ 23.99 करोड़ सहित) बकाया राशि था, जो बतलाता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान योजना पर कोई खर्च नहीं किया गया। इसमें कहा गया है कि केंद्र का हिस्सा 20 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया था और राज्य के हिस्से के साथ पूरी राशि 31 मार्च 2023 को एसएनए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।

हालांकि डीएफसीए द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) के अनुसार, ₹ 23.99 करोड़ का संपूर्ण केंद्रीय हिस्सा वर्ष 2022-23 के दौरान उपयोग के रूप में दिखाया गया था और 31 मार्च 2023 तक "शून्य" अव्ययित शेष था।

लेखापरीक्षा का मानना है कि या तो विभाग ने लेखापरीक्षा को भ्रामक जानकारी दी या डीएफसीए द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत यूसी में केंद्रीय शेयर की पूरी राशि के पूर्ण उपयोग की सूचना देकर गलत जानकारी दी गई। इस मामले पर

लेखापरीक्षा में स्पष्टीकरण मांगा गया था (सितंबर 2023) जिसके लिए उत्तर प्रतीक्षित है।

2.3.2.5 एकल नोडल एजेंसी

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने कार्यालय जापन संख्या (13)पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 8 दिसंबर 2021 के माध्यम से प्रावधान किया कि प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) को कार्यान्वित करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) नामित करना आवश्यक है। एकल नोडल एजेंसी राज्य सरकार द्वारा कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक सीएसएस के लिए एकल नोडल खाता खोलेगी। इसके अलावा, नई प्रक्रिया के अनुसार, यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा पूरी अव्ययित राशि एकल नोडल एजेंसी के एकल नोडल खाते में वापस कर दी जाए। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान एकल नोडल एजेंसियों को ₹ 2673.03 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा ₹ 1,335.36 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 1337.67 करोड़) हस्तांतरित किए गए। पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक एकल नोडल एजेंसियों के बैंक खातों में ₹ 902.89 करोड़⁹ बिना खर्च किए पड़े थे।

वर्ष 2022-23 के लिए पीएफएमएस पोर्टल की रिपोर्ट की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित नोट किया:

- (i) 6 सीएसएस में, भारत सरकार ने रा.रा.क्षे.दि.स. को ₹ 28.09 करोड़ हस्तांतरित किए, जिसके मुकाबले उसने एसएनए के खाते में केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में केवल ₹ 16.19 करोड़ जारी किए, परिणामस्वरूप ₹ 11.90 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ।
- (ii) 2022-23 के दौरान 31 राज्य से जुड़ी योजनाओं में ₹ 711.92 करोड़ की अव्ययित शेष राशि थी।
- (iii) रा.रा.क्षे.दि.स. ने 13 सीएसएस में अपने आनुपातिक राज्य के हिस्से से अधिक ₹ 903.88 करोड़ की निधि जारी की।

⁹ पीएफएमएस पोर्टल पर 31 मार्च 2023 तक अव्ययित शेष राशि ₹ 822.93 करोड़ थी (29 फरवरी 2024)।

(iv) रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने आनुपातिक राज्य के हिस्से के संबंध में चार केंद्र प्रायोजित योजनाओं में ₹ 64.55 करोड़ की कम निधि जारी की।

(v) 13 राज्य से जुड़ी योजनाओं में ₹ 26.40 करोड़ की प्रतिकूल शेष राशि थी जिससे पता चला कि इन योजनाओं में अतिरिक्त व्यय किया गया था।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियाँ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. (गैर-ऋण) द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों की वसूली और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम (ऋण) शामिल हैं। पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23 तक) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

रा.रा.क्षे.दि.स. की प्राप्तियों के स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
पूंजीगत प्राप्तियाँ (ऋण और गैर-ऋण)	4,524	5,588	15,996	11,816	4509
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (ऋण)#	2,880	4,765	15,365	11,193	3251
ऋण एवं अग्रिम की वसूली (गैर-ऋण)	1,644	823	631	623	1258
आंतरिक ऋण ¹⁰	लागू नहीं				
वृद्धि दर	लागू नहीं				
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर ^{##}	51.10	65.45	99.37	(-) 47.37	(-)34.98
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	137.92	(-)49.94	(-)23.33	(-)1.27	101.93
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	8.92	7.38	(-)3.72	18.50	15.38
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	74.20	23.52	186.26	(-)26.13	(-)61.84

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले भारत सरकार से बैंक टू बैंक ऋण के रूप में क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है।

वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर की गणना 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 6,193 करोड़ के जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर की गई है।

चालू वर्ष के दौरान, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए गए बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर, जिसे राज्य द्वारा अपने स्रोतों से चुकाया नहीं जाना है, उधार पूंजी प्राप्तियाँ 2021-22 में ₹ 5,000 करोड़ से (-) 34.98 प्रतिशत घटकर 2022-23 में ₹ 3,251 करोड़ हो

¹⁰ रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कोई आंतरिक ऋण नहीं है।

गया। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां यानी ऋणों और अग्रिमों की वसूली 2021-22 में ₹ 623 करोड़ से 101.93 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 1258 करोड़ हो गया।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को वित्तीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचों के भीतर व्यय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि राज्य की चल रही वित्तीय सुधार और समेकन प्रक्रिया, पूंजीगत अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले व्यय की कीमत पर नहीं है। यह पैराग्राफ उप-पैराग्राफ के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण देता है। यह पैराग्राफ उप-पैराग्राफ के साथ राज्य में व्यय के आवंटन का विश्लेषण देता है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि और संरचना

राजस्व व्यय: अनुरक्षण, रख-रखाव, मरम्मत और कार्यचालन खर्चों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों को चालू हालत में बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय: किसी परियोजना के प्रथम निर्माण के लिए सभी प्रभार, साथ ही कार्य के मध्यवर्ती अनुरक्षण के लिए प्रभार, जब तक कि उसे सेवा के लिए नहीं खोला जाता है, तथा ऐसे अतिरिक्त परिवर्धन और सुधार के लिए प्रभार, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्वीकृत किए जा सकते हैं, पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

ऋण और अग्रिम: सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) और अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम।

पिछले पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में कुल व्यय की प्रवृत्तियाँ और संरचना तालिका 2.14 और चार्ट 2.11 में दर्शाई गई है।


तालिका 2.14: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (टीई) ¹¹	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395
राजस्व व्यय (आरई)	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
पूंजीगत व्यय (सीई)	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065
ऋण और अग्रिम (एल एंड ए)	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084
स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में					
टीई/ स.रा.घ.उ.	5.76	6.10	6.44	6.30	5.69
आरई/ स.रा.घ.उ.	4.99	5.00	5.29	5.09	4.62
सीई/ स.रा.घ.उ.	0.44	0.69	0.62	0.92	0.77
एल एंड ए / स.रा.घ.उ.	0.33	0.41	0.54	0.29	0.30

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.11: कुल व्यय: प्रवृत्तियां और संरचना



चार्ट 2.11 से देखा जा सकता है कि व्यय 6.91 प्रतिशत¹² की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से लगातार बढ़कर ₹ 42,520 करोड़ (2018-19) से ₹ 59,395 करोड़ (2022-23) हो गया।

इसी प्रकार, राजस्व व्यय लगातार 5.54 प्रतिशत¹³ की सीएजीआर से ₹ 36,852 करोड़ (2018-19) से बढ़कर ₹ 48,246 करोड़ (2022-23) हो गया। पूंजीगत व्यय में अंतर-वर्षीय उतार-चढ़ाव ₹ 3,266 करोड़ (2018-19) से ₹ 8,065 करोड़ (2022-23) तक प्रदर्शित हुआ। चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) में पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 3 प्रतिशत की मामूली रूप से कमी आई।

¹¹ सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान को छोड़कर

¹² $\left(\left(\frac{59395}{42520}\right)^{\frac{1}{5}}-1\right)*100$


¹³ $\left(\left(\frac{48246}{36852}\right)^{\frac{1}{5}}-1\right)*100$

इसके अलावा, ऋण और अग्रिम का विवरण 2018-19 से 2020-21 के दौरान ₹ 2,402 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,090 करोड़ हो गया, परंतु 2021-22 में ₹ 1,487 करोड़ (36 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के साथ ₹ 2,603 करोड़ हो गया और फिर बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,084 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में जल और स्वच्छता के लिए ऋण वितरण (₹ 899.16 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

व्यय के घटकों की हिस्सेदारी में प्रवृत्तियाँ

कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर) के घटकों की हिस्सेदारी की प्रवृत्ति चार्ट 2.12 में दर्शाई गई है। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व व्यय कुल व्यय का 81.23 प्रतिशत था जबकि पूंजीगत व्यय तथा ऋण और अग्रिम क्रमशः 13.58 प्रतिशत और 5.19 प्रतिशत था।

चार्ट 2.12: कुल व्यय: इसके घटकों की हिस्सेदारी में प्रवृत्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्षिक हिस्से

व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष हिस्से तालिका 2.15 में दर्शाए गए हैं। कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर) में सामान्य सेवाओं का हिस्सा 2021-22 में 12.86 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 13.38 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.15: कुल व्यय में से विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षिक व्यय हिस्सा
(सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवाएं ¹⁴	7,785	7,472	6,541	7,326	7,947
सामाजिक सेवाएं ¹⁵	23,418	25,717	25,363	31,356	31,744
आर्थिक सेवाएं ¹⁶	6,550	8,041	10,297	12,203	12,297
अन्य (स्थानीय निकाय को सहायता अनुदान एवं अंशदान और रा.रा.क्षे.दि.स. के संस्थान, विभाग आदि को ऋण एवं अग्रिम)	4,767	7,145	7,002	6,072	7,407


सामाजिक सेवाओं का हिस्सा 2021-22 में 55.05 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 53.45 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर व्यय में ₹ 847 करोड़ (9.42 प्रतिशत) की कमी है। इसके अलावा आर्थिक सेवाओं की हिस्सेदारी 2021-22 में 21.42 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2022-23 में 20.70 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय में ₹ 252 करोड़ (19.72 प्रतिशत) की कमी है। स्थानीय निकायों को ऋण एवं अग्रिम और अनुदान के वितरण पर कुल व्यय 2021-22 में 10.66 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 12.47 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ऋण के संवितरण में वृद्धि (₹ 899.16 करोड़) है। गतिविधियों द्वारा कुल व्यय चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

¹⁴ इसमें प्रशासन और वित्तीय सेवाएं जैसे कि भू-राजस्व, उत्पाद शुल्क एवं जीएसटी, जेल, लोक निर्माण, आदि शामिल हैं।

¹⁵ इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, श्रमिक कल्याण, सामाजिक कल्याण आदि शामिल हैं।

¹⁶ इसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण आदि शामिल हैं।

चार्ट 2.13: कुल व्यय (सार्वजनिक ऋण को छोड़कर)-गतिविधियों द्वारा व्यय



2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य की अवसंरचना और सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होगा। तालिका 2.16 पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में राजस्व व्यय को प्रस्तुत करती है। राजस्व व्यय 2018-19 में ₹ 36,852 करोड़ से 30.92 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 48,246 करोड़ हो गया। यह 7.48 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ा जबकि स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में यह 4.99 प्रतिशत (2018-19) से घटकर 4.62 प्रतिशत (2022-23) हो गया। राजस्व व्यय 2021-22 में 4.78 प्रतिशत बढ़कर ₹ 46,043 करोड़ से 2022-23 में ₹ 48,246 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सामान्य शिक्षा पर व्यय में ₹ 1,927.48 करोड़ (18.74 प्रतिशत) की वृद्धि है।

तालिका 2.16: राजस्व व्यय-बुनियादी पैरामीटर

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल व्यय (टीई)	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395
राजस्व व्यय (पु.अ.)	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
पिछले वर्ष से पु.अ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.18	7.56	1.96	13.93	4.78
टीई की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	86.67	81.94	82.14	80.84	81.23
स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रेणी)	7,38,389	7,92,911	7,63,435	9,04,642	10,43,759

(₹ करोड़ में)


पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.92	7.38	(-)3.72	18.50	15.38
आरई/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	4.99	5.00	5.29	5.09	4.62
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में आरई	85.48	84.09	96.54	93.37	76.94
स.रा.घ.उ. (अनुपात) के संदर्भ में राजस्व व्यय उछाल	1.03	1.02	*	0.75	0.31
राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में राजस्व व्यय उछाल	0.80	0.81	*	0.78	0.18

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* चूंकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर ऋणात्मक थी इसलिए उछाल की गणना नहीं की गई।

2022-23 की अवधि के लिए राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.14 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: 2022-23 के लिए राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार वितरण (प्रतिशत में)



2.4.2.1 राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता तालिका 2.17 में दर्शाई गई है:

तालिका 2.17: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्षों में राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2021-22	2022-23	भिन्नता	वृद्धि (+)/ कमी (-) (प्रतिशत में)
2202-सामान्य शिक्षा	10,283.93	12,211.41	1,927.48	18.74
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,537.26	6,401.32	-1135.94	(-)15.07
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,136.53	1,747.43	610.90	53.75
3055-सड़क परिवहन	4,355.88	4,601.40	245.52	5.64
2801-पॉवर	3,266.97	3,182.48	(-)84.49	(-)2.59

राजस्व व्यय के मुख्य शीर्षों में प्रतिशत में बदलाव दो वर्ष की अवधि में भिन्नता को दर्शाता है। शीर्ष के अंतर्गत राजस्व व्यय:

(i) '2202-सामान्य शिक्षा' में ₹ 1,927.48 करोड़ (18.74 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण 'प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता' पर ₹ 430.54 करोड़ (38.32 प्रतिशत), सरकारी माध्यमिक विद्यालयों पर ₹ 848.43 करोड़ (13.02 प्रतिशत) की व्यय में वृद्धि है।

(ii) '2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य' में ₹ 1,135.94 करोड़ (15.07 प्रतिशत) की कमी आई जिसका मुख्य कारण 'अन्य स्वास्थ्य योजनाओं' पर व्यय में ₹ 1,866 करोड़ (111.54 प्रतिशत) की कमी है।

(iii) '2215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता' में ₹ 610.90 करोड़ (53.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण जल आपूर्ति, सीवरेज एवं स्वच्छता के लिए 'स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को सहायता' पर ₹ 726 करोड़ (137.24 प्रतिशत) की व्यय में वृद्धि है।

(iv) '3055-सड़क परिवहन' में सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को ₹ 245.52 करोड़ (5.64 प्रतिशत) की बढ़ी हुई सहायता के कारण वृद्धि हुई।

(v) '2801-पॉवर' में ₹ 84.49 करोड़ (2.59 प्रतिशत) की कमी हुई जिसका मुख्य कारण ट्रांसमिशन और वितरण पर व्यय में ₹ 86.34 करोड़ (2.59 प्रतिशत) की कमी है।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रतिबद्ध व्यय में वेतन और मजदूरी, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय शामिल है। यह सरकारी संसाधनों पर पहला प्रभार

है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन रह जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, व्यय के कुछ अपरिवर्तनीय मद हैं जिन्हें आम तौर पर बदला या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है या वार्षिक आधार पर वैधानिक रूप से आवश्यक हैं, पूंजीगत व्यय आदि जैसे परिवर्तनीय लेनदेन के विपरीत है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मदों को अपरिवर्तनीय व्यय माना जा सकता है:

- (i) आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति।
- (ii) प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति सीएसएस का राज्य शेयर योगदान।
- (iii) प्रभारित व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान।
- (iv) आरक्षित निधियों में वैधानिक अंशदान।
- (v) आरक्षित निधियों में उपकर का स्थानांतरण।
- (vi) स्थानीय निकायों को हस्तांतरण- वेतन और भत्ते के लिए स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण (पूंजीगत व्यय के लिए अंतरण/हस्तांतरण)

प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय के घटक तालिका 2.18 में दिए गए हैं:

तालिका 2.18: प्रतिबद्ध एवं अपरिवर्तनीय व्यय के संघटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन और मजदूरी	10,324.66	11,070.04	11,810.19	12,878.34	14,214.93
पेंशन पर व्यय	3.31	3.56	2.67	3.28	2.76
ब्याज भुगतान	2,867.11	2,751.87	2,873.83	3,274.24	3,266.36
कुल	13,195.08	13,825.47	14,686.69	16,155.86	17484.05
अपरिवर्तनीय व्यय के संघटक					
आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति	5.35	143.41	79.08	74.18	52.13
प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति सीएसएस का राज्य अंशदान	2,273.25	2,772.52	2,868.04	3,207.42	3,768.96
प्रभारित व्यय के रूप में सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान	2,867.11	2,751.87	2,873.83	3,274.24	3,266.36
स्थानीय निकायों को वैधानिक हस्तांतरण	6360.00	6237.00	5515.00	5501.00	7580.00
कुल	11,505.71	11,904.80	11,335.95	12,056.84	14,667.45
राजस्व प्राप्त (आरआर) के प्रतिशत के रूप में					
प्रतिबद्ध व्यय					
वेतन और मजदूरी	23.95	23.49	28.21	26.12	22.67
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
ब्याज भुगतान	6.65	5.84	6.86	6.64	5.21
कुल	30.61	29.34	35.08	32.77	27.88

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व व्यय (आरई) के प्रतिशत के रूप में					
वेतन और मजदूरी	28.02	27.93	29.22	27.97	29.46
पेंशन पर व्यय	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ब्याज भुगतान	7.78	6.94	7.11	7.11	6.77
कुल	35.81	34.88	36.34	35.09	36.24
राजस्व व्यय में अपरिवर्तनीय व्यय की प्रतिशतता					
राजस्व व्यय	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
राजस्व व्यय में अपरिवर्तनीय व्यय की प्रतिशतता	31.22	30.03	28.05	26.19	30.40
गैर-प्रतिबद्ध आरई**	23,656.92	25,811.53	25,727.31	29,887.14	30,761.95
आरई की प्रतिशतता	64.19	65.12	63.66	64.91	63.76
टीई का प्रतिशत***	55.92	53.36	52.29	52.47	51.79
सब्सिडी	2,532.88	3,592.94	4,176.87	4,690.20	4,632.92
गैर-प्रतिबद्ध आरई के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	10.71	13.92	16.24	15.69	15.06

* इसमें केवल दिल्ली के पूर्व विधायकों और स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन शामिल है। रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयता भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।


** गैर-प्रतिबद्ध आरई = राजस्व व्यय में से राजस्व प्रतिबद्ध व्यय घटाकर

*** सार्वजनिक ऋण को छोड़कर

तालिका 2.18 दर्शाती है कि राजस्व व्यय में गैर-प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत 2018-19 में 64.19 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 63.76 प्रतिशत हो गया जिसमें सब्सिडी का अनुपात 10.17 प्रतिशत (2018-19) से 15.06 प्रतिशत (2022-23) तक था।

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का भाग चार्ट 2.15 में दिया गया है।

चार्ट 2.15: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के संघटक का भाग (प्रतिशत में)



वेतन और मजदूरी

वेतन और मजदूरी 2018-19 में ₹ 10,324.66 करोड़ से 37.68 प्रतिशत तक बढ़कर 2022-23 में ₹ 14,214.93 करोड़ हो गई।

ब्याज भुगतान

इसी प्रकार ब्याज भुगतान 2018-19 में ₹ 2,867.11 करोड़ से 13.93 प्रतिशत तक बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,266.36 करोड़ हो गया।

पेंशन

1 जनवरी 2004 या उसके बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए पात्र हैं। योजना के संबंध में कर्मचारी बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता के 10 प्रतिशत का योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता का योगदान अप्रैल 2019 से 10 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया/पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित की जाती है।

रा.रा.क्षे.दि.स. की पेंशन देयताएं भारत सरकार द्वारा वहन की जाती हैं और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. को मुख्य शीर्ष '2071- पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ' एनपीएस और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत नियोक्ताओं के योगदान के लिए वार्षिक बजट आवंटित किया जाता है, जो बाद में एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक के पास अपेक्षित धनराशि जमा करता है।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने कर्मचारी के अंशदान ₹ 437.29 करोड़ और नियोक्ता के हिस्से ₹ 608.25 करोड़ के प्रति एनएसडीएल/ट्रस्टी बैंक में ₹ 1,045.54 करोड़ जमा किए। इसलिए एनपीएस के अंतर्गत 2022-23 के दौरान, कर्मचारी के साथ नियोक्ताओं के अंशदान के प्रति कुछ भी बकाया नहीं था।

अपरिवर्तनीय व्यय

अपरिवर्तनीय व्यय के संघटक, जिनमें आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति प्राप्त केंद्रीय निधि के प्रति सीएसएस का राज्य शेयर अंशदान, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रभारित व्यय के रूप में आदि शामिल हैं, में 2018-19 से 2022-23

की अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि देखी गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, अपरिवर्तनीय व्यय 31.22 प्रतिशत से घटकर 30.40 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 सब्सिडी


रा.रा.क्षे.दि.स. महिला बस यात्रियों (डीटीसी/क्लस्टर बसों के माध्यम से), दिल्ली जल बोर्ड और डिस्कॉम के उपभोक्ताओं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन आदि के लिए सब्सिडी देती है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा सब्सिडी पर किए गए व्यय तालिका 2.19 में दर्शाए गए हैं। सब्सिडी पर किया गया व्यय 2018-19 के दौरान ₹ 2,533 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 4,633 करोड़ (82.91 प्रतिशत) हो गया। 2022-23 में सब्सिडी पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 1.22 प्रतिशत कम हो गया।

तालिका 2.19: 2018-19 से 2022-23 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सब्सिडी	2,533	3,593	4,177	4,690	4,633
राजस्व प्राप्तियां	43,113	47,136	41,864	49,313	62,703
राजस्व व्यय	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी (प्रतिशत में)	5.88	7.62	9.98	9.51	7.39
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी (प्रतिशत में)	6.87	9.06	10.34	10.19	9.60

चार्ट 2.16: सब्सिडी की प्रवृत्ति



राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2021-22 में 9.51 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2022-23 में 7.39 प्रतिशत हो गई। राजस्व व्यय के

प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2021-22 में 10.19 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 2022-23 में 9.60 प्रतिशत हो गई। प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2023) कि संबंधित विभागों से वर्षों में भिन्नता के कारणों की प्रतीक्षा की गई थी।


रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान डिस्कॉम (पॉवर सब्सिडी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) (जल सब्सिडी) और महिला बस यात्रियों (डीटीसी/क्लस्टर/बसों द्वारा निःशुल्क बस यात्रा) के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी तालिका 2.20 में दी गई है।

तालिका 2.20: 2018-19 से 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पॉवर, पानी और निःशुल्क बस यात्रा के लिए दी गई सब्सिडी की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पॉवर सब्सिडी	पानी सब्सिडी	निःशुल्क बस यात्रा
2018-19	1,699.29	425.00	लागू नहीं
2019-20	2,405.59	467.50	114.69
2020-21	2,939.99	600.00	217.04
2021-22	3,250.00	600.00	257.38
2022-23	3,161.22	466.41	400.00

चार्ट 2.17: रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पॉवर, पानी एवं निःशुल्क बस यात्रा के लिए दी गई सब्सिडी की प्रवृत्ति



डिस्कॉम उपभोक्ताओं को दी जाने वाली पॉवर सब्सिडी 2018-19 में ₹ 1,699.29 करोड़ से 86.03 प्रतिशत तक बढ़कर 2022-23 में ₹ 3,161.22 करोड़ हो गई। डीजेबी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली जल सब्सिडी 2018-19 में ₹ 425 करोड़ से 9.74 प्रतिशत तक बढ़कर 2022-23 में ₹ 466.41 करोड़ हो गई। महिला बस

यात्रियों के लिए डीटीसी/क्लस्टर बसों को दी जाने वाली सब्सिडी 2019-20 में ₹ 114.69 करोड़ से 248.77 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में ₹ 400 करोड़ हो गई। प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (सितंबर 2023) कि संबंधित विभागों से वर्षों में भिन्नता के कारणों की प्रतीक्षा की गई थी।

2.4.2.4 रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विवरण तालिका 2.21 में दर्शाया गया है और वित्तीय सहायता की प्रवृत्तियां चार्ट 2.18 में दिखाई गई हैं।


तालिका 2.21: स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता आदि

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(क) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएं (स.अनु. और मुआवजा और असाइनमेंट शामिल है)	6,337	6,222	5,500	5,490	7,564
कुल (क)	6,337	6,222	5,500	5,490	7,564
(ख) अन्य					
दिल्ली छावनी बोर्ड	23	15	15	11	16
दिल्ली जल बोर्ड	2,316	2,855	4,319	2,462	4,106
दिल्ली परिवहन निगम	1,825	2,030	2,475	2,320	2,350
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	507	379	833	384	262
अन्य (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उच्च शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा संस्थान, अस्पताल, सड़क सुरक्षा सैल, आदि सहित)।	4,079	4,732	3,501	5,451	3,927
कुल (बी)	8,750	10,011	11,143	10,628	10,661
कुल (ए+बी)	15,087	16,233	16,643	16,118	18,225
वेतन पर सहा.अनु.	4,267	4,467	4,598	4,628	5,298
पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	1,806	1,563	1,121	804	2,031
सहा.अनु.- सामान्य	4,247	4,703	6,834	8,083	7,813
वस्तु के रूप में दिया गया सहा.अनु.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्व व्यय	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
राजस्व के प्रतिशत के रूप में सहायता	40.94	40.95	41.18	35.01	37.78

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सूचना

चार्ट 2.18: वित्तीय सहायता की प्रवृत्तियां




स्थानीय निकायों और अन्य को वित्तीय सहायता 2021-22 में ₹ 16,118 करोड़ से 13.07 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में ₹ 18,225 करोड़ हो गई। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में, वित्तीय सहायता भी 2021-22 में 35.01 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 37.78 प्रतिशत हो गई।

आगे यह देखा गया कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान वेतन संघटक पर सहायता में निरंतर वृद्धि देखी गई थी।

हालांकि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता में 2018-19 से 2021-22 तक गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई और पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसा कि चार्ट 2.19 (ए) में दर्शाया गया है:


चार्ट 2.19 (ए): स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता की प्रवृत्ति



इस प्रकार, भिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता में 2018-19 से 2021-22 के दौरान उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई और 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना

में मामूली रूप से 0.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसा कि चार्ट 2.19 (बी) में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.19 (बी): अन्यो को वित्तीय सहायता की प्रवृत्ति




राजस्व घाटा अनुदान:

दो निकाय अर्थात् दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) राजस्व अनुदान के माध्यम से अपनी व्यवहार्यता अंतर को पूरा करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. पर निर्भर थे क्योंकि उनका राजस्व परिचालन लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. ने डीजेबी और डीटीसी को क्रमशः ₹ 3,200 और ₹ 11,000 करोड़ का भुगतान किया था।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में सड़कें, इमारतें आदि जैसे अचल बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय शामिल है। पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को चार्ट 2.20 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 2.20: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पूंजीगत व्यय



चार्ट 2.20 से देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय अंतरवर्षीय उतार चढ़ाव के साथ ₹ 3,266 करोड़ से ₹ 8,065 करोड़ के बीच दिखाया गया। पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में ₹ 8,311 करोड़ से घटकर ₹ 8,065 करोड़ (2.96 प्रतिशत) रह गया। इसके अतिरिक्त 2018-19 से 2022-23 तक पूंजीगत व्यय निरंतर पूंजीगत बजट से कम हो गया। उक्त अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय निरंतर स.रा.घ.उ. के 1 प्रतिशत से कम था।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

पूंजीगत व्यय के मुख्य शीर्षों में परिवर्तन तालिका 2.22 में दिखाए गए हैं।

तालिका 2.22: 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)			
मुख्य लेखा शीर्ष (एमएच)	2021-22	2022-23	वृद्धि (+)/कमी (-) प्रतिशत में
4202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	1,999.78	1,249.51	(-) 37.52
4210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय	1,457.20	1,745.71	(+) 19.80
5054- सड़कें और पुलों पर पूंजीगत व्यय	1,270.42	1,556.12	(+) 22.49
5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत व्यय	1,277.68	1,026.07	(-) 19.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति (एमएच-4202) पर पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 37.52 प्रतिशत (₹ 750.27 करोड़) की कमी आई जिसका मुख्य कारण इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेजों और संस्थानों पर व्यय में ₹ 460 करोड़ (82.22 प्रतिशत) और माध्यमिक शिक्षा पर 223.81 करोड़ (23.85 प्रतिशत) की कमी है। पुलों और सड़क कार्यों के निर्माण पर व्यय में ₹ 330.72 करोड़ (₹ 36.51 करोड़) की वृद्धि के कारण सड़क और पुलों (एमएच-5054) पर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 285.70 करोड़ (22.49 प्रतिशत) बढ़ गया। अस्पतालों और औषधालयों पर व्यय में ₹ 277.99 करोड़ (19.37 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण चिकित्सा और जन स्वास्थ्य (एमएच-4210) पर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 288.51 करोड़ (19.80 प्रतिशत) बढ़ गया। सड़क परिवहन (एमएच-5055) पर पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 19.69 प्रतिशत (₹ 251.61 करोड़) कम हो गया जिसका मुख्य कारण सा.क्षे.उ. और अन्य उपक्रमों में ₹ 463.05 करोड़ (56.50 प्रतिशत) का निवेश है।

2.4.3.2 निवेश और रिटर्न

31 मार्च 2023 तक सरकार ने सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थानों में ₹ 21,054 करोड़ का निवेश किया था। पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में निवेश में ₹ 343 करोड़ की वृद्धि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में किए गए निवेश के कारण हुई। निवेश पर रिटर्न 2022-23 में 0.49 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2022-23 के दौरान इसकी उधारी पर औसत दर 6.15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया। विवरण तालिका 2.23 में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.23: निवेश पर रिटर्न

निवेश/रिटर्न/उधार की लागत	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में) (ए)	19,261	19,411	19,911	20,711	21,054
रिटर्न (₹ करोड़ में)	14.31	15.84	9.80	89.58	103.79
रिटर्न (प्रतिशत) (बी)	0.07	0.08	0.05	0.43	0.49
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत) (सी)	8.64	8.14	7.04	6.50	6.15
ब्याज दर और रिटर्न के बीच अंतर (प्रतिशत) (सी-बी)	8.57	8.06	6.99	6.07	5.66
वर्ष के अंत में निवेश पर सरकारी उधार और रिटर्न पर ब्याज के बीच अंतर (₹ करोड़ में) [(सी-बी)*ए]	1,651	1,565	1,392	1,257	1,192

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सरकार द्वारा निवेश 2018-19 से 2022-23 तक पांच वर्ष की अवधि में 9.31 प्रतिशत तक बढ़ गया। रा.रा.क्षे.दि.स. 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान इसकी उधारी पर 6.15 प्रतिशत से 8.64 प्रतिशत के बीच ब्याज दर का भुगतान किया। जबकि इसी अवधि के दौरान 0.05 प्रतिशत से 0.49 प्रतिशत (विगत लागत पर) था। पांच वर्षों के दौरान वितरित एवं वसूल किए गए ऋण तालिका 2.24 में दिए गए हैं।

तालिका 2.24: पांच वर्ष के दौरान वितरित व वसूले गए ऋण की राशि

(₹ करोड़ में)

वितरित व वसूल किए गए ऋण की राशि	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	63,812	64,570	67,014	70,473	72,454
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	2,402	3,266	4,090	2,604	3,084
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	1,644	823	631	623	1,258
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	64,570	67,014	70,473	72,454	74,280
निवल जोड़	758	2,444	3,459	1,981	1,826
प्राप्त किया गया ब्याज	113	404	468	336	46
बकाया ऋणों और अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियां	0.18	0.60	0.66	0.46	0.06
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.64	8.14	7.04	6.50	6.15
भुगतान किए गए ब्याज की दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	8.46	7.54	6.38	6.04	6.09

2022-23 के दौरान, पिछले वर्ष के दौरान ₹ 2,604 करोड़ के प्रति ₹ 3,084 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई थी। वर्ष की शुरुआत में दिल्ली जल बोर्ड (₹ 3,261.19 करोड़), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (₹ 1,545.17 करोड़) और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (₹ 2.15 करोड़) पर ₹ 39,334.02 करोड़ की राशि का ऋण बकाया था। इसके अतिरिक्त इन ऋणी संस्थाओं को पहले के ऋणों की वसूली के बिना ₹ 2,983.55 करोड़ का और ऋण वितरित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा दिए गए कुल बकाया ऋण वर्ष 2021-22 में ₹ 72,454 करोड़ से ₹ 1,826 करोड़ बढ़कर 2022-23 में ₹ 74,280 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में ऋणों की वसूली में क्रमशः ₹ 635 करोड़ (101.93 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और ब्याज प्राप्तियों में क्रमशः ₹ 290 करोड़ (86.31 प्रतिशत) की कमी आई। 2022-23 के दौरान प्राप्त ब्याज बकाया ऋण और अग्रिम का केवल 0.06 प्रतिशत था।

इसके अतिरिक्त 1997-98 से 1998-99 की अवधि के लिए दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय निगम को ₹ 17.93 करोड़ की राशि का ऋण दिया गया।

2.4.3.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई), रा.रा.क्षे.दि.स. की इक्विटी और बकाया ऋण का वित्त लेखाओं के आंकड़ों के साथ मिलान

राज्य पीएसई के रिकॉर्ड के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण के संबंध में आंकड़े रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में दिखाई देने वाले आंकड़ों से मिलना चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित एसपीएसई और वित्त विभाग के अंतर (मतभेदों) का समाधान करना चाहिए। 31 मार्च 2023 तक इक्विटी और ऋण के आंकड़ों में अंतर नीचे तालिका 2.25 में दिया गया है:

तालिका 2.25: राज्य पीएसई के अभिलेखों तथा वित्त लेखाओं के अनुसार इक्विटी और बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	इक्विटी और बकाया ऋण		अंतर
	वित्त लेखाओं के अनुसार	एसपीएसई के अभिलेखों के अनुसार	
कुल इक्विटी	9297.91	9191.73	95.42*
कुल ऋण	15601.30	15597.89	3.41

स्रोत: एसपीएसई और वित्त लेखे, रा.रा.क्षे.दि.स. से रिकॉर्ड

₹ 10.76 करोड़ का अंतर जीएसडीएल की इक्विटी में निवेश के कारण है, जिसे वित्त लेखाओं में दर्शाया गया है लेकिन जीएसडीएल से संबंधित जानकारी प्रतीक्षित है।

इक्विटी में आंकड़ों के बीच अंतर डीटीआईडीसी (₹ 95.42 करोड़) से संबंधित है और ऋण में डीएसएफडीसी (₹ 1.58 करोड़) है। डीएससीएससी (₹ 2.22 करोड़), डीटीटीडीसी (₹ 3.15 करोड़) और पीपीसीएल (₹ 3.54 करोड़) से संबंधित है।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार और एसपीएसई समयबद्ध तरीके से अंतर का समाधान करें।

2.4.4 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता


तालिका 2.26 और चार्ट 2.21 वर्ष 2018-19 और 2022-23 के दौरान पूंजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में दिल्ली के रा.रा.क्षे. सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दिखाता है।

तालिका 2.26: 2018-19 और 2022-23 रा.रा.क्षे.दि.स. की राजकोषीय प्राथमिकता (प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कु.व्य./स.रा.घ.उ.	पूं.व्य./कु.व्य.	शिक्षा/कु.व्य.	स्वास्थ्य/कु.व्य.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अनुपात) 2018-19	5.76	7.26	24.80	12.92
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अनुपात) 2022-23	5.69	12.53	23.69	13.89

ईई: राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण और अग्रिम;
सीई: पूंजीगत व्यय (सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर)
स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त लेखे

चार्ट 2.21: 2018-19 और 2022-23 के दौरान सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकता (प्रतिशत में)



स.रा.घ.उ. के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2018-19 में 5.76 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 5.69 प्रतिशत हो गया। कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी में भी इस अवधि के दौरान 7.26 प्रतिशत से 12.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल व्यय में स्वास्थ्य पर व्यय का हिस्सा भी इस अवधि में 12.92 प्रतिशत से बढ़कर 13.89 प्रतिशत हो गया है। हालांकि इसी अवधि में कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय का हिस्सा 24.80 प्रतिशत से घटकर 23.69 प्रतिशत हो गया।

2.5 सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को खुले बाजार से ऋण जुटाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए आवश्यक सभी ऋण भारत की संचित निधि से दिये जाते हैं। भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ऋण प्राप्तियां शामिल होती हैं।

2.5.1 सरकारी खर्चों से बाहर की धनराशि

ए) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और बीओसीडब्ल्यू (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 किसी भी इमारत या अन्य निर्माण कार्य में पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन दस या अधिक भवन निर्माण श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को कवर करता है। अधिनियम, अन्य बातों के अलावा, श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों में सुधार लाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कल्याण बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है, और निर्माण कार्य की लागत पर उपकर लगाने और संग्रह के माध्यम से कल्याण बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने बीओसीडब्ल्यू (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड" को अधिसूचित किया (सितंबर 2002) और उपकर दो प्रतिशत से अनधिक और एक प्रतिशत से कम न होने वाली दर पर लगाती है।

समय-समय पर संशोधित दिल्ली बीओसीडब्ल्यू नियम 2002, पंजीकृत श्रमिकों से ₹ 25 के पंजीकरण शुल्क के संग्रह का प्रावधान करता है। ठेकेदारों के बिलों से

उपकर काटने के बाद, सरकारी विभाग और निजी संस्थाएं इसे चेक के माध्यम से श्रम विभाग के अधिसूचित उपकर संग्रहकर्ताओं (श्रम अधिकारी और निरीक्षक) को सौंप देते हैं। चेक प्राप्त होने के बाद, उपकर संग्रहकर्ता इन्हें जिला कार्यालयों में तैनात बोर्ड कर्मचारियों को सौंप देते हैं, जो बदले में चेक को बैंक में जमा करते हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

सरकारी खातों से बाहर रखा गया धन

2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान उपकर की प्राप्तियों और उपयोग का विवरण नीचे तालिका 2.27 में दिया गया है:

तालिका 2.27: 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान उपकर की प्राप्तियों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियां				व्यय			
	संग्रहित उपकर	लाभार्थी योगदान	अर्जित ब्याज	कुल	योजनाओं पर व्यय	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय	निवल प्राप्तियां
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
प्रारंभिक शेष								2385.80
2018-19	215.51	0.08	155.13	370.72	3.12	3.28	6.40	364.32
2019-20	215.47	0.22	215.97	431.66	48.89	3.79	52.68	378.98
2020-21	221.35	0.74	165.47	387.56	36.95	4.57	41.52	346.04
2021-22	244.69	3.34	109.54	357.57	458.08	7.05	465.13	-107.56
2022-23	374.46	1.19	221.98	597.63	60.95	5.08	66.03	531.60
कुल	1271.48	5.57	868.09	2,145.14	607.99	23.77	626.76	3,899.18
घटा: मार्च 2023 तक कटौती/जमा की गई आय								-319.98
निवल राशि उपलब्ध है								3,579.20

स्रोत: दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के दस्तावेज

बोर्ड द्वारा साझा किए गए उपरोक्त विवरण के अनुसार 31 मार्च 2023 तक बोर्ड के पास ₹ 3,579.20 करोड़ उपलब्ध थे। यह पाया गया कि:

- श्रम आयुक्त कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 16 अगस्त 2005 को सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी निकायों को निविदा अधिसूचना के अनुसार ऐसे भुगतान करने के 30 दिनों के भीतर, दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) के पक्ष में, ठेकेदारों को एसी अदाकर्ता चेक के माध्यम से भुगतान करते समय अनुमोदित लागत की राशि का एक प्रतिशत श्रम उपकर सहित बिलों को भेजने का निर्देश दिया। बाद में, बोर्ड ने एकत्रित उपकर को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से सीधे संबंधित जिले के बैंक खाते में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए (नवंबर 2017)।

उपकर के लेखांकन के लिए अपनाया गया तंत्र बीओसीडब्ल्यू उपकर नियम, 1998 के अनुरूप नहीं है, जो प्रावधान करता है कि एकत्रित उपकर को राज्य की लेखा प्रक्रियाओं के अंतर्गत बोर्ड के खाते के शीर्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। तदनुसार एकत्रित उपकर को सार्वजनिक खाते में दर्शाया जाना चाहिए और वहां से इसे बोर्ड खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है।

मामला श्रम विभाग को सूचित किया गया (अगस्त 2023 और दिसंबर 2023) और उत्तर प्रतीक्षित है।

बी) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग निधि का संचालन न होना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 में प्रावधान है कि राज्य सरकार राज्य विद्युत विनियामक आयोग निधि (एसईआरसीएफ) नामक एक निधि का गठन करेगी और राज्य सरकार द्वारा राज्य आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋण, अधिनियम के अंतर्गत राज्य आयोग द्वारा प्राप्त और राज्य सरकार द्वारा तय किए गए ऐसे अन्य स्रोतों से आयोग द्वारा प्राप्त सभी रकम, सभी शुल्क को उसमें जमा किया जाएगा। तदनुसार, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार डीईआरसीएफ के निर्माण के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुरोध किया था (जुलाई 2003)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि लगभग दो दशक बीत जाने के बावजूद रा.रा.क्षे.दि.स. ने निधियों का गठन नहीं किया और लाइसेंस/प्रसंस्करण शुल्क के कारण डीईआरसी को ₹ 10.31 करोड़ (2022-23 के दौरान) की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए एसएफएआर में शामिल अभ्युक्तियों के जवाब में पावर विभाग ने कहा (मई 2023) कि डीईआरसी निधि सृजित करने का कार्य प्रक्रियाधीन था।

2.5.2 ऋण प्रोफाइल: संघटक

तालिका 2.28 पिछले पांच वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण प्रोफाइल का समय श्रृंखला विश्लेषण देती है।

तालिका 2.28: भारत सरकार से ऋण और रा.रा.क्ष.दि.स. के ऋण की प्रोफाइल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	ऋण प्राप्ति	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	समाप्त शेष	वृद्धि/कमी	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता
2018-19	33,568.69	2,880.00	3,636.35	32,812.34	(-)756.35	(-)2.25
2019-20	32,812.34	4,765.60	2,811.10	34,766.84	1,954.50	5.96
2020-21	34,766.84	15,365.00	3,265.17	46,866.67	12,099.83	34.80
2021-22	46,866.67	11192.67	4,215.16	53,844.18	6,977.51	14.89
2022-23	53844.18	3251.22	4,715.16	52,380.24	(-)1463.94	(-)2.72

2022-23 के अंत में प्रभावी बकाया ऋण ₹ 40,322 करोड़ (₹ 52,380 करोड़ (-) ₹ 6,193 करोड़ (-) ₹ 5,865 करोड़) होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि जीएसटी मुआवजा ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) और ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत राज्य को बैंक टू बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) को राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार, सरकार का प्रभावी ऋण 2018-19 के अंत में ₹ 32,812 करोड़ से ₹ 7,510 करोड़ (22.89 प्रतिशत) बढ़कर 2022-23 के अंत में ₹ 40,322 करोड़ हो गया।

2.5.3 ऋण प्रोफाइल की परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान प्रोफाइल ऋण पुनर्भुगतान या ऋण सेवा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करती है। सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल को (₹ 5,23,80.21 करोड़) तालिका 2.29 एवं चार्ट 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.29: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल

ऋण का पुनर्भुगतान				
पुनर्भुगतान की अवधि	भा.स. से ऋण तथा अग्रिम# (मूलधन) (₹ करोड़ में)	ब्याज (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	ऋण की प्रतिशतता (मूलधन (ii) में दर्शाया गया है)
(i)	(ii)	(iii)	(iv) [(ii)+(iii)]	(v) [(ii)*100/52380.94]
2023-24	4,993.69	3094.31	8,088.00	9.53
2024-25	4,914.32	2666.08	7,580.40	9.38
2025-26	4,641.66	2246.19	6,887.85	8.86
2026-27	4,253.71	1853.16	6,106.87	8.12
2027-28	4,084.15	1498.63	5,582.78	7.80
2028-29	3,893.52	1159.01	5,052.53	7.43
2029-30	3,393.12	835.41	4,228.53	6.48
2030-31	2,752.44	555.71	3,308.15	5.25
2031-32	1,507.61	332.33	1,839.94	2.88
2032-33	807.51	207.26	1,014.77	1.54
2033-34	445.08	137.70	582.78	0.85
2034-35	423.65	95.41	519.06	0.81
2035-36	335.20	55.17	390.37	0.64


ऋण का पुनर्भुगतान				
पुनर्भुगतान की अवधि	भा.स. से ऋण तथा अग्रिम# (मूलधन) (₹ करोड़ में)	ब्याज (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)	ऋण की प्रतिशतता (मूलधन (ii) में दर्शाया गया है)
2036-37	115.75	23.32	139.07	0.22
2037-38	87.95	12.33	100.28	0.17
2038-39	41.83	3.97	45.80	0.08
कुल	36,691.16*	14775.99	51467.15**	70.05
अन्य	15,689.05***			29.95
कुल योग	52,380.21			100.00

नोट: *और ** यह केवल एनएसएसएफ ऋण के पुनर्भुगतान से संबंधित है। 0.03 करोड़ का अंतर है, जो आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण है।

*** इसमें ₹ 12,058 करोड़ के जीएसटी मुआवजे के प्रति भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण, 2013-14 के दौरान डीईएसयू के बकाया के निपटान के लिए प्राप्त ऋण, चंद्रावल (2018-19) में डब्ल्यूटीपी का पुनर्वास आदि शामिल हैं।

सभी ऋण भारत की समेकित निधि से रा.रा.क्षे.दि.स. को दिए गए हैं।

चार्ट 2.22: ऋण परिपक्वता प्रोफाइल



सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल इंगित करती है कि 2023-24, 2024-26, 2026-28 और 2028-30 की अवधि के दौरान ऋण (ब्याज के अतिरिक्त) के पुनर्भुगतान के लिए राज्य की देनदारी क्रमशः ₹ 4,993.69 करोड़ (9.53 प्रतिशत) ₹ 9,555.98 करोड़ (18.24 प्रतिशत), ₹ 8,337.86 करोड़ (15.92 प्रतिशत) और ₹ 7,286.64 करोड़ (13.91 प्रतिशत) होगी। इसके अलावा, कुल सार्वजनिक ऋण का ₹ 6,517.02 करोड़ (12.45 प्रतिशत) सात वर्षों के बाद पुनर्भुगतान करना होगा।

2.6 ऋण धारणीयता

ऋण धारणीयता विश्लेषण राजकोषीय और ऋण मापदंडों के आधार पर किया गया है; डोमर पद्धति तथा संबंधित एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम) लक्ष्यों के लिए वृहत-राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन करता है। विश्लेषण के परिणाम निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए गए हैं:

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा ऋण धारणीयता निर्धारित करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। एफआरबीएम दिल्ली के लिए लागू नहीं है।

क. ऋण धारणीयता का तात्पर्य किसी राज्य की भविष्य में अपने ऋण को पुनर्भुगतान की क्षमता से है। यह भाग वृद्धि दर, बकाया ऋण, ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों के अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान और ऋण प्राप्तियों और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लिए उपलब्ध निवल ऋण के संदर्भ में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ऋण की धारणीयता का आकलन करता है। तालिका 2.30 2018-19 से 2022-23 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए इन संकेतकों के अनुसार रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.30: ऋण धारणीयता: संकेतक और प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता संकेतक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल बकाया ऋण * (वर्ष 31 मार्च तक)	32,812	34,767	41,002	41,786	40,322
बकाया कुल ऋण की वृद्धि दर	-2.25	5.96	17.93	1.91	-3.5
स.रा.घ.उ.	7,38,389	7,92,911	7,63,435	9,04,642	10,43,759
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर	8.92	7.38	-3.72	18.50	15.38
कुल ऋण/स.रा.घ.उ.	4.44	4.38	5.37	4.62	3.86
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की परिपक्वता ऋण प्रोफाइल	3,636	2,811	3,265	4,215	4,715
बकाया सार्वजनिक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)**	8.64	8.14	7.04	6.50	6.15
सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान	2,867	2,752	2,874	3,274	3,266
ब्याज भुगतान किए बिना राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	9,128	10,251	4,324	6,544	17,723
ब्याज भुगतान के कारण राजस्व अधिशेष	6,261	7,499	1,450	3,270	14,457
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	6.65	5.84	6.87	6.64	5.21
ऋण प्राप्तियों के ऋण पुनर्भुगतान की प्रतिशतता	126.25	58.99	34.37	84.3	145.03
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण [§]	-3,623	-798	3,361	-2,489	-4,766
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	-125.8	-16.75	35.38	-49.78	-148.24
प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	5,104	2,336	-3,834	-3,747	7,832
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड [#] + प्राथमिक घाटा)	5,196	2,072	-8,246	1,267	11,554

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।


* केंद्र सरकार से बकाया सार्वजनिक ऋण '6003-आंतरिक ऋण' और '6004-ऋण और अग्रिम' शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष राशि का योग है। 2020-21 और 2021-22 के दौरान, इसमें क्रमशः ₹ 5,865 करोड़ और ₹ 12,058 करोड़ शामिल नहीं हैं (₹ 5,865 करोड़ + ₹ 6,193 करोड़) जीएसटी मुआवजे की कमी के एवज में भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में, जिसे राज्य द्वारा अपने संसाधनों से पुनर्भुगतान नहीं किया जाना है। इन बैंक टू बैंक ऋणों को छोड़ने के बाद रा.रा.क्षे.दिस. के कुल प्रभावी ऋण क्रमशः वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के अंत तक में क्रमशः 41,002 करोड़, ₹ 41,786 करोड़ और ₹ 40,322 करोड़ था।

** भुगतान किया गया ब्याज/(सार्वजनिक ऋण का प्रा.शे+सार्वजनिक ऋण का अं.शे/2 (प्रतिशत में))

§ राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान और सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान पर सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों की अधिकता के रूप में की जाती है।

क्वांटम स्प्रेड = बकाया ऋण X (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर - बकाया ऋण की औसत ब्याज दर)

चार्ट 2.23: ऋण धारणीयता: संकेतक और रूझान



- कम होता हुआ ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को स्थिरता की ओर अग्रसर माना जा सकता है। ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात 2018-19 में 4.44 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.86 प्रतिशत हो गया।
- राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का अनुपात 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान 6.65 प्रतिशत (2018-19) से घटकर 5.21 प्रतिशत (2022-23) हो गया।
- 2022-23 के दौरान सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान (₹ 4,715 करोड़) सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों (₹ 3,251 करोड़) से अधिक था।
- सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों में सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत जितना अधिक होगा, उत्पादकता के बजाय ऋण भुगतान के लिए उपयोग किए गए ऋण का अनुपात उतना ही अधिक होगा। 2018-2023 की अवधि के दौरान सार्वजनिक ऋण भुगतान और सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का अनुपात 34.37 प्रतिशत से 145.03 प्रतिशत तक था, जिसका अर्थ है कि अधिकांश सार्वजनिक उधार का उपयोग पहले के उधार के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जिससे उत्पादकता के उपयोग के लिए कम जगह बची थी। परिणामस्वरूप चालू वर्ष में पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2.96 प्रतिशत कम हो गया है।

ख) ई.डी. डोमर के एक अध्ययन के आधार पर ऋण धारणीयता पर एक विश्लेषण किया गया था। डोमर मॉडल बताता है कि सार्वजनिक ऋणग्रस्तता की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधार यह है कि सरकारी ऋण की ब्याज दरें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सार्वजनिक ऋण की गतिशीलता स.रा.घ.उ. की ब्याज दर की वृद्धि दर पर निर्भर करती है और प्राथमिक बजट शेष इस प्रकार है:

जी-आर (जी-वास्तविक आर्थिक विकास दर: आर-वास्तविक ब्याज दर)	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी आर>0(मजबूत आर्थिक विकास)	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम स्थिर स्तर पर पहुँचना चाहिए जिससे सार्वजनिक बचत हो।
जी आर<0 (धीमा आर्थिक विकास)	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए	अपरिभाषित स्थिति

दिल्ली के मामले में उपर्युक्त मापदंडों को लागू करने के परिणाम तालिका 2.31 में दिखाए गए हैं

तालिका 2.3.1: डोमर मॉडल पर आधारित ऋण धारणीयता विश्लेषण

वर्ष	वास्तविक वृद्धि (जी) ¹⁷	वास्तविक ब्याज (आर) ¹⁸	जीआर (डोमर गैप)	प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष(+) (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
2018-19	4.30	5.98	-1.68	5104	अपरिभाषित स्थिति
2019-20	3.69	4.40	-0.71	2336	अपरिभाषित स्थिति
2020-21	-6.57	4.00	-10.57	-3834	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को स्थिर स्तर पर लाए बिना अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए
2021-22	9.14	0.50	8.64	-3747	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए
2022-23	9.18	2.15	7.03	7832	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए

विषय अवधि के शुरुआती दो वर्षों अर्थात 2018-19 से 2019-20 में, राज्य में प्राथमिक अधिशेष था लेकिन डोमर गैप ऋणात्मक रहा। यह एक अपरिभाषित स्थिति का द्योतक है। वर्ष 2020-21 में, डोमर गैप ऋणात्मक रहा, जबकि

¹⁷ स्थिर मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (आधार वर्ष 2011-12)

¹⁸ वास्तविक ब्याज = नाममात्र ब्याज दर (तालिका 2.30 के अनुसार) घटा वार्षिक मुद्रास्फीति दर (एमओएसपीआई की वेबसाइट के अनुसार)

प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को स्थिर स्तर पर परिवर्तित किए बिना, अनिश्चित काल तक बढ़ना चाहिए। वर्ष 2021-22¹⁹ के दौरान, डोमर गैप सकारात्मक हो गया और प्राथमिक घाटा पिछले वर्ष से कम स्तर पर जारी रहा। इससे पता चला कि स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण को शून्य से अधिक स्थिर स्तर पर लाना चाहिए। चालू वर्ष 2022-23 में, जब डोमर गैप सकारात्मक रहा, राज्य ने प्राथमिक अधिशेष की सूचना दी, जिससे पता चला कि स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक ऋण शून्य से कम स्थिर स्तर पर परिवर्तित होना चाहिए, जिससे सार्वजनिक बचत होगी। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास पर निर्भर रहना (2021-2023 से जी-आर>0 के रूप में अभिव्यक्त) राज्य दायित्वों से ऋण को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

2.7 निष्कर्ष

कुछ सकारात्मक संकेतकों और जिन पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता है, उनका स्नैपशॉट तालिका 2.32 में दिया गया है।

तालिका 2.32: मुख्य मापदंड

सकारात्मक संकेतक	कड़ी निगरानी के लिए आवश्यक पैरामीटर
<ul style="list-style-type: none"> राजस्व प्राप्तियाँ 27.15 प्रतिशत बढ़ गईं। स्वयं कर प्राप्तियाँ 18.35 फीसदी तक बढ़ गईं। सार्वजनिक ऋण के पुनर्भुगतान में वृद्धि 11.86 प्रतिशत तक हो गई। 	<ul style="list-style-type: none"> गैर-कर प्राप्तियाँ 29.75 प्रतिशत तक थीं ऋण एवं अग्रिम वितरण में 18.48 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय 2.96 प्रतिशत तक कम हो गया।

¹⁹ पोस्ट कोविड के दौरान स.रा.घ.उ. (जी) और डोमर-गैप (जीआर) की वास्तविक वृद्धि दर (अर्थात् 2021-22 और 2022-23) को अगले वर्ष के दौरान स.रा.घ.उ. विकास दर की गणना के लिए निम्न आधार के दौरान नकारात्मक स.रा.घ.उ. के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-3

बजटीय प्रबंधन


3.1 बजटीय प्रक्रिया

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 27 के अनुसार, उपराज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का एक विवरण प्रत्येक वर्ष विधानमंडल के समक्ष रखेगा।

व्यय का अनुमान व्यय के 'प्रभारित' एवं 'दत्तमत' मदों को अलग-अलग दिखाता है तथा राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई व्यय करने से पहले विधायी प्राधिकार आवश्यक है।


बजट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए रोडमैप का विवरण देने का एक साधन है। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अगस्त में, बजट परिपत्र जारी करने के साथ बजट प्रक्रिया शुरू होती है, यह विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने अनुमानों को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। रा.रा.क्षे.दि.स. में एक बजट तैयार करने की विशिष्ट प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दी गई है:

चार्ट 3.1: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट



बजट के विभिन्न घटकों को चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए विनियोजन लेखे

3.1.1 वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य की एक संक्षिप्त स्थिति इसके आगे दत्तमत/प्रभारित में विभाजन के साथ तालिका 3.1 (क) में दी गई है:

तालिका 3.1: (क) 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
राजस्व	51,963.61	3,785.05	44,925.78	3,738.72	7,037.83	46.33
पूँजीगत	12,831.28	60.10	8,509.24	39.61	4,322.04	20.49
सार्वजनिक ऋण	0.00	4,715.17	0.00	4,715.16	0.00	0.01
ऋण एवं अग्रिम	5,772.07	1.00	3,084.06	0.00	2,688.01	1.00
कुल	70,566.96	8,561.32	56,519.08	8,493.49	1,4047.88	67.83

रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपनी गतिविधियों/योजनाओं पर व्यय करने के लिए ₹ 79,128.28 करोड़ की परिकल्पना की थी जिसके प्रति निवल संवितरण/व्यय ₹ 64,110.35¹ करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15,017.93 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त निवल संवितरण/व्यय

¹ ₹ 65,012.57 करोड़ - ₹ 902.22 करोड़ (वसूलियाँ)

₹ 67,211.72 करोड़ की कुल प्राप्तियों से मेल खाता था जो कि स्वीकृत बजट का लगभग 85 प्रतिशत था। वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यय अनुमान लगाना अभावपूर्ण बजट प्रक्रिया की ओर संकेत करता है।

तालिका 3.1 (ख) कुल प्राप्तियों और कुल व्यय की तुलना में बजट उपयोग की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	कुल बजट में व्यय की प्रतिशतता ²	कुल बजट में प्राप्ति की प्रतिशतता ³
2018-19	58177.14	79.49	81.88
2019-20	64180.68	79.75	82.15
2020-21	65891.87	79.63	87.81
2021-22	72081.08	85.00	85.00
2022-23	79128.28	81.02	84.94

तालिका 3.1 (ख) से देखा जा सकता है कि कुल बजट की तुलना में प्राप्ति का प्रतिशत 82-88 प्रतिशत के बीच था और कुल बजट की तुलना में संबंधित व्यय 80-85 प्रतिशत के बीच था। वास्तविक आवश्यकता से अधिक व्यय का अनुमान लगाना अपूर्ण बजट प्रक्रिया का द्योतक था।

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए प्रभारित तथा दत्तमत में कुल संवितरण का अलग-अलग विवरण तालिका 3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.2: 2018-19 से 2022-23 के दौरान संवितरण तथा बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान			संवितरण			बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत	प्रभारित	कुल	दत्तमत (प्रतिशत में)	प्रभारित (प्रतिशत में)
2018-19	51,230.42	6,946.72	58,177.14	39,550.58	6,793.98	46,344.56	11,679.84 (22.80)	152.74 (2.20)
2019-20	57,305.74	6,874.94	64,180.68	45,632.91	5,877.12	51,510.03	11,672.83 (20.37)	997.82 (14.51)
2020-21	58,932.64	6,959.23	65,891.87	46,442.27	6,453.49	52,895.76	12,490.37 (21.19)	505.74 (7.27)
2021-22	63,998.48	8,082.60	72,081.08	53,660.30	7,881.70	61,542.00	10,338.18 (16.15)	200.90 (2.49)
2022-23	70,566.96	8,561.32	79,128.28	56,519.08	8,493.49	65,012.57	14,047.88 (19.91)	67.83 (0.79)

² सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है

³ ऋण प्राप्तियाँ शामिल हैं

तालिका 3.2 से देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान बजट के 'दत्तमत' हिस्से के अंतर्गत बचत 16.15 से 22.80 प्रतिशत के बीच रही जबकि बजट के 'प्रभारित' हिस्से के अंतर्गत बचत 0.79 से 14.51 प्रतिशत के बीच थी।

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अंतर्गत पारित विनियोजन अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुदान की राशि (दत्तमत और प्रभारित) की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। विनियोजन लेखे **सकल आधार** पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पित राशियां तथा पुनर्विनियोजन को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं तथा विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं, जो कि विनियोजन अधिनियम द्वारा बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के संबंध में अधिकृत है। इस प्रकार, विनियोजन लेखे निधियों के उपयोग, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की समझ को सुविधाजनक बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे का पूरक होता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किए गए व्यय विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अंतर्गत हैं। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संगत नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है। इस अध्याय में वर्ष 2022-23 के लिए लेखा नियंत्रक, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा तैयार किए गए विनियोजन लेखे के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं।

विनियोजन लेखे की संवीक्षा से पता चला कि कुल बचत ₹ 14,115.71 करोड़ (₹ 79,128.28 करोड़ के कुल बजट का 17.84 प्रतिशत) की थी जिसमें से ₹ 6538.24 करोड़ (कुल बचत का 46.32 प्रतिशत) की राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति से पूर्व अभ्यर्पित की गई तथा समय पर बचत को अभ्यर्पण न करने के कारण ₹ 7,577.47 करोड़ (कुल बचत का 53.68 प्रतिशत) व्यपगत हो गए।

3.2.1 बजट लक्ष्य-प्राप्ति

कुल बजट आउटटर्न

कुल बजट आउटटर्न उस सीमा को मापता है, जिस सीमा तक कुल बजट व्यय का आउटटर्न/वास्तविक व्यय अनुमोदित से कम और अनुमोदित से अधिक दोनों स्थितियों में वास्तविक अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल स्वीकृत बजट (ब.अ.)	वास्तविक आउटटर्न	वास्तविक और बजट अनुमान के बीच अंतर
राजस्व	53,717.29	48664.50	(-)5,052.79
पूँजीगत	22,112.65	16,348.07	(-)5,764.58
कुल	75,829.94	65,012.57	(-)10,817.37

राजस्व खण्ड में, ब.अ. की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 9.41 प्रतिशत था। यह नौ अनुदानों में (-) 7.83 से 25 प्रतिशत तक, तीन अनुदानों में +25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक और एक अनुदान में +50 से 100 प्रतिशत तक विचलन के कारण था।

पूँजीगत खण्ड में, ब.अ. की तुलना में वास्तविक व्यय में विचलन (-) 26.07 प्रतिशत था। यह दो अनुदानों में (-) 857.83 से 25 प्रतिशत तक, पांच अनुदानों में +25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक और चार अनुदानों में +50 से +100 प्रतिशत तक विचलन के कारण था। हालाँकि, पूँजीगत खण्ड में चार अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

व्यय संरचना आउटटर्न

व्यय संरचना आउटटर्न यह मापता है कि निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने किस हद तक व्यय संरचना में भिन्नता में योगदान दिया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट (बीई)	स्वीकृत बजट (एसबी) (ओ+एस)	वास्तविक आउटटर्न	ब.अ. और कुल बजट के बीच अंतर	वास्तविक और कुल बजट* के बीच अंतर
राजस्व	53,717.29	55,748.66	48,664.50	(-)2,031.37	(-)7,084.16
पूँजीगत	22,112.65	23,379.62	16,348.07	(-)1,266.97	(-)7,031.55
कुल	75,829.94	79,128.28	65,012.57	(-)3,298.34	(-)14,115.71

*संशोधित अनुमान से अधिक वास्तविक की अधिकता को (+) अंक के रूप में दर्शाया गया है और संशोधित प्रावधान से अधिक वास्तविक की कमी को (-) अंक के रूप में दर्शाया गया है।

राजस्व खण्ड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 12.71 प्रतिशत था। यह नौ अनुदानों में 0 से 25 प्रतिशत तक, तीन अनुदानों में +25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच, एक अनुदान में +50 से 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था।

पूँजीगत खण्ड में, स्वीकृत बजट की तुलना में आउटटर्न में विचलन (-) 30.08 प्रतिशत था। यह दो अनुदानों में 0 से 25 प्रतिशत के बीच, तीन अनुदानों में +25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच, छह अनुदानों में +50 से 100 प्रतिशत के बीच विचलन के कारण था। हालांकि पूँजीगत खंड में चार अनुदानों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

3.3 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता

संक्षिप्त ब्यौरा

संक्षिप्त ब्यौरा सभी अनुदानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत के 46 मामलों में से 20 मामलों की जांच विभागीय अभिलेखों के आधार पर की गई और इन मामलों के संबंध में बचत के कारण एक जैसे पाए गए।

इसके अतिरिक्त अनुदान संख्या 6-शिक्षा को पिछले तीन वर्षों की विस्तृत जांच के लिए चुना गया था। इस अनुदान के अंतर्गत, अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग, लगातार बचतों और व्यय की अधिकता के कारणों की भी विभागीय अभिलेखों के संदर्भ में जांच की गई और एक जैसे पाए गए।

3.3.1 अनावश्यक या अधिक अनुपूरक अनुदान

अनुपूरक माँग का उपयोग केवल असाधारण और अत्यावश्यक मामलों में ही किया जाना चाहिए। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना होगा और धन की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता में पूर्वानुमान करते समय उचित सावधानी बरतनी होगी।

वर्ष 2022-23 के विनियोजन लेखे की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों में ₹ 1,999.30 करोड़ के अनुपूरक अनुदान जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में वर्णित है, उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे। हालांकि, अंतिम व्यय

मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य निष्फल हो गया।

3.3.2 अनावश्यक या अधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक अनुदान के अंतर्गत विनियोजन की एक इकाई से, जहाँ बचत का अनुमान है, दूसरी इकाई में जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का हस्तांतरण है।

वर्ष 2022-23 के लिए विनियोजन लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि छः अनुदानों में फैले 11 उप-शीर्षों के अंतर्गत, प्रत्येक मामले में ₹ 15 करोड़ से अधिक की अंतिम बचत थी जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में वर्णित है:

इन 11 उप-शीर्षों का पुनर्विनियोजन अनावश्यक रूप से किया गया था, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों (मूल + अनुपूरक) का भी पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सके थे और वहाँ ₹ 492.58 करोड़ के पुनर्विनियोजन के प्रति ₹ 714 करोड़ का संचयी गैर-उपयोगिता (बचत) थी जो कि अभावपूर्ण बजट प्रक्रिया को दर्शाती है। बचत के विस्तृत कारणों को **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाया गया है।


3.3.3 अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 62(2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ ऐसे प्रावधान जिनका लाभप्रद रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना अविलंब अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। भविष्य में संभावित अधिकता के लिए कोई बचत आरक्षित करके नहीं रखी जानी चाहिए।

कुल मिलाकर ₹ 14,115.71 करोड़ की बचत हुई, जो कुल बजट ₹ 79,128.28 करोड़ का 17.84 प्रतिशत था। इसमें से, आठ मामलों (**परिशिष्ट 3.3**) में प्रत्येक में ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत थी। ₹ 64,877.38 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति वास्तविक व्यय ₹ 52,465.33 करोड़ था तथा बचत ₹ 12,412.05 करोड़ थी। इसके अलावा, मूल बजट प्रावधान में से ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक की उल्लेखनीय बचत के बावजूद, पूरक प्रावधान प्राप्त किए गए (**परिशिष्ट 3.3**)।

बचत की प्रतिशतता के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोजनों (परिशिष्ट 3.3) की संख्या के वितरण से पता चलता है (चार्ट 3.3) कि चार अनुदानों (अनुदान संख्या 6,7,8, तथा 11) में ₹ 10,752.32 करोड़ की बचत कुल प्रावधानों के 8 से 30 प्रतिशत तक थी। हालांकि, एक अनुदान (अनुदान सं. 10) में ₹ 1659.73 करोड़ (30.84 प्रतिशत) की बचत थी।

चार्ट 3.3: प्रत्येक समूह में कुल बचत के साथ बचत की प्रतिशतता द्वारा समूहीकृत अनुदानों/विनियोजनों की संख्या



लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 10 अनुदानों में ₹ 13,166.11 करोड़ की कुल बचत थी जिसमें से ₹ 6,470.63 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई थी तथा कुल बचत में से ₹ 6,695.48 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) मार्च 2023 के अंत में व्यय हो गए, जैसा कि परिशिष्ट 3.4 में वर्णित है। विनियोजन लेखे तथा अभ्यर्पण विवरण में उल्लिखित बचतों के कारण परिशिष्ट 3.4 में दिए गए हैं।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियां

3.4.1 एकमुश्त बजटीय प्रावधान

वित्तीय नियम/बजट नियमावली उन मामलों को छोड़कर अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान को प्रतिबंधित करती है, जहाँ आकस्मिक स्थितियों को पूरा करने के लिए या किसी परियोजना/योजना पर प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए तत्काल उपाय प्रदान किए जाने हैं, जिसे वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने के

लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। एकमुश्त अनुमानों के साथ बजट नोट में प्रस्तावित प्रावधान को उचित ठहराने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने तीन अनुदानों (परिशिष्ट 3.5) के अंतर्गत कुल एकमुश्त बजटीय प्रावधान के प्रति ₹ 260.88 करोड़ में से ₹ 205.39 करोड़ व्यय किया गया। व्यय के सटीक उद्देश्य की पहचान किए बिना एकमुश्त प्रावधान पारदर्शिता को कम करता है। आगे, वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली 1978 के नियम 3 के उप नियम 6 के अनुसार ₹ 10 लाख से कम लागत वाले कार्यों को छोड़कर आम तौर पर बजट में कोई एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाएगा। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन अनुदानों के अधीन 12 मामलों में जैसा कि परिशिष्ट 3.5 में वर्णित किया गया है, ₹ 10 लाख की निर्धारित सीमा से धनराशि अधिक थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि अनुदान संख्या 7, 10 और अनुदान संख्या 11 के उप-शीर्षों के अंतर्गत समरूप एक मुश्त प्रावधान पिछले वर्ष भी किए गए थे।

3.5 बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां

3.5.1 बजट प्रक्षेपण एवं अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों एवं सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों को प्राप्त करने के लिए संतुलन रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच अव-इष्टतम आवंटन की ओर ले जाते हैं। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित करती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2022-23 के लिए विनियोजन लेखे की संवीक्षा से पता चला कि विभाग ₹ 79,128.28 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति केवल ₹ 65,012.57 करोड़ का उपयोग कर सके तथा ₹ 14,115.71 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 7,577.47 करोड़ (53.68 प्रतिशत) की बचत 31 मार्च 2023 को व्यपगत हो गई।

विवरण तालिका 3.3 में दिया गया है:

तालिका 3.3: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति


(₹ करोड़ में)

खण्ड	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अतिरिक्त (+)	31 मार्च 2023 को व्ययगत	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I. राजस्व	49,990.01	1,973.60	51,963.61	4,4925.78	(-)7,037.83	4,689.73	66.64
	II. पूंजीगत	12,325.47	505.81	12,831.28	8,509.24	(-)4322.04	1,496.38	34.62
	III. ऋण एवं अग्रिम	5,010.91	761.16	5,772.07	3,084.06	(-)2688.01	1,344.07	50.00
कुल दत्तमत		67,326.39	3,240.57	70,566.96	56,519.08	(-)14,047.88	7,530.18	53.60
प्रभारित	I. राजस्व	3,727.28	57.77	3,785.05	3,738.72	(-)46.33	31.79	68.62
	II. पूंजीगत	60.10	0.00	60.10	39.61	(-)20.49	15.5	75.61
	सार्वजनिक ऋण	4,715.17	0.00	4715.17	4,715.16	(-)0.01	0.00	0.00
	III. ऋण एवं अग्रिम	1.00	0.00	1.00	0.00	(-)1.00	0.00	0.00
कुल प्रभारित		8,503.55	57.77	8,561.32	8,493.49	(-)67.83	47.29	69.72
आकस्मिकता निधि का विनियोजन (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग		75,829.94	3,298.34	79,128.28	65,012.57	(-)14,115.71	7,577.47	53.68

स्रोत: विनियोजन लेखे

पिछले पाँच वर्षों के दौरान बजट उपयोग की स्थिति चार्ट 3.4 में दी गई है:

चार्ट 3.4: 2018-19 से 2022-23 के दौरान बजट उपयोग



2018-19 से 2022-23 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय का विवरण तालिका 3.4 में दर्शाया गया है:


तालिका 3.4: 2018-19 से 2022-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	53,000.01	60,000.00	65,000.00	69,000.00	75,829.94
अनुपूरक बजट	5,177.13	4,180.68	891.87	3,081.08	3,298.34
कुल बजट (टीबी)	58,177.14	64,180.68	65,891.87	72,081.08	79,128.28
संशोधित अनुमान (आरई)	50,200.00	54,800.00	59,000.00	67,000.00	72,500.00
वास्तविक व्यय (एई)	46,344.56	51,510.03	52,895.76	61,542.00	65,012.57
बचत/आधिक्य	11,832.58	12,670.65	12,996.11	10,539.08	14,115.71
मूल प्रावधान के अनुपूरक की प्रतिशतता	9.77	6.97	1.37	4.47	4.35
कुल प्रावधान के बचत/आधिक्य की प्रतिशतता	20.34	19.74	19.72	14.62	17.84
टीबी-आरई	7,977.14	9,380.68	6,891.87	5,081.08	6,628.28
आरई-एई	3,855.44	3,289.97	6,104.24	5,458.00	7,487.43
टीबी की प्रतिशतता के रूप में (टीबी-आरई)	13.71	14.62	10.46	7.05	8.38
टीबी की प्रतिशतता के रूप में (आरई-एई)	6.63	5.13	9.26	7.57	9.46

स्रोत: संबंधित वर्षों के बजट एक नज़र में तथा विनियोजन लेखे

चार्ट 3.5: कुल बजट तथा वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान को दर्शाने की प्रवृत्ति



तालिका 3.4 से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 के दौरान कुल प्रावधान की तुलना में कुल बचत की प्रतिशतता 14.62 प्रतिशत (2021-22) से 20.34 प्रतिशत (2018-19) तक थी।

3.5.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणा एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

योजना के दिशा-निर्देशों/तौर-तरीकों का अनुमोदन न होने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न करने आदि के कारण सरकार द्वारा की गई अनेक नीतिगत पहल अंशतः अथवा पूर्णतः निष्पादित नहीं हुई थीं। यह लाभार्थियों को अपेक्षित लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को उस निधि से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

यह देखा गया कि सात अनुदानों के अंतर्गत 87 उप-शीर्षों में ₹ 1175.41 करोड़ (प्रत्येक योजना में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) का संशोधित परिव्यय था। परंतु कोई व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 3.6** में दर्शाया गया है।

संपूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य की ओर इंगित करती थी कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा के बाद प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे। जो योजनाएं संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न करने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी वे थी- समग्र शिक्षा (टोप-अप) - प्रारंभिक शिक्षा (₹ 145.95 करोड़) विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालय को सहायता अनुदान (₹ 19 करोड़), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस) (₹ 21.50 करोड़), कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (एनआरएचएम) के लिए सहायता अनुदान (₹ 244 करोड़), दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया निधि (केंद्र अंश) (₹ 15 करोड़) तथा एम आर टी एस के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अधीनस्थ ऋण (₹ 312.0 करोड़)।

आगे, यह देखा गया कि नौ अनुदानों के अंतर्गत 78 उप-शीर्षों में मूल बजट में ₹ 1,316.21 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक) का प्रावधान किया गया था (**परिशिष्ट-3.7**) परंतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित परिव्यय में उस राशि को पूर्णतः वापस लिया गया था।

3.5.3 व्यय की अधिकता

i) जीएफआर, 2017 के नियम 62(3) में प्रावधान है कि व्यय की अधिकता को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचना चाहिए। वित्त मंत्रालय, भा.स. के

दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अंतिम तिमाही और अंतिम माह अर्थात् वित्तीय वर्ष के मार्च माह में व्यय को बजट के क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए।

यह देखा गया कि 2022-23 के दौरान ₹ 64,110.35 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹ 22,409.72 करोड़ (बजट का 28.32 प्रतिशत) का व्यय अंतिम तिमाही में किया गया जबकि ₹ 10,389.30 करोड़ (बजट का 13.13 प्रतिशत) मार्च 2023 के माह के दौरान व्यय किए गए थे। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि सात अनुदानों के अंतर्गत 28 उप-शीर्षों में व्यय जो 51.53 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक था, मार्च 2023 में किया गया था।

पिछली तिमाही के दौरान, विशेष रूप से मार्च महीने में व्यय की अधिकता, व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों का पालन न करने का संकेत देती है।

ii) उप-शीर्ष जहाँ संपूर्ण व्यय मार्च 2023 में किया गया

लेखापरीक्षा ने पाया कि चार अनुदानों के अंतर्गत 6 उप-शीर्षों में ₹ 367.06 करोड़ का संपूर्ण व्यय मार्च 2023 में किया गया था जैसा कि तालिका 3.5 में वर्णित है:

तालिका 3.5: शीर्ष जहाँ पर संपूर्ण व्यय मार्च 2023 में किया गया

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च के दौरान 100 प्रतिशत व्यय (₹ करोड़ में)
1.	6 - शिक्षा	2202.01.112.85.00.31 दिल्ली नगर निगम को मिड डे मील कार्यक्रम (सीएसएस) के लिये सहायता अनुदान	45.54
2.		2202.03.001.95.00.31 योग्यता यह साधन संबंधी वित्तीय सहायता के लिए दिल्ली उच्चतर शिक्षा सहायता न्यास को सहायता अनुदान	17.00
3.		2202.80.107.82.00.34 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण के लिए सहायता अनुदान	19.12
4.	8- सामाजिक कल्याण	3055.00.190.99.00.33 रियायती पास के लिए डीटीसी को सब्सिडी	50.00
5.	9- उद्योग	3456.00.102.86.00.50 एन एफ एस ए (सीएसएस) के अंतर्गत खादयानों की अंतर्राज्यीय आवाजाही और एफ पी एस डीलर मार्जिन के लिए राज्य एजेंसी को सहायता	23.99
6.	11 - शहरी विकास तथा लोक निर्माण	2217.05.191.94.00.35 एमआरयूटी 2.0 (सीएसएस) के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान	211.41
कुल			367.06


स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

iii) केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

लेखापरीक्षा ने पाया कि सात अनुदानों के अंतर्गत 22 उप-शीर्षों में ₹ 1,463.52 करोड़ का व्यय, जो कुल व्यय के 50 प्रतिशत से 96.99 प्रतिशत के बीच था, मार्च 2023 में किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में दर्शाया गया है।

नीचे चार्ट 3.6 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2022-23 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. की माह-वार प्राप्तियाँ ₹ 67,211.72 करोड़ की कुल प्राप्तियों के 5.14 प्रतिशत (मई 2022) से 18.38 प्रतिशत (जून 2022) के बीच थीं, जबकि रा.रा.क्षे.दि.स. का माह-वार व्यय, ₹ 64,110.35 करोड़ के निवल व्यय के 5.13 प्रतिशत (अप्रैल 2022) से 16.20 प्रतिशत (मार्च 2023) के बीच था।

चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ एवं व्यय



3.5.4 केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत अनुदान के उपयोग में कमी

रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹ 116.58 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी थी, जिसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं (जीआईए) के अंतर्गत चार अनुदानों के नौ उप शीर्षों में संशोधित कर ₹ 100.84 करोड़ कर दिया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में उल्लिखित है।

3.6 चयनित अनुदान की समीक्षा ("अनुदान संख्या 06-शिक्षा")

'अनुदान संख्या 06-शिक्षा' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई जिसमें मूल अनुदान, अनुपूरक मांग एवं वास्तविक व्यय की राशि में भिन्नता के परिमाण का विश्लेषण किया गया।

ए) परिचय

अनुदान के अंतर्गत बजट प्रक्रियाओं, धन की निगरानी और नियंत्रण तंत्र का अनुपालन का पता लगाने हेतु 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अनुदान संख्या-6 'शिक्षा' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। अनुदान में मुख्य शीर्ष 2202-शिक्षा निदेशालय, 2203-प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, 2204-खेल एवं युवा सेवाएं, 2205-कला एवं संस्कृति तथा 2230-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास शामिल हैं।

बी) बजट और व्यय

विगत तीन वर्षों के लिए अनुदान संख्या 6-शिक्षा के अंतर्गत बजट प्रावधान, किए गए व्यय एवं बचतों की संपूर्ण स्थिति तालिका 3.6 में नीचे दी गयी है:

तालिका 3.6: बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खण्ड	बजट प्रावधान	कुल	व्यय	बचत (प्रतिशतता)
2020-21	मूल राजस्व (दत्तमत)	13,349.38	13,349.76	9,823.16	3526.60
	अनुपूरक	0.38			(26.42)
	मूल राजस्व (प्रभारित)	0.70	0.80	0.10	0.70
	अनुपूरक	0.10			(87.5)
	मूल पूंजीगत (दत्तमत)	388.14	388.15	120.27	267.88
	अनुपूरक	0.01			(69.01)

वर्ष	खण्ड	बजट प्रावधान	कुल	व्यय	बचत (प्रतिशतता)
2021-22	मूल राजस्व (दत्तमत)	14,008.53	14,009.46	11,238.47	2,770.99
	अनुपूरक	0.93			(19.78)
	मूल राजस्व (प्रभारित)	0.69	0.69	0.05	0.64
	अनुपूरक	0.0			(92.75)
	मूल पूंजीगत (दत्तमत)	481.97	834.62	753.11	81.51
	अनुपूरक	352.65			(9.77)
2022-23	मूल राजस्व (दत्तमत)	13856.58	14077.5	12957.37	1,120.13
	अनुपूरक	220.92			(7.96)
	मूल राजस्व (प्रभारित)	0.62	0.62	0.16	0.46
	अनुपूरक	0			(74.19)
	मूल पूंजीगत (दत्तमत)	517.97	518.00	179.05	338.95
	अनुपूरक	0.03			(65.43)

स्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 3.6 दर्शाती है कि पूंजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत अप्रयुक्त बजट प्रावधान 9.77 प्रतिशत (2021-22) से 69.01 प्रतिशत (2020-21) के बीच था, जो रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संसाधनों के न्यून उपयोग को दर्शाता है।

सी) बचत का अभ्यर्पण न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 62 (2) के अनुसार, बचत के साथ-साथ प्रावधान जिनका लाभकारी उपयोग नहीं किया जा सकता, इसका पूर्वानुमान होते ही उन्हें वर्ष के अंत तक प्रतीक्षा किए बिना, उनका तुरंत अभ्यर्पण किया जाना चाहिए। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या -06- शिक्षा के अंतर्गत बचत एवं अभ्यर्पण की स्थिति इस प्रकार थी:

तालिका 3.7: अनुदान संख्या 06-शिक्षा के अंतर्गत बचत का अभ्यर्पण न करना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत			अभ्यर्पित राशि (प्रतिशतता में)		
	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (प्रभारित)	पूंजीगत (दत्तमत)
2020-21	3526.60	0.70	267.88	2187.75	0.14	174.30
				(62.04)	(20.00)	(65.07)
2021-22	2770.99	0.64	81.51	1625.17	0.33	0.52
				(58.65)	(51.56)	(63.37)
2022-23	1120.12	0.46	338.95	72.93	0.36	171.72
				(6.5)	(78.26)	(50.66)

स्रोत: विनियोजन लेखे

डी) निरंतर बचत

यह पाया गया कि 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुदान 06-शिक्षा के अंतर्गत पांच उप-शीर्षों के अंतर्गत बजट आबंटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अप्रयुक्त रहा, जो दर्शाता है कि संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की गैर-प्राप्ति इस प्रकार थी:

तालिका 3.8: अनुदान संख्या 06-शिक्षा के अंतर्गत निरंतर बचत

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	2020-21 ₹ करोड़ में (प्रतिशत में)	2021-22 ₹ करोड़ में (प्रतिशत में)	2022-23 ₹ करोड़ में (प्रतिशत में)
1.	2202.01.113.98 समग्र शिक्षा (राज्य का हिस्सा)	188.03 (62.68)	227.57 (79.01)	139.74 (48.52)
<i>शीर्ष-वार विनियोजन लेखों के अनुसार कारण:</i> भारत सरकार ने केंद्रीय हिस्सा कम/विलंब से जारी किया तथा तत्पश्चात् राज्य का हिस्सा इसलिए बचत हुई।				
2.	2202.01.113.97 समग्र शिक्षा (सीएसएस)	140.10 (53.89)	156.22 (61.26)	83.51 (30.37)
<i>शीर्ष-वार विनियोजन लेखों के अनुसार कारण:</i> भारत सरकार द्वारा केंद्र का हिस्सा का विलंब से जारी हुआ।				
3.	2202.02.109.96 सरकारी माध्यमिक विद्यालय	265.35 (13.81)	198.61 (10.1)	42.86 (2.18)
<i>शीर्ष-वार विनियोजन लेखों के अनुसार कारण:</i> शिक्षकों तथा अन्य कर्मिकों के एमएसीपी/वेतन बढ़ाने के मामलों को अंतिम रूप न देने, प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर उठाई गई आपत्तियों के कारण बिलों का गैर-भुगतान तथा विभिन्न रिक्त पदों को न भरना।				
4.	2202.02.113.98 समग्र शिक्षा (राज्य का हिस्सा)	38.03 (76.06)	23.79 (56.63)	4.32 (10.29)
<i>शीर्ष-वार विनियोजन लेखों के अनुसार कारण:</i> भारत सरकार द्वारा केंद्र का हिस्सा विलंब से जारी करना तथा तत्पश्चात् राज्य का हिस्सा होना।				
5.	2202.02.113.97 समग्र शिक्षा (सीएसएस)	30.77 (51.29)	29.26 (58.53)	3.47 (5.77)
<i>शीर्ष-वार विनियोजन लेखों के अनुसार कारण:</i> भारत सरकार द्वारा केंद्र में हिस्सा विलम्ब से जारी करना तथा तत्पश्चात् राज्य का हिस्सा होना।				

स्रोत: विनियोजन लेखे

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल बचत का प्रतिशत दर्शाते हैं।

ई) निधियों का अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक अनुदान के अंतर्गत विनियोजन की एक इकाई से जहां बचत का अनुमान है, दूसरी इकाई में जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का हस्तांतरण है।

2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए अनुदान संख्या 6-शिक्षा के विनियोजन लेखाओं की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 36 उप-शीर्षों (परिशिष्ट 3.10 में उल्लिखित) के अंतर्गत, पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग अपना मूल अनुदान पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सके थे।

राजस्व दत्तमत/पूंजीगत दत्तमत खण्ड के अंतर्गत उप-शीर्ष पर अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के मामले नीचे दिए गए हैं:

- संवीक्षा से पता चला कि राजस्व दत्तमत खण्ड के 14 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 55.21 करोड़ (2020-21), 8 उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹ 31.55 करोड़ (2021-22) और 13 उप-शीर्षों (2022-23) के अंतर्गत ₹ 225.98 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं कर सके थे।

विनियोजन लेखाओं में उल्लिखित बचतों के लिए एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹ 25 करोड़ से अधिक की बचत के कारणों की विभागीय अभिलेखों के संदर्भ में जांच की गई और सट्टा पाया गया। इन मामलों की जांच से पता चला कि बचत अन्य बातों के साथ-साथ 2022-23 के लिए टॉप अप के लिए नया बजट शीर्ष खोलने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी न मिलने और वर्ष 2022-23 के लिए कैबिनेट नोट की मंजूरी न मिलने, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के एमएसीपी/वेतन बढ़ाने के मामलों को अंतिम रूप न देने, प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर उठाई गई आपत्ति के कारण बिलों का भुगतान न होने, भारत सरकार द्वारा केंद्र का हिस्सा जारी करने में देरी होने, खरीद आदि के बिलों का भुगतान न होने के कारण हुई।

संवीक्षा से पता चला कि पूंजीगत दत्तमत खण्ड के एक उप-शीर्ष (2022-23) के अंतर्गत ₹ 5.81 करोड़ की राशि का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि विभाग अपने मूल अनुदान का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका था।

बचत का कारण निधियों की प्राप्ति वित्तीय वर्ष के अंत में होना बताया गया।

एफ) संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

पिछले तीन वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए अनुदान संख्या 6 की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि विभिन्न उप-शीर्षों में प्रावधान किया गया था परंतु 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि के दौरान आवंटित बजट के प्रति इन उप-शीर्षों के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं में किए गए प्रावधान की पूरी राशि की बचत हुई। इन योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिया गया है। यह भी देखा गया कि ऐसीकई सामान्य योजनाएं थीं जिनमें वर्ष दर वर्ष प्रावधान किया गया था परंतु 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

जी) व्यय की अधिकता

जीएफआर, 2017 के नियम 62(3) में प्रावधान है कि व्यय की अधिकता को विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24 जनवरी 2020 के दिशा-निर्देश के अनुसार, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम माह अर्थात् मार्च में व्यय को क्रमशः बजट के 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना चाहिए।

हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसके विपरीत, चार उप-शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में 65.33 से 100 प्रतिशत तक व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही 12 उप-शीर्षों में कुल व्यय का 72.42 से 100 प्रतिशत तक व्यय तथा सात उप-शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही में विभागों द्वारा 59.26 से 100 प्रतिशत तक व्यय किया गया जैसा **परिशिष्ट 3.12** में उल्लिखित है।

2020-21 से 2022-23 की अवधि में विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय की अधिकता 57.70 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी, जो व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के अलावा वित्तीय नियमों का पालन न करने को इंगित करती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय का 100 प्रतिशत रिपोर्ट करने वाले मामलों की विभागीय अभिलेखों के संबंध में जांच की गई। इन मामलों में व्यय की अधिकता के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ नए खातों का खुलना, संशोधित अनुमान, केंद्रीय सहायता की देर से प्राप्ति आदि को जिम्मेदार ठहराया गया।

3.7 सिफ़ारिशें

- (i) सरकार को अधिक बचत और पूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय करने की क्षमता के सही आकलन के साथ यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करना चाहिए।
- (ii) सरकार को पूरक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अनावश्यक पूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- (iii) सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति बनाने पर विचार कर सकती है तथा
- (iv) सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए समय-समय पर निगरानी के माध्यम से व्यय के लिए निर्धारित त्रैमासिक लक्ष्यों का पालन करना चाहिए और समय पर अभ्यर्पण के माध्यम से बचत का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता एवं
वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धति

अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रवृत्ति

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रवृत्ति कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और परिचालन में हैं, तो सरकार को कार्यनीतिक योजना एवं निर्णय लेने के साथ-साथ अपने बुनियादी उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करते हैं। इस अध्याय में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के साथ रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुपालन पर चर्चा की गई है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियां

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी धनराशि सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करती है।

चूँकि ये निधियां रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट के माध्यम से नहीं दी जाती हैं, इसलिए ये रा.रा.क्षे.दि.स. के खातों में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा ₹ 309.76 करोड़ की धनराशि रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई थी जैसा कि वर्ष 2022-23 के दौरान पीएफएमएस पोर्टल पर दर्शाया गया है।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (फरवरी 2024) कि मामले को तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था।

पारदर्शिता से संबंधित मामले

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब

जीएफआर, 2017 का नियम 238 निर्दिष्ट करता है कि विशेष उद्देश्यों हेतु वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा

अनुदानग्राहियों से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों तक की अवधि में उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्राप्त किए जाने चाहिए।

हालांकि 31 मार्च 2022 तक जारी किए गए अनुदानों के संबंध में अनुदानग्राहियों द्वारा ₹ 9,314.85 करोड़ की कुल राशि के 1,339 उ.प्र. 31 मार्च 2023 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण की कमी का अर्थ है कि यद्यपि व्यय किया गया है परंतु अनुदानग्राहियों द्वारा यह नहीं बताया गया कि निधियां कैसे खर्च की गई थीं। इसका कोई आश्वासन भी नहीं है कि इन निधियों को उपलब्ध कराने के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यह अधिक महत्व रखता है यदि पूंजीगत व्यय के लिए बने सहायता अनुदान (स.अ.) के प्रति ऐसे उ.प्र. लंबित हैं। चूंकि उ.प्र. की प्रस्तुति की कमी दुर्विनियोग के जोखिम से भरा है, यह आवश्यक है कि रा.रा.क्षे.दि.स. को इस पहलू की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए एवं संबंधित विभागों को समय पर उचित प्रकार से उ.प्र. की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए। बकाया उ.प्र. का वर्ष-वार विवरण विस्तृत रूप से नीचे तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण


(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया उ.प्र. की संख्या	राशि
1993-94 से 2011-12 तक	1,047	220.91
2012-13	103	188.92
2013-14	27	0.64
2014-15	26	0.32
2015-16	08	178.34
2016-17	11	685.15
2017-18	04	155.52
2018-19	07	657.67
2019-20	08	336.95
2020-21	19	2,395.43
2021-22	79	4,495.00
कुल	1,339	9,314.85

यह देखा जा सकता है कि ₹ 220.91 करोड़ के 1,047 उ.प्र. (78.19 प्रतिशत) 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जबकि ₹ 9,093.94 करोड़ के 292 उ.प्र. (21.81 प्रतिशत) 2012-13 से 2021-22 तक बकाया थे।

31 मार्च 2022 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के संबंध में बकाया उ.प्र. का विवरण चार्ट 4.1 में दिया गया है:

चार्ट 4.1: 2021-22 तक भुगतान किए गए अनुदानों के लिए 10 प्रमुख विभागों के बकाया उ.प्र. का विवरण



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बकायों ने क्रमशः ₹ 3,130.27 करोड़ (33.61 प्रतिशत), ₹ 2,317.59 करोड़ (24.88 प्रतिशत) तथा ₹ 1,069.90 करोड़ (11.49 प्रतिशत) का योगदान दिया।

यह प्रशासनिक विभागों के आंतरिक नियंत्रण की कमी तथा सरकार की ओर से पूर्व अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित किए बिना नए अनुदान वितरित करने की प्रवृत्ति को इंगित करता है। उ.प्र. के लंबित रहने से धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का जोखिम था।

इसके अतिरिक्त उ.प्र. के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उस अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए वे स्वीकृत किए गए थे।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तालिका 4.1 तथा चार्ट 4.1 में दर्शाई राशियों की पुष्टि की (फरवरी 2024)।

यह सिफारिश की जाती है कि प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त विभाग के साथ मिलकर लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वर्ष 2012-13 की अवधि के लिए बकाया उ.प्र. के कारणों की जाँच करें।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे में शामिल बकाया उ.प्र. से संबंधित तथ्यों एवं आंकड़ों के सत्यापन हेतु पाँच विभागों/संस्थानों जैसे समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) दिल्ली छावनी बोर्ड का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया था।

विभाग-वार मुख्य अभ्युक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराओं में की गई है।

4.2.1 समाज कल्याण निदेशालय

समाज कल्याण विभाग गैर-सरकारी संगठनों/मनोरंजन केंद्रों को उपयोग हेतु अनुदान जारी करता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार ₹ 37.32 करोड़ की राशि के 1,164 उ.प्र. बकाया थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निदेशालय ने लंबित उ.प्र. से संबंधित कोई अभिलेख/सूचना नहीं रखी थी। उपर्युक्त लंबित उ.प्र. की सूचना के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ताओं ने अनुदानों का उपयोग उस अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया था जिसके लिए वे स्वीकृत किए गए थे।

विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि यह 1993-94 से 2021-22 की अवधि के लिए संबंधित संगठनों से लंबित उ.प्र. के विवरण एकत्र करने तथा संकलित करने की प्रक्रिया में था। यह भी कहा गया कि उ.प्र. लेखा अधिकारी (डीएसडब्ल्यू) के माध्यम से एक माह के भीतर वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

4.2.2 स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के उ.प्र. की विवरणी के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार ₹ 3,130.27 करोड़ की राशि के नौ उ.प्र. डीजीएचएस से बकाया थे।

डीजीएचएस ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि वर्ष 1998-99 में ₹ 2.69 करोड़ के नौ बकाया उ.प्र. से संबंधित अभिलेख आसानी से उपलब्ध नहीं थे। आगे कहा गया कि उनके अभिलेखों के अनुसार अन्य कोई उ.प्र. बकाया नहीं था क्योंकि ₹ 3,127.58 करोड़ के बचे हुए अव्ययित शेष को वर्ष 2022-23 के दौरान जारी स.अनु. के प्रति समायोजित किया गया था।

संबंधित लेखा अधिकारी वित्त लेखाओं तथा विभागीय अभिलेखों के बीच बेमेल समाधान/सुधार के लिए मामले को डीजीएचएस के साथ उठा सकता है।

विभिन्न संस्थानों/संगठनों को जारी स.अनु. से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:-

- i. स.अनु. जारी करने के लिए जारी संस्वीकृति की शर्त सं. 5 के अनुसार संगठन/संस्थान के कार्यकारी प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इंद्रप्रस्थ व्यवसायिक एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य समिति (आईवीपीएसएस) तथा चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय (सीएनबीसी) द्वारा प्रस्तुत उ.प्र. पर नियुक्त कार्यकारी प्रमुख द्वारा नहीं, केवल उनके सीए तथा वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

- ii. जीएफआर के नियम 238(1) के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा उ.प्र. प्रस्तुत करना आवश्यक है जैसा कि जीएफआर 12-ए प्रपत्र में निर्धारित है।

उ.प्र. की नमूना जांच से पता चला कि जीएफआर के उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में उ.प्र. को जीएफआर 12-ए प्रपत्र के बजाय जीएफआर 19-ए प्रपत्र में प्रस्तुत किया जा रहा था।

iii. जीएफआर के नियम 230(8) के अनुसार किसी भी अनुदानग्राही संस्थान को जारी सहायता अनुदान अथवा अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) के प्रति सभी ब्याज तथा अन्य अर्जित आय को लेखाओं को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से समेकित निधि में प्रेषित किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भावी निर्गमों के प्रति समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अनुदानग्राही द्वारा अर्जित ब्याज को समेकित निधि में जमा नहीं किया गया था तथा जीएफआर के उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में भावी अनुदान के निर्गम के प्रति समायोजित किया गया था।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (फरवरी 2024) कि मामले को संबंधित विभाग को तथ्यों एवं आंकड़ों के सत्यापन हेतु टिप्पणी प्रदान करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था।

4.2.3 दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीडीसी)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के उपयोगिता प्रमाणपत्र की विवरणी के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार, ₹ 0.06 करोड़ की राशि के 'शून्य' उ.प्र. बकाया थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 0.06 करोड़ की राशि की उपर्युक्त बकाया राशि को वास्तव में वर्ष 2016-17 के लिए स.अनु. के प्रति समायोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, डीटीडीसी के पास आज तक उ.प्र. की कोई भी मात्रा अथवा राशि लंबित नहीं थी।

डीटीडीसी ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि इसने 2015-16 के दौरान स.अनु. से ₹ 8.67 करोड़ की राशि प्राप्त की थी जिसमें से ₹ 0.06 करोड़ के अव्ययित शेष को 2016-17 में समायोजित किया गया था। इसने आगे कहा कि ₹ 0.06 करोड़ के उ.प्र. जुलाई 2019 में भारत सरकार को भेजा गया था तथा इसके पास कोई उ.प्र. (मात्रा तथा राशि) लंबित नहीं था।

संबंधित पीएओ तथा डीटीडीसी बकाया उ.प्र. का समाधान तथा निपटान कर सकते हैं।

4.2.4 नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुसार एनडीएमसी के पास ₹ 630.91 करोड़ की राशि के 21 उ.प्र. लंबित थे।

वित्त लेखाओं (एफए) में उल्लिखित उपर्युक्त स्थिति के संदर्भ में एनडीएमसी ने निम्नानुसार कहा (सितंबर 2023):

- i. वर्ष 1993-94, 1996-97 तथा 1997-98 के लिए लंबित उ.प्र. 30 वर्ष पुराने थे तथा उन संबंधित योजना/परियोजना के विवरणों के अभाव के कारण इसका पता नहीं लगाया जा सका जिनके प्रति ये लंबित थे। एनडीएमसी ने शहरी विकास विभाग (यू.डी.), रा.रा.क्षे.दि.स. से भी लंबित उ.प्र. की सटीक मात्रा बताने का अनुरोध किया है जिसमें विशेष रूप से उस योजना/परियोजना का नाम दर्शाया गया है जिसके लिए एनडीएमसी को 1993-94 से 1997-98 से संबंधित बकाया उ.प्र. के निपटान हेतु स.अनु. दिए गए हैं।
- ii. वर्ष 2015-16 तथा 2018-19 के बकाया उ.प्र. के संबंध में इसे पहले ही भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया था तथा अब एनडीएमसी के पास कुछ लंबित नहीं है।
- iii. वर्ष 2016-17 के लिए एफए के अनुसार बकाया उ.प्र. की राशि ₹ 24,715.40 लाख थी। हालांकि एनडीएमसी ने कहा कि इसने 2016-17 के दौरान ₹ 17,445.45 लाख का अनुदान प्राप्त किया था जिसके लिए उ.प्र. पहले ही भारत सरकार को भेज दिए गए थे।
- iv. वर्ष 2017-18 के लिए एफए के अनुसार बकाया उ.प्र. की राशि ₹ 6,361.91 लाख थी। हालांकि, एनडीएमसी ने कहा कि इसने 2017-18 के दौरान ₹ 12,343.63 लाख का अनुदान प्राप्त किया था जिसके लिए उ.प्र. पहले ही भारत सरकार को भेज दिए गए थे।
- v. वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लिए एनडीएमसी ने अपने विभागों/डिवीजनों को 2020-21 तथा 2021-22 की अवधि के लिए उ.प्र. का विवरण प्रदान करने के निर्देश दिए थे जो बाद में शहरी विकास विभाग (यू.डी.) को भेज दिए जाने थे।

एनडीएमसी तथा रा.रा.क्षे.दि.स. का संबंधित विभाग बकाया उ.प्र. का समाधान तथा निपटान कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एनडीएमसी द्वारा प्रस्तुत उ.प्र. की नमूना जांच से पता चला कि वर्ष 2018-19 के लिए एनडीएमसी द्वारा प्रस्तुत उ.प्र. जीएफआर 2017 के नियम 238(1) के उल्लंघन में प्रपत्र 12ए के निर्धारित प्रारूप के बजाय जीएफआर प्रपत्र 19ए में थे।

4.2.5 दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के अनुलग्नक 'ई' के अनुसार ₹ 65.91 करोड़ के 73 उ.प्र. 1994-95 से 2021-22 की अवधि के दौरान बकाया थे।

डीसीबी ने लंबित उ.प्र. से संबंधित कोई अभिलेख/सूचना प्रस्तुत नहीं की और कहा (सितंबर 2023) कि 1994-95 से 2021-22 की अवधि के लिए दर्शाए गए देय उ.प्र. मोटर वाहन कर, टर्मिनल कर तथा मनोरंजन कर के रूप में राजस्व का हिस्सा थे जो बाद में रा.रा.क्षे.दि.स. से बेसिक कर असाइनमेंट (बीटीए) में मिला दिया गया था। इसलिए राजस्व हिस्से/बीटीए के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति को आवश्यक नहीं समझा गया। यह भी कहा गया कि इसने रा.रा.क्षे.दि.स. से सहायता अनुदान 1994-95 से 2015-16 की अवधि के दौरान केवल प्राथमिक शिक्षा (गैर योजनागत स्कीम) के लिए प्राप्त किया था जिसके लिए उ.प्र. पहले ही शहरी विकास विभाग को भेज दिए गए थे।

रा.रा.क्षे.दि.स. का संबंधित विभाग बकाया उ.प्र. के समाधान तथा निपटान के लिए डीसीबी के साथ मामले को उठा सकता है।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (फरवरी 2024) कि मामले को संबंधित विभाग को तथ्यों एवं आंकड़ों के सत्यापन हेतु टिप्पणी प्रदान करने के अनुरोध के साथ भेजा गया था।

4.3 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) बिलों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय की उन मदों पर आकस्मिक प्रभारों का आहरण किया जाता है जिसके लिए आहरण के समय

अंतिम वर्गीकरण एवं सहायक वाउचर उपलब्ध नहीं होते हैं। आरंभ में अग्रिम के रूप में लिए जाते हैं, इसके बाद के समायोजन ए.सी. बिलों के आहरण की एक निर्धारित अवधि के भीतर विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी.सी.) बिल जमा कर के सुनिश्चित किए जाते हैं। डी.सी. बिलों में ए.सी. बिलों के माध्यम से आहरित राशि के लिए उप-वाउचर के साथ-साथ संक्षिप्त व्यय शामिल होता है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को इन सभी मामलों में नियंत्रक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिल निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

प्राप्ति तथा भुगतान नियमावली का नियम 118 में प्रावधान है कि प्रत्येक एसी बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहरित किए गए ए.सी. बिलों के संदर्भ में विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों को नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, एसी बिल पर आहरित गया धन डी.सी. बिल की प्रस्तुति द्वारा निकालने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर समायोजित हो जाना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी स्थिति में एसी बिल को समायोजित नहीं किया जाना चाहिए।

ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2: ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष		वि.व. 2022-23 के दौरान समाशोधन		31 मार्च 2023 तक अंतिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19 तक	3,795	256.18	183	70.53	3,612	185.65
2019-20	219	27.85	71	12.54	148	15.32
2020-21	136	13.99	27	03.21	109	10.78
2021-22	536	134.40	337	62.52	199	71.88
2021-22 तक	4,686	432.43	618	148.80	4,068	283.63
2022-23	2,629#	403.19	1879	111.93	750	291.26
कुल	7,315	835.62	2,497	260.73	4,818	574.89

वर्ष 2022-23 के दौरान आहरित कुल नए बिलों का प्रतिनिधित्व करता है।


स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

तालिका 4.2 से देखा जा सकता है कि मार्च 2023 तक ₹ 574.89 करोड़ के 4,818 एसी बिल बकाया थे। यह पाया गया कि 76 सरकारी विभागों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखाओं के बंद होने से पहले ₹ 291.26 करोड़ की राशि के 750 डी.सी. बिल जमा नहीं किए और इसलिए इसका कोई आश्वासन नहीं था कि वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में ₹ 291.26 करोड़ का व्यय उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिस उद्देश्य के लिए इसे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत किया गया था।

2022-23 के दौरान ₹ 403.19 करोड़ के ए.सी. बिलों के प्रति ₹ 213.14 करोड़ (52.86 प्रतिशत) की राशि मार्च 2023 से संबंधित थी।

आहरित अग्रिमों को लेखाबद्ध नहीं किए जाने से अपव्यय/दुर्विनियोजन/दुराचार आदि में वृद्धि की संभावना है। विभिन्न विभागों द्वारा ए.सी. बिलों की निकासी के बाद निर्धारित समय के अंदर डी.सी. बिलों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वह प्राप्त की गई थी। इसलिए, इसकी बारीकी से निगरानी किए जाने की आवश्यकता है। यह सिफारिश की जाती है कि प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. वित्त विभाग के साथ मिलकर लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए बकाया ए.सी. बिलों के कारणों की जाँच करें। ए.सी. बिलों के समाशोधन की प्रवृत्तियाँ चार्ट 4.2 में दी गई हैं:


चार्ट 4.2: ए.सी. बिलों के समाशोधन की प्रवृत्ति



उपर्युक्त चार्ट 4.2 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए बकाया ए.सी. बिलों के समाशोधन में 4.82 प्रतिशत से 71.47 प्रतिशत तक वृद्धि की प्रवृत्ति थी। हालांकि 2022-23 तक बकाया ए.सी. बिलों का कुल संचित समाशोधन कुल बिलों का 34.14 प्रतिशत था।

प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डी.सी. बिलों का विवरण चार्ट 4.3 में दिया गया है:

चार्ट 4.3: प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डी.सी. बिल



स्रोत: वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

उपर्युक्त चार्ट 4.3 से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. के दस प्रमुख विभागों के संबंध में लंबित डी.सी. बिल ₹ 14.34 करोड़ से ₹ 197.83 करोड़ तक के थे।

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तालिका 4.21, चार्ट 4.2 तथा चार्ट 4.3 में दर्शाई गई राशियों की पुष्टि की (फरवरी 2024)।

पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए ए.सी. बिलों का आहरण

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली 1983 के नियम 96 के अनुसार 'आकस्मिक प्रभार' अथवा 'आकस्मिक व्यय' शब्द का अर्थ है कि इसमें सभी आकस्मिक तथा अन्य व्यय (स्टोर सहित) शामिल हैं जो एक कार्यालय के रूप में प्रबंधन के लिए अथवा तकनीकी स्थापनाओं और उसके सदृश के कार्यचालन के लिए किए जाते हैं जैसे प्रयोगशाला, कार्यशाला, औद्योगिक अधिष्ठापन, स्टोर डिपो परंतु उस व्यय

के अतिरिक्त जो विशेष रूप से व्यय के कुछ अन्य शीर्ष जैसे निर्माण 'कार्य', 'उपकरण तथा संयंत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

2022-23 के दौरान दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डीएफएस) का ₹ 197 करोड़ का एक एसी बिल पूंजीगत परिसंपत्तियों¹ के सृजन के लिए अहारित किया गया था जो उपरोक्त नियम का उल्लंघन था।

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं में शामिल बकाया ए.सी. बिलों से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों के सत्यापन के लिए पांच विभागों/संस्थानों जैसे कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, मुख्य निर्वाचन कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, व्यापार एवं कर विभाग, परिवहन विभाग को विस्तृत लेखपरीक्षा हेतु चुना गया था। विभाग-वार मुख्य अभियुक्तियों की चर्चा अनुवर्ती पैराओं में की गई है।

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 का नियम 118 निर्धारित करता है कि प्रत्येक एसी बिल के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा कि भुगतान के लिए प्रस्तुत बिल के पहले के माह में आहारित किए गए ए.सी. बिलों के संबंध में डी.सी. बिलों को नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रमाणपत्र के बिना किसी भी तरह से ए.सी. बिलों को भुनाया नहीं जा सकता है। उक्त नियमों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ए.सी. बिलों को उनके आहरण के एक माह के भीतर समायोजित करने की आवश्यकता है।

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 110 के अनुसार कार्यालय द्वारा आकस्मिक व्यय का एक रजिस्टर जीएआर 27 प्रपत्र में रखा जाएगा तथा कार्यालयाध्यक्ष के आद्याक्षर प्रत्येक मद के भुगतान की तिथि के सामने दर्ज किए जाएंगे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां इस प्रकार हैं:

4.3.1 कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (डीएसीएल)

(क) ₹ 17.90 करोड़ के बकाया ए.सी. बिलों का गैर-समायोजन

विभागीय अभिलेखों से पता चला कि ₹ 17.90 करोड़ के एसी बिल 19 मार्च 2009 से 19 सितंबर 2023 तक लंबित थे। डी.सी. बिलों की

¹ 15 आयतित और अतिविशिष्ट अग्निशमन वाहनों, बचाव वाहनों/उपकरणों की खरीद के लिए डीएमआरसी को अग्रिम राशि दी गई

गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये आहरित की गई थीं।

(ख) डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में 105 दिनों से 599 दिनों का विलंब था जो प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 का उल्लंघन था जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 4.3: डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि (₹ में)	डी.सी. बिल संख्या व तिथि के द्वारा निपटाए गए	निपटान में विलंब (दिनों में)
1.	एसीबी-167 दिनांक 22.11.2021	57,29,400	डीसीबी-134 दिनांक 7.9.2022	259
2.	एसीबी-249 दिनांक 30.3.2021	1,00,00,000	डीसीबी-112 दिनांक 17.9.2021	141
3.	एसीबी-424 दिनांक 27.12.2019	5,00,000	डीसीबी-107 दिनांक 16.9.2021	599
4.	एसीबी-533 दिनांक 3.2.2020	68,000	डीसीबी-35 दिनांक 15.7.2020	133
5.	एसीबी-542 दिनांक 14.2.2020	1,65,000	डीसीबी-32 दिनांक 15.7.2020	122
6.	एसीबी-571 दिनांक 02.03.2020	2,35,000	डीसीबी-34 दिनांक 15.7.2020	105

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब था। आहरित ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ग) निर्धारित प्रपत्र में आकस्मिक व्यय रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीएसीएल द्वारा आकस्मिक व्यय से संबंधित रजिस्टर को निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखा जा रहा था जो प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 110 का उल्लंघन था। आकस्मिक व्यय का रजिस्टर न रखे जाने के कारण मांगे गए (सितंबर 2023) परंतु विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

4.3.2 मुख्य निर्वाचन कार्यालय

(क) वित्त लेखाओं और विभागीय अभिलेखों के बीच गैर-समायोजित अंतर:

जबकि वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुलग्नक 'डी' में ₹ 13.19 करोड़ (31 मार्च 2023) के लंबित बकाया एसी बिल दर्शाए गए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय के विभागीय अभिलेख में ₹ 8.88 करोड़ (31 मार्च 2023) के बकाया एसी बिल दिखाए गए। जिनमें ₹ 4.31 करोड़ का अंतर गैर-समायोजित रह गया, जो प्राप्ति और भुगतान नियमावली 1983 के नियम 118 का उल्लंघन है।

(ख) ₹ 8.97 करोड़ के ए.सी. बिलों का गैर-समायोजन

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 8.97 करोड़ की राशि के 52 एसी बिल अभी भी बकाया थे और वित्तीय वर्ष 2023-24 (सितंबर 2023 तक) में कोई बिल का निपटान नहीं किया गया था जो प्राप्ति और भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 118 का उल्लंघन है। डी.सी. बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इन्हें आहरित किया गया था। इसलिए इन बकाया बिलों के निपटान के लिए निष्ठावान और नियमित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) डी.सी. बिल प्रस्तुत करने में विलंब:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी.सी. बिल उपर्युक्त प्राप्तियों और भुगतान नियमावली के नियम 118 के उल्लंघन में 377 से 648 दिनों के विलंब के बाद प्रस्तुत किए गए थे जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.4: डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि ₹ में	डीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब
1.	एसीबी-867 दिनांक 4.2.2020	81,26,925	डीसीबी-441 दिनांक 15.11.2021	620 दिन
2.	एसीबी -868 दिनांक 4.2.2020	2,98,205	डीसीबी-591 दिनांक 17.03.21	377 दिन
3.	एसीबी-872 दिनांक 5.2.2020	40,120	डीसीबी-494 दिनांक 9.12.21	643 दिन
4.	एसीबी-23 दिनांक 5.5.2020	20,00,000	डीसीबी-730 दिनांक 14.03.2022	648 दिन

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में डीसी बिलों की प्रस्तुति में विलंब था। आहरित ए.सी. बिलों के प्रति डीसी बिलों की प्रस्तुति में विलंब के कारण मांगे गए (सितंबर 2023) परंतु विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

4.3.3 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

क) ₹ 10.96 करोड़ के ए.सी. बिलों का गैर-समायोजन

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 10.96 करोड़ के 32 एसी बिल अभी तक बकाया थे (1 अप्रैल 2023 के बाद आहरित ₹ 27,000 के एक एसी बिल सहित)। डी.सी. बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे आहरित की गई थीं।

ख) डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

डीआईटी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी.सी. बिल प्राप्त एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 के उल्लंघन में 68 दिनों से 1270 दिनों के विलंब के बाद प्रस्तुत किए गए जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 4.5: डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि ₹ में	डीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब
1.	एसीबी-60 दिनांक 12.7.2019	340003	डीसीबी-219 दिनांक 01.02.2023	1270 दिन
2.	एसीबी-169 दिनांक 05.02.2021	1227612	डीसीबी-178 एवं 40 दिनांक 2.2.2022 एवं 30.5.2022	449 दिन
3.	एसीबी-57 दिनांक 24.6.2021	346581	डीसीबी-219 दिनांक 01.02.2023	557 दिन
4.	एसीबी-241 दिनांक 31.03.2022	828734	डीसीबी-187 दिनांक 21.12.2022	235 दिन
5.	एसीबी-242 दिनांक 31.03.2022	564202	डीसीबी-187 दिनांक 21.12.2022	235 दिन
6.	एसीबी-265 दिनांक 24.03.2023	44213	डीसीबी-85 दिनांक 30.06.2023	68 दिन
7.	एसीबी-266 दिनांक 24.03.2023	188068	डीसीबी-85 दिनांक 30.06.2023	68 दिन
8.	एसीबी-267 दिनांक 24.03.2023	276607	डीसीबी-85 दिनांक 30.6.2023	68 दिन

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब था। आहरित ए.सी. बिलों के प्रति डीसी बिलों की प्रस्तुति में विलंब के कारण विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए (सितंबर 2023)।

ग) आकस्मिक व्यय रजिस्टर का निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षण न करना

लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीआईटी द्वारा प्राप्त एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में आकस्मिक व्यय से संबंधित रजिस्टर को निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखा जा रहा था। आकस्मिक व्यय रजिस्टर के गैर-अनुरक्षण के कारण मांगे गए (सितंबर 2023) परंतु विभाग का उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

4.3.4 व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी)

क) वित्त लेखे तथा विभागीय अभिलेखों के बीच गैर-समायोजित अंतर

जबकि वर्ष 2022-23 के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुलग्नक 'डी' ने ₹ 18.05 करोड़ (31 मार्च 2023) के लंबित बकाया ए.सी. बिलों को दर्शाया था, डीटीटी, दिल्ली के कार्यालय के विभागीय अभिलेख ने ₹ 15.27 करोड़ (31 मार्च 2023) के बकाया ए.सी. बिलों को दर्शाया जिसमें ₹ 2.79 करोड़ का अंतर गैर-समायोजित था जो प्राप्त एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 118 का उल्लंघन था।

ख) ₹ 15.27 करोड़ के ए.सी. बिलों का गैर-समायोजन

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जून 2005 से जून 31 मार्च 2023 तक ₹ 15.27 करोड़ के 70 एसी बिल बकाया थे। डी.सी. बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए वे आहरित की गई थीं।

ग) डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

डीटीटी के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी.सी. बिलों को प्राप्त एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 के उल्लंघन में 123 से 1306 दिनों तक के विलंब के बाद प्रस्तुत किया गया जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.6: डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

क्र.सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि ₹ में	डीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब
1.	एसीबी-343 दिनांक 8.5.2019	3,94,362	डीसीबी-1784 दिनांक 3.1.2023	1306 दिन
2.	एसीबी-1689 दिनांक 8.11.2019	18,880	डीसीबी-102 दिनांक 5.5.2020	149 दिन
3.	एसीबी-1728 दिनांक 19.11.2019	18,09,944	डीसीबी-1712 दिनांक 19.3.2021	456 दिन
4.	एसीबी-1857 दिनांक 5.12.2019	3,61,19,144	डीसीबी-100 दिनांक 6.5.2020	123 दिन
5.	एसीबी-310 दिनांक 1.7.2020	2,71,28,133	डीसीबी-1784 दिनांक 13.1.2023	896 दिन
6.	एसीबी-2035 दिनांक 15.3.2022	8,71,194	डीसीबी-1838 दिनांक 19.1.2023	280 दिन
7.	एसीबी-2127 दिनांक 25.3.2022	88,000	डीसीबी-943 दिनांक 26.8.2022	124 दिन

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में अत्यधिक विलंब था जो उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था। आहरित ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

4.3.5 परिवहन विभाग

क) वित्त लेखाओं तथा विभागीय अभिलेखों के बीच गैर-समायोजित अंतर:

जबकि वर्ष 2022-23 के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के अनुलग्नक 'डी' ने ₹ 15.57 करोड़ (31 मार्च 2023) के लंबित बकाया ए.सी. बिलों को दर्शाया, परिवहन विभाग के विभागीय अभिलेख ने ₹ 12.08 करोड़ (31 मार्च 2023) के बकाया ए.सी. बिलों को दर्शाया जिसमें ₹ 3.49 करोड़ का अंतर गैर-समायोजित रहा जो प्राप्त एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 118 का उल्लंघन था।

ख) ₹ 12.60 करोड़ के ए.सी. बिलों का गैर-समायोजन

परिवहन विभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 12.08 करोड़ के एसी बिल 31 मार्च 2023 तक बकाया थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.74 करोड़ के नए एसी बिल 1 अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक और जुड़ गए, जिससे कुल बकाया एसी बिल ₹ 12.82 करोड़ हो गए। इसमें से केवल ₹ 0.22 करोड़ के बिलों का निपटान अप्रैल से सितंबर 2023

तक किया गया और शेष ₹ 12.60 करोड़ अभी तक बकाया था। डी.सी. बिलों की गैर-प्रस्तुति के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वे आहरित की गई थीं। अतः इन बकाया बिलों के निपटान हेतु निष्ठावान तथा नियमित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

ग) डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

परिवहन विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डी.सी. बिल प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली के नियम 118 के उल्लंघन में 40 दिनों से 1251 दिनों तक के विलंब के पश्चात प्रस्तुत किए गए जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.7: डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब

क्र. सं.	अग्रिम बिल संख्या व तिथि	आहरित राशि ₹ में	डीसी बिल संख्या व तिथि द्वारा निपटान	निपटान में विलंब
1.	एसीबी-3125 दिनांक 7.3.2023	2199000	डीसीबी-330 दिनांक 16.05.2023	40 दिन
2.	एसीबी-557 दिनांक 31.5.2019	9978293	डीसीबी-1602 दिनांक 13.9.2022	1,171 दिन
3.	एसीबी-838 दिनांक 5.7.2019	46668	डीसीबी-2561 दिनांक 6.1.2023	1,251 दिन
4.	एसीबी-1089 दिनांक 5.8.2019	50000	डीसीबी-2398 दिनांक 26.12.2019	113 दिन
5.	एसीबी-1227 दिनांक 20.8.2019	4229816	डीसीबी-656 दिनांक 8.6.2022	993 दिन
6.	एसीबी-1558 दिनांक 25.9.2019	2937725	डीसीबी-1604 दिनांक 13.1.2022	811 दिन
7.	एसीबी-1857 दिनांक 22.10.2019	14,38,13,469	डीसीबी-2823 दिनांक 16.03.2021	481 दिन
8.	एसीबी-1758 दिनांक 16.10.2019	2,96,000	डीसीबी-2619 दिनांक 27.01.2022	804 दिन
9.	एसीबी-3134 दिनांक 20.3.2020	3,34,75,624	डीसीबी-86 दिनांक 12.4.2021	358 दिन
10.	एसीबी-3209 दिनांक 30.3.2020	7379069	डीसीबी-789 दिनांक 26.6.2022	788 दिन
11.	एसीबी-3214 दिनांक 30.3.2020	717712	डीसीबी-859 दिनांक 27.7.2021	454 दिन
12.	एसीबी-3216 दिनांक 30.3.2020	2183806	डीसीबी 1566 दिनांक 12.9.2022	866 दिन
13.	एसीबी-3217 दिनांक 30.3.2020	1948897	डीसीबी-1565 दिनांक 12.09.2022	866 दिन
14.	एसीबी-3245 दिनांक 30.3.2020	31894243	डीसीबी-1039 दिनांक 11.8.2021	469 दिन

आहरित ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिलों की प्रस्तुति में विलंब के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए (सितंबर 2023)।

घ) आकस्मिक व्यय रजिस्टर का निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षण न करना:

लेखापरीक्षा में देखा गया कि परिवहन विभाग द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 110 के उल्लंघन में आकस्मिक व्यय से संबंधित रजिस्टर को निर्धारित प्रपत्र में नहीं रखा जा रहा था। आकस्मिक

व्यय के रजिस्टर को नहीं रखे जाने का कारण प्रस्तुत नहीं किया गया था (सितंबर 2023)।

4.4 व्यक्तिगत जमा खाते

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 191(3) के साथ पठित नियम 191 में प्रावधान है कि व्यक्तिगत जमा खातों (पीडीए) को खोलने के लिए सामान्य तौर पर निम्नलिखित प्रकार के मामलों में विशेष आदेश के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के परामर्श से अधिकृत किया जाता है:

- क) वार्ड और जब्त संपदाओं और सरकारी प्रबंधन के अधीन संपदाओं द्वारा अथवा की ओर से दिए गए धन की देखरेख के उद्देश्य से नियुक्त प्रशासक के पक्ष में। नियम 192(1) के अनुसार ये पीडीए सरकार के पास नहीं जाएंगे भले ही तीन से अधिक पूर्ण वर्षों के लिए बकाया हो;
- ख) सिविल एवं आपराधिक न्यायालयों की जमा के संबंध में संबंधित मुख्य न्यायिक प्राधिकरण के पक्ष में और ये पीडीए नियम 192(2) के अनुसार व्यपगत नहीं होंगे;
- ग) जहां सरकार की कुछ नियामक गतिविधियों के अंतर्गत प्राप्तियां वसूली जाती हैं एवं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी निधि या खाते में जमा की जाती है, जिसका उपयोग उसके अंतर्गत व्यय के लिए किया जाता है एवं इसमें समेकित निधि से कोई व्यय शामिल नहीं होता है। संबंधित अधिनियम के प्रावधान लागू होने तक ये पीडीए सरकार के पास नहीं जाएंगे।

प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाता जो खोले जाने के लिए प्राधिकृत है, सरकारी खाते का भाग होगा तथा उसके लोक लेखा के भाग में स्थित होगा।

31 मार्च 2023 को रा.रा.क्षे.दि.स. के पीडीए का विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8: 31 मार्च 2023 तक पीडीए का विवरण

01.04.2022 तक पीडीए		वर्ष 2022-23 के दौरान खुले पीडीए*		वर्ष 2022-23 के दौरान बंद हुए पीडीए		31.03.2023 को अंतिम शेष	
संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
12	56.09	शून्य	31.45	01	58.74	11	28.80

*मौजूदा पीडी खाता में प्राप्तियों व भुगतानों की राशि शामिल है

प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तालिका 4.8 में दर्शाई राशियों की पुष्टि की (फरवरी 2024)।

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के व्यक्तिगत जमा खातों को दिसंबर 2022 में बंद कर दिया गया तथा राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एनपीआईयू) के ₹ 4,42,989 शेष को आरबीआई में भेजा गया था।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रशासक 11 पीडीए संचालित कर रहे हैं। इन पीडीए को खोलने का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों (दि.वि.प्र. आदि) से प्राप्त मुआवज़े को जमा करना, भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों, के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि मालिकों को भुगतान करना पेपर बुक-केस में जांच शुल्क, सुरक्षा शुल्क, चुनाव याचिकाओं की फीस, सिविल जमा, फौजदारी जमा तथा अदालत के आदेश के अनुसार वादियों का किराया आदि के भुगतान के लिए था। 31 मार्च 2023 को इन 11 पीडीए में ₹ 28.80 करोड़ जमा था जो व्यपगत नहीं हैं।

11 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 28.80 करोड़ के बकाया के कारण मांगे गए थे (सितंबर 2023) और वे प्रतीक्षित हैं।

पीडी खातों का विश्लेषण

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे में निहित पीडीए से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए दो विभाग/संस्थान जैसे भूमि एवं भवन विभाग और जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-4), साउथ कोर्ट, साकेत का चयन विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए किया गया।

विभाग-वार प्रमुख अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गई है।

4.4.1 जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-4) साउथ कोर्ट, साकेत

सिविल लेखा नियमावली 2007 का नियम 17.7.5 निर्धारित करता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत जमा खाते के लिए वेतन एवं लेखा अधिकारी निरपवाद रूप से बैंक स्क्रॉल में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों एवं पीडी खाताधारक द्वारा किए गए प्राप्तियों एवं व्यय के मासिक विवरण के प्रति पीडी खाते से प्राप्तियों एवं भुगतानों का मासिक मिलान करेगा। पीडी खाताधारक उनके द्वारा जारी किए गए उन चैकों का विवरण दर्शाएगा जो माह के अंत तक भुनाए नहीं गए हैं। इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत जमा खाते से संबंधित “प्राप्तियों और भुगतानों के रजिस्टर का संक्षिप्त विवरण” पीडी खाताधारक द्वारा संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-4) के पीडी खाते के लिए प्राप्तियों तथा भुगतानों का मासिक मिलान नहीं किया गया था जो उपर्युक्त नियम का उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त, पीडी खाता संचालक द्वारा प्रस्तुत उत्तर (अक्टूबर 2023) के अनुसार व्यक्तिगत जमा खाता के लिए रोकड़ बही नहीं रखी जा रही है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि भविष्य में नियंत्रण अधिकारी द्वारा मासिक जांच की जाएगी।

4.4.2 भूमि एवं भवन विभाग

भूमि एवं भवन विभाग (एलबीडी) भारतीय रिजर्व बैंक में व्यक्तिगत जमा खाता (पीडीए) रखता है। एलबीडी द्वारा भूमि की आवश्यकता वाली एजेंसी से प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली भूमि के मुआवजे के लिए प्राप्त धनराशि इस खाते में जमा की जाती है।

आरबीआई की विवरणी के अनुसार 31 मार्च 2023 को इस खाते में ₹ 24.72 करोड़ की राशि पड़ी थी। एलबीडी की रोकड़बही के अनुसार पीडीए का अंतिम शेष ₹ 23.92 करोड़ है। ₹ 0.80 करोड़ का अंतर जारी किए गए परंतु प्रस्तुत नहीं किए गए चैकों के कारण है तथा आरबीआई विवरणी के साथ ₹ 1,202.80 की भिन्नता के कारण भी है जिसे आरबीआई के साथ समाधान करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2023 को अंतिम शेष राशि में से ₹ 23.92 करोड़, छः वर्ष और उससे अधिक समय से वितरण के लिए लंबित है जिसके लिए विभाग द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त शेष ₹ 0.80 करोड़ जो एलएसी/एजेंसियों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने तथा एडीजे/उच्च/उच्चतम न्यायालय इत्यादि में लंबित अदालती मामलों के कारण 2022-23 में एलएसी को वितरित नहीं किया गया था, वास्तव में 2023-24 में वितरित किया गया था।


विभाग ने कहा (सितंबर 2023) कि संबंधित एलएसी/एजेंसियों से अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण मांगने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे थे।

4.5 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

बजटिंग एवं लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, खातों के प्रकार जिसमें सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय को विधानमंडल को सूचित किया जाता है, की लागतार समीक्षा की जानी चाहिए और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे वास्तव में सभी महत्वपूर्ण हितधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारदर्शी तरीके से सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को प्रतिबिंबित करें। इस उद्देश्य के लिए 'अन्य प्राप्तियों' एवं 'अन्य व्यय' से संबंधित लघु शीर्ष-800 को केवल तभी संचालित करना अपेक्षित है जब खातों में उपयुक्त लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा आवंटित प्राथमिकताओं के उचित विश्लेषण तथा व्यय की गुणवत्ता को विकृत करता है।

लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

चार्ट 4.4 : 2018-2023 के दौरान लघु शीर्ष '800 - अन्य व्यय' का संचालन



स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

उपर्युक्त चार्ट 4.4 से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए गए व्यय की प्रतिशतता 10.57 प्रतिशत (2021-22) से 13.75 प्रतिशत (2020-21) के बीच थी।

पिछले वर्ष 2021-22 में व्यय पक्ष पर 42 राजस्व और पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्षों में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत ₹ 5,745 करोड़ दर्ज किए गए थे जो ₹ 54,354 करोड़ (राजस्व एवं पूंजीगत) के कुल व्यय का 10.57 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त उक्त लघु शीर्ष के अंतर्गत बुकिंग चालू वर्ष के दौरान 0.69 प्रतिशत तक बढ़ गई तथा 40 राजस्व और पूंजीगत मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत वे व्यय पक्ष पर ₹ 6,343 करोड़ रही जो कुल व्यय ₹ 56,311 करोड़ (राजस्व और पूंजीगत) का 11.26 प्रतिशत था।

मई 2016 में महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करते हुए दिशानिर्देश जारी किए थे कि लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' का उपयोग जहां कहीं भी तत्काल आवश्यक हो और तुलनात्मक रूप से कम राशियों के लिए (उदाहरणार्थ मुख्य शीर्ष प्रावधान का 5-10 प्रतिशत) अस्थायी होना चाहिए।

हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि तालिका 4.9 में सूचीबद्ध 12 मामलों में संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक ले.म.नि. के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

तालिका 4.9: लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए गए महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किए गए व्यय	संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	कुल व्यय की तुलना में लघु शीर्ष-800 में व्यय की प्रतिशतता
1.	2013-मंत्री परिषद	4.90	7.95	61.64
2.	2075-विविध सामान्य सेवाएं	17.46	18.17	96.09
3.	2211-परिवार कल्याण	89.47	102.52	87.27
4.	2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	1.32	1.32	100
5.	2404-डेरी विकास	13.51	13.51	100
6.	2702-लघु सिंचाई	22.36	25.96	86.13
7.	2801-पॉवर	3,182.48	3,182.48	100
8.	3075- अन्य परिवहन सेवाएं	0.23	0.23	100
9.	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	251.47	251.47	100
10.	4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9.86	19.54	50.47
11.	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	86.73	87.23	99.43
12.	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.68	0.68	100
	कुल	3,680.47	3,711.06	99.18

2022-23 के दौरान ₹ 62,702.84 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से ₹ 659.50 करोड़ की प्राप्तियों को लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कुल प्राप्तियों का 1.05 प्रतिशत था। 2022-23 के दौरान लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.10: लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत बुक की गई महत्वपूर्ण प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत बुक की गई प्राप्तियां	संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों की तुलना में लघु शीर्ष-800 में प्राप्तियों का प्रतिशतता
1.	0059- लोक निर्माण कार्य	41.00	42.93	95.50
2.	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	64.72	123.18	52.54
3.	0202- शिक्षा, खेल कला एवं संस्कृति	6.52	7.94	82.12
4.	0210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	94.71	115.60	81.93
5.	0217- शहरी विकास	1.13	1.13	100
6.	0230- श्रम एवं रोजगार	3.08	4.44	69.44
7.	0701- मध्यम सिंचाई	22.13	22.13	100
8.	0801- पॉवर	61.59	61.16	100
	कुल	294.88	378.51	77.90

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा आवंटित प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है। इस मामले को रा.रा.क्षे.दि.स. के पूर्व राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। हालांकि अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार वर्तमान में लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा कर सकती है और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऐसी प्राप्तियों और व्यय को दर्ज करने के लिए नए लेखा शीर्ष खोलने की संभावनाओं का पता लगा सकती है।

इसके अतिरिक्त रा.रा.क्षे.दि.स. एक अंतरिम उपाय के रूप में, लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों/व्यय' के अंतर्गत विलय की गई महत्वपूर्ण पहलों पर व्यय/प्राप्तियों के विवरण देते हुए वित्त लेखे में फुटनोटों में शामिल की जा सकती है।

वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने कहा (अक्टूबर 2023) कि इसने पहले ही लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय के वर्गीकरण की समीक्षा की पहल की थी तथा इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बजट की बड़ी राशि को पहले ही समुचित लघु शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

हालांकि तथ्य यह है कि ₹ 6,343 करोड़ के व्यय को 2022-23 के दौरान लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुक किया गया है।

4.6 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 एवं 20 के अंतर्गत 11 निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. को सौंपी गई है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय में 2022-23 तक देय दस निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे सितम्बर 2023 तक प्राप्त नहीं हुए थे। इन बकाया लेखाओं के विवरण तालिका 4.11 में दिये गये हैं।

तालिका 4.11: 30 सितम्बर 2023 को बकाया लेखाओं का विवरण

क्र.स.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे कब से लंबित	30.09.2023 को बकाया लेखाओं की संख्या
1	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	2018-19	5
2	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	2014-15	1 ²
3	दिल्ली कल्याण समिति (डीकेएस)	2022-23	1
4	दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	2019-20	4
5	अम्बेडकर विश्वविद्यालय (एयू)	2022-23	1
6	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)	2022-23	1
7	दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	2022-23	1
8	दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू)	2020-21	3
9	डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट	2022-23	1
10	डीटीसी पेंशन ट्रस्ट	2022-23	1
	कुल		19

उपर्युक्त से यह अवलोकन किया गया कि 30 सितम्बर 2023 को दस निकायों/प्राधिकरणों के 19 वार्षिक लेखे लंबित थे।

वार्षिक लेखाओं को समय से अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार का निवेश लेखापरीक्षा/राज्य विधान मंडल की जाँच से बाहर रह जाता है। परिणामस्वरूप जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार लाने के लिए, यदि आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय समय पर नहीं किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखाओं

² कार्यभार केवल 2014-15 तक ही उपलब्ध है। इसलिए केवल एक वर्ष के खातों को बकाया के रूप में लिया गया है।

को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने से धोखाधड़ी और जनता के पैसे की बर्बादी का जोखिम बढ़ जाता है।

सरकार निकायों/प्रधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रणाली पर विचार कर सकती है।

4.7 वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां

i) ऋणों और अग्रिमों का ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

रा.रा.क्षे.दि.स. के वर्ष 2022-23 के वित्त लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि विवरण संख्या 16 (रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण-2022-23 के वित्त लेखे) में ऋण और अग्रिमों के ऋणात्मक/ प्रतिकूल शेष थे। ऋणात्मक/प्रतिकूल शेषों का विवरण नीचे तालिका 4.12 में दिया गया है।

तालिका 4.12: ऋणात्मक/प्रतिकूल शेष

(₹ लाख में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	लघु शीर्ष	31.03.2023 तक शेष
1	6401	कृषि फर्म के लिए ऋण	105-खाद एवं उर्वरक	(-)90.08
2	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	201-आवास निर्माण अग्रिम	(-)545.22
3	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	202-मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)251.88
4	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	203-अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	(-)26.67
5	7610	सरकारी सेवकों को ऋण	204-कंप्यूटर की खरीद के लिए अग्रिम	(-)131.23

मुख्य शीर्ष '6401-कृषि फर्म के लिए ऋण' के संबंध में प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने पिछले साल के उत्तर को दोहराया (अक्टूबर 2023) कि वित्त लेखाओं में दिखाई गई ऋणात्मक राशि पुरानी अवधि से संबंधित है और इसमें शामिल संबंधित पीएओ को गलत वर्गीकरण का पता लगाने और उसे उचित लेखा शीर्ष में दर्ज करने की सलाह दी जा रही थी।

मुख्य शीर्ष '7610-ऋण और अग्रिम' के संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने पिछले साल के उत्तर को दोहराया (अक्टूबर 2023) कि प्रतिकूल शेष मूल राशि में ब्याज राशि की गलत बुकिंग के कारण थे और इनमें उचित सुधार के लिए अगले वित्तीय वर्ष में पीएओ के साथ समीक्षा की जाएगी।

उपर्युक्त उत्तर स्थिति में कोई सुधार नहीं होने का संकेत देते हैं और स्थिति को स्पष्ट करने और सुधारने के लिए सक्षम प्राधिकारी के प्रयासों की कमी को भी उजागर करते हैं।

ii) ऋण एवं अग्रिम का बकाया

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के विवरण की जांच (विवरण संख्या 16 की धारा 3- विभिन्न ऋणी निकायों से बकाया पुनर्भुगतान) से पता चला कि 31 मार्च 2023 तक ₹ 1,55,805.74 करोड़ बकाया के रूप में शेष थे जैसा कि नीचे तालिका 4.13 में वर्णित है।

तालिका 4.13: ऋण और अग्रिम का बकाया

(₹ लाख में)

ऋण लेने वाले का नाम	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि			प्रारंभिक अवधि जिससे बकाया संबंधित है	लम्बित
	मूलधन	ब्याज	कुल		
दिल्ली नगर निगम	3,75,226.83	3,84,436.58	7,59,663.41	1950-51	72 साल
दिल्ली जल बोर्ड	34,53,968.53	35,82,996.50	70,36,965.03	1998-99	24 साल
दिल्ली शहरी आश्रय निवेश बोर्ड	1,04,855.77	56,495.40	1,61,351.17	2011-12	11 वर्ष
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	315.05	0.00	315.05	1977-78	45 वर्ष
दिल्ली एससी वित्तीय विकास निगम दिल्ली	6,873.85	3,730.72	10,604.57	1987-88	35 वर्ष
दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससीएल)	436.34	981.77	1,418.11	1998-99	24 साल
दिल्ली वित्त निगम	3,300.00	2,805.00	6,105.00	2015-16	07 वर्ष
सहकारी संस्थाएँ	61.33	234.63	295.96	1962-63	60 साल
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	0.00	1,769.12	1,769.12	2018-19	04 वर्ष
दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	3,32,639.00	2,90,380.18	6,23,019.18	2014-15	08 वर्ष
प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	2,784.28	2,784.28	2014-15	08 वर्ष
इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)	0.00	51,490.91	51,490.91	2012-13	10 वर्ष
दिल्ली विकास प्राधिकरण	225.00	1152.90	1377.90	1979-80	43 वर्ष
दिल्ली परिवहन निगम	11,67,614.46	5,75,4042.81	69,21,657.27	1996-97	26 साल
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम	0.00	637.74	637.74	1973-74	49 वर्ष
दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	176.14	627.49	803.63	2005-06	17 वर्ष
उद्योग	8.39	307.14	315.53	1981-82	41 वर्ष
कुल अनुदान	54,45,700.69	1,01,34,873.17	1,55,80,573.86		

इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि विवरण सं. 16 में दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी) (₹ 436.34 लाख) और दिल्ली एससी वित्तीय विकास निगम (₹ 1,356.94 लाख) के दो ऋणों के खाते पर प्राप्तियों को

प्रतिबिंबित नहीं किया गया क्योंकि ऋणों के पुनर्भुगतान के नियम और शर्तें अभी तक नियत नहीं थीं। यद्यपि ये क्रमशः 1998-99 और 1987-88 की प्रारंभिक अवधि से संबंधित थे।

डीएससीएससी से बकाया ऋणों के संबंध में, प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने ऋण और अर्जित ब्याज की माफी के लिए खाद्य और आपूर्ति विभाग (वित्त विभाग को) की सिफारिश को सूचित (सितंबर 2023) किया। शेष ऋणों के संबंध में प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा (अक्टूबर 2023) कि मामले को कारण बताने के अनुरोध के साथ संबंधित विभागों को भेजा गया है। संबंधित विभागों के उत्तर प्रतीक्षित थे।

iii) विवरण संख्या 11 में दर्शाई गई निवेश की संचयी राशि विवरण संख्या 12 में दर्शाए गए कुल निवेश से मेल नहीं खाती है

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 तथा विवरण संख्या 12 से पता चला कि विवरण संख्या 11 और 12 में दिखाए गए निवेश में ₹ 289.19 करोड़ का अंतर है (विवरण नीचे दी गई तालिका 4.14 में दिखाया गया है):

तालिका 4.14 एफए के विभिन्न विवरणों में निवेश के संचयी मूल्य में बेमेल

क्र.सं.	विवरण संख्या 11 में विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत दर्शाया गया निवेश	राशि (₹ हजार में)
1	4216.80.201-हाउसिंग बोर्ड में निवेश	3,00,200
2	4217.01.190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	70,000
3	4217.02.190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	35,07,500
4	4225.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	2,34,887
5	4425.107-ऋण सहकारी समितियों में निवेश	4,852
6	4425.108-अन्य सहकारी समितियों में निवेश	1,557
7	4425.200-अन्य निवेश	4,531
8	4801.05.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश	7,10,67,800
9	4853.60.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश	31,800
10	4885.01.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश	1,73,500
11	5055.00.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश	13,77,92,617
12	5452.80.190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रम में निवेश	2,43,181
	विवरण संख्या 11 में दिखाई गई वर्ष 2022-2023 के अंत में निवेश की संचयी राशि	21,34,32,425
	विवरण संख्या 12 तथा विवरण 12 के अनुलग्नक में दर्शाई गई राशि	21,05,40,491
	विवरण संख्या 12 में दर्शाए गए आंकड़े तथा कुल निवेश के संचयी आंकड़े में अंतर जैसा कि विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया है	28,91,934

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने तथ्यों को स्वीकार किया और अंतर आने के विभिन्न कारणों को सूचित किया। हालांकि सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रयासों का संकेत नहीं दिया गया। चूंकि यह पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित किया गया, यह अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

iv) वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में अन्य विसंगतियां/अशुद्धियां

वर्ष 2022-23 के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के विभिन्न विवरणों में निम्नलिखित विसंगतियां/अशुद्धियों को देखा गया।

क) वित्त लेखाओं के विवरण 11 और विवरण 12 में दर्ज निवेश आंकड़ों की असंगतता

विवरण संख्या 12 के अनुसार, सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 34,28,100 (हजार) का निवेश किया गया है जबकि विवरण संख्या 11 में दर्ज ₹ 35,65,600 (हजार) निवेश 5055.00.190 शीर्ष के तहत है।

विभाग ने कहा (सितंबर 2023) कि डीटीसी तथा क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए ₹ 13.75 करोड़ की व्यय की गई राशि को विवरण संख्या 12 में निवेश के रूप में नहीं माना गया। हालांकि तथ्य यह है कि विवरण संख्या 11 में व्यय को गलत तरीके से दर्ज किया गया था।

इसी प्रकार वर्ष 2021-22 के लिए एसएफएआर में ₹ 19.61 करोड़ का अंतर इंगित किया गया। इस संबंध में प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बताया (अक्टूबर 2023) कि मामले को वित्त विभाग तथा परिवहन विभाग के पास उनकी टिप्पणियां मांगने के लिए भेजा गया था। आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

ख) वर्ष 1998-99 से बकाया ऋण के बावजूद निकायों को नए सिरे से ऋण संवितरण

वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली की रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं (विवरण संख्या 16 की धारा 3 तथा वर्ष के दौरान किए गए नए ऋण तथा अग्रिमों का अतिरिक्त प्रकटीकरण) की संवीक्षा से पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड पर

बकाया ऋण होने के बावजूद डीयूएसआईबी तथा डीएससीएससी, दिल्ली की रा.रा.क्षे.दि.स. को तालिका 4.15 के अनुसार ₹ 2,98,355.41 लाख का नया ऋण वितरित किया गया है।

तालिका 4.15: चूककर्ता ऋणी निकायों को नए ऋणों का संवितरण

ऋणी निकाय	मार्च 2023 तक बकाया राशि (ऋण+ब्याज) (₹ करोड़ में)	प्रारंभिक अवधि जिससे बकायों संबंधित है	वर्ष 2022-23 के दौरान नए ऋण अग्रिम (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक कुल बकाया ऋण (₹ करोड़ में)
दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	70,369.65	1998-99	2,826.90	37,366.59
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी)	1,613.51	2011-12	106.65	1,155.21
दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (डीएससीएससी)	14.18	1998-99	50.00	54.36
			2,983.55	

खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले के विभाग (सितंबर 2023) ने कहा कि यह दो वर्ष की अवधि के भीतर पूरे ऋण का पुनर्भुगतान कर देगा। शेष निकायों के उत्तर प्रतीक्षित थे।

4.8 दिल्ली राज्य वित्त आयोग

सितंबर 2023 को 2021-2026 की अवधि के लिए छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है।

कैबिनेट निर्णय संख्या 2670 दिनांक 01 जनवरी 2019 के माध्यम से मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार रा.रा.क्षे.दि.स. को एक वर्ष में रा.रा.क्षे.दि.स. के शुद्ध कर संग्रह (एनटीसी)³ का 12.5 प्रतिशत हस्तांतरित करना था। उपर्युक्त का 6 प्रतिशत निर्धारित सूत्र में पांच नगर पालिकाओं⁴ को उपलब्ध कराया जाएगा। शेष 6.5 प्रतिशत स्वास्थ्य के अंतर्गत योजनाओं के लिए हस्तांतरित किया जाना था। स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, शहरी विकास विभाग तथा स्थानीय निकायों के साथ उचित परामर्श के बाद शिक्षा और शहरी विकास क्षेत्र में सुधार किया जाएगा।

³ निवल कर संग्रह = सकल कर संग्रह का 99% (-) स्थानांतरण शुल्क और समय पर पार्किंग शुल्क जो रा.रा.क्षे.दि.स. विभाग नगर पालिकाओं से एकत्र करते हैं

⁴ एमसीडी-पूर्व, एमसीडी-उत्तर, एमसीडी-दक्षिण, एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)

एफएफसी का अधिदेश 2016-2021 की अवधि के लिए था। एफएफसी के अधिदेश की समाप्ति के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी छठे वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन नहीं किया गया था, निधियों का हस्तांतरण अभी भी एफएफसी की सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है। यूडी विभाग ने जवाब दिया (सितंबर 2023) कि उपराज्यपाल को एसएफसी के गठन के लिए एक नया प्रस्ताव दिया गया था।

शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति प्रेषित की गई (सितंबर 2023) और उत्तर प्रतीक्षित है।

अध्याय-5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

अध्याय-5

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों और वैधानिक निगमों के वित्तीय निष्पादन पर चर्चा करता है जैसा कि उनके वित्तीय विवरणों (एफएस) से पता चलता है। वर्ष 2022-23 (या पहले के वर्षों, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया था) के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा संचालित राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी की गई प्रमुख टिप्पणियों के प्रभाव की भी चर्चा की गई है।

5.1 सरकारी कंपनियों की परिभाषा

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास होता है तथा इसमें एक ऐसी कंपनी शामिल होती है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी होती है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व वाली या नियंत्रित किसी भी अन्य कंपनी¹ को इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए विनियमों के अंतर्गत

¹ कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) का सातवाँ आदेश 2014, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 04 सितंबर 2014 की राजपत्रित अधिसूचना के अंतर्गत जारी किया गया।

की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नि.म.ले.प. सरकारी कंपनियों के लिए सनदी लेखाकार को बतौर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा उन्हें निर्देश देता है कि किस प्रकार वित्तीय विवरणियों को लेखापरीक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. को सीएजी की वैधानिक लेखापरीक्षा द्वारा इन वित्तीय विवरणों के बाद एक पूरक लेखापरीक्षा के संचालन का अधिकार है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित वैधानिक निगमों के संबंध में, दिल्ली परिवहन निगम को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार उनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा किया जाना आवश्यक है, जबकि दिल्ली वित्तीय निगम के लिए, सीएजी एक पूरक लेखापरीक्षा आयोजित करता है।

5.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम तथा राज्य की स.रा.घ.उ. में उनका योगदान

5.3.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां तथा वैधानिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को जन कल्याण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक रूपी गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्थापित किया जाता है तथा ये राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते हैं। 31 मार्च 2023 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, दिल्ली में 18 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिसमें 15 सरकारी कंपनियां, 2 वैधानिक निगम² तथा सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी शामिल थीं। 15 सरकारी कंपनियों में दिल्ली राज्य उद्यम तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की चार निष्क्रिय सहायक कंपनियां शामिल हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों में कोई गतिविधि नहीं की है। कोई भी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (राज्य के पीएसई) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम परिशिष्ट 5.1 में दिए गए हैं।

5.3.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के क्षेत्र को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 को

² दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वित्तीय निगम

समाप्त तीन वर्षों के लिए रा.रा.क्षे.दि. (एनसीटीडी) के कार्यशील एसपीएसई और स.रा.घ.उ. के कुल टर्नओवर का विवरण तालिका 5.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.1: एसपीएसई की तुलना में रा.रा.क्षे.दि. के स.रा.घ.उ. के कुल टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

एसपीएसई के क्षेत्रों के नाम	2020-21	2021-22	2022-23
पावर	4711.71	4870.96	4,870.96
वित्त	4.44	4.55	4.26
सेवाएं	2533.39	1722.61	1722.61
अवसंरचना	1,112.45	789.65	789.65
परिवहन	518.08	636.54	636.54
कुल टर्नओवर	8880.07	8024.31	8024.02
दिल्ली का स.रा.घ.उ.	76,3435	9,04,642	10,43,759
दिल्ली के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर की प्रतिशतता	1.16	0.89	0.77
स.रा.घ.उ. में टर्नओवर की क्षेत्रीय प्रतिशतता			
पावर	0.62	0.54	0.47
वित्त	0.00	0.00	0.00
सेवाएं	0.33	0.19	0.16
अवसंरचना	0.14	0.09	0.08
परिवहन	0.07	0.07	0.06

स्रोत: टर्नओवर के आंकड़े एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार लिए गए हैं तथा उनका स.रा.घ.उ. के संबंध में ये आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से लिए गए हैं।

दिल्ली के स.रा.घ.उ. में एसपीएसई का योगदान 2021-22 में 0.89 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 0.77 प्रतिशत रह गया। इसके अतिरिक्त, दिल्ली की स.रा.घ.उ. में पावर क्षेत्र के एसपीएसई का योगदान उच्चतम अर्थात् दिल्ली की स.रा.घ.उ. का 0.62 प्रतिशत था। उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि इन एसपीएसई के कुल टर्नओवर में 2020-21 से 2021-22 में 9.64 प्रतिशत की कमी देखी गई है तथा उसके बाद इनके नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण के अनुसार 2021-22 से 2022-23 तक लगभग समान रहा। हालांकि, स.रा.घ.उ. में एसपीएसई का योगदान मामूली रहा।

5.4 एसपीएसई में निवेश तथा बजटीय सहायता

5.4.1 एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग तथा ऋण

31 मार्च 2023 तक क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी योगदान तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घकालिक ऋण (परिशिष्ट 5.2) तालिका 5.2 में दिए गए हैं:

तालिका 5.2: 31 मार्च 2023 को एसपीएसई में क्षेत्र-वार निवेश

एमपीएसई के क्षेत्र का नाम	कुल निवेश (₹ करोड़ में)					कुल इक्विटी और दीर्घकालिक ऋणों की क्षेत्रवार प्रतिशतता
	इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		कुल इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण	
	कुल	राज्य सरकार	कुल	राज्य सरकार		
पावर	7,506.79	7,106.78	811.06	441.98	8,317.85	37.36
वित्त	76.60	64.60	101.24	101.24	177.84	0.80
सेवाएं	25.06	24.03	52.20	52.14	77.26	0.35
अवसंरचना	21.00	21.00	0	0	21.00	0.09
परिवहन	1,994.50	1,994.50	11,676.14	11,676.14	13,670.64	61.40
कुल	9,623.95	9,210.91	12,640.64	12,271.50	22,264.59	100

स्रोत: नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण तथा एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत जानकारी (दीर्घकालिक ऋणों में रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण की वर्तमान मेच्युरिटी शामिल है।)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि एसपीएसई में सबसे अधिक निवेश मुख्य रूप से परिवहन तथा पावर क्षेत्र में किया गया, जिन्होंने ₹ 22,264.59 करोड़ के कुल निवेश का क्रमशः 61.40 प्रतिशत तथा 37.36 प्रतिशत प्राप्त किया। परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत एक वैधानिक निगम, दिल्ली परिवहन निगम ने कुल निवेश का 99.92 प्रतिशत प्राप्त किया।

5.4.2 एसपीएसई में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर की बाजार कीमत को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 तक, किसी भी सरकारी कंपनी के शेयर भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे।

5.4.3 विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, एसपीएसई के विनिवेश/पुनर्गठन/निजीकरण का कोई मामला नहीं था।

5.5 एसपीएसई से रिटर्न

5.5.1 एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2022-23 में लाभ अर्जित करने वाली आठ एसपीएसई³ थीं। लाभार्जित करने वाली एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ 2020-21 के ₹ 1,814.08 करोड़ से 2022-23 में ₹ 1,873.65 करोड़ में मामूली रूप से बढ़ा।

³ डीएसआईआईडीसी, पीपीसीएल, आईपीजीसीएल, डीटीएल, डीपीसीएल, आईसीएसआईएल, जीडीएल तथा डीटीआईडीसी। एक एसपीएसई (एसआरडीसी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत, एक गैर-लाभकारी कंपनी है।

वर्ष 2022-23 में पाँच अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली एसपीएसई का विवरण (परिशिष्ट 5.3) तालिका 5.3 में दिया गया है:

तालिका 5.3: पांच अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली एसपीएसई

एसपीएसई का नाम	निवल अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	कुल एसपीएसई लाभ पर लाभ की प्रतिशतता (₹ 1873.65 करोड़ का)
डीटीएल	766.22	40.89
पीपीसीएल	652.47	34.82
डीएसआईआईडीसी	144.68	7.72
आईपीजीसीएल	141.77	7.57
डीपीसीएल	139.64	7.46
कुल	1844.78	98.46

स्रोत: एसपीएसई का नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

2022-23 के दौरान, ₹ 1,844.78 करोड़ का निवल लाभ जो 8 एसपीएसई के कुल लाभ का 98.46 प्रतिशत है उसमें इन पांच एसपीएसई ने योगदान दिया था, जिसमें से डीटीएल का अधिकतम लाभ था।

तालिका 5.4: एसपीएसई का निवल लाभ से टर्नओवर अनुपात

क्षेत्र	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	टर्नओवर (₹ करोड़ में)	निवल लाभ और टर्नओवर अनुपात (प्रतिशत में)
पॉवर	1,700.10	4,870.96	34.90
वित्त	(-)27.72	4.26	--
सेवाएं	2.91	1722.61	0.17
अवसंरचना	144.68	789.65	18.32
परिवहन	(-)8,477.56	636.54	--
कुल	(-)6,657.59	8,024.02	--

स्रोत: एसपीएसई का नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2022-23 में पॉवर क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र में निवल लाभ की तुलना में टर्नओवर अनुपात क्रमशः अधिकतम (34.90 प्रतिशत) तथा न्यूनतम (0.17 प्रतिशत) था। इसके अतिरिक्त, परिवहन क्षेत्र में, वर्ष 2022-23 में टर्नओवर में निवल हानि 1,331.82 प्रतिशत हो गई।

5.5.2 एसपीएसई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

रा.रा.क्षे.दि.स. ने लाभांश नीति बनाई थी (17 अगस्त 2021), जिसके अंतर्गत एसपीएसई को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत लाभांश के अधीन कर के बाद लाभ का 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी

अधिक हो का न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना आवश्यक था। एसपीएसई द्वारा घोषित/भुगतान किया हुआ लाभांश तालिका 5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.5: एसपीएसई द्वारा घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	एसपीएसई की संख्या जिन्होंने लाभांश घोषित किया	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
2022-23	पॉवर	--	--	--	--
	वित्त	--	--	--	--
	सेवाएं	2 ⁴	25.07	2.91	0.84
	अवसंरचना	1 ⁵	21.00	144.68	60.08
	परिवहन	--	--	--	--

स्रोत: एसपीएसई का नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, आठ एसपीएसई में से, जिन्होंने नवीनतम अंतिम विवरण के अनुसार लाभ अर्जित किया, केवल तीन एसपीएसई ने लाभांश घोषित/भुगतान किया था। अधिकतम लाभ अर्जित करने वाली पांच एसपीएसई में से केवल डीएसआईआईडीसी ने वर्ष 2022-23 में लाभांश घोषित किया तथा अन्य चार एसपीएसई जिन्होंने ₹ 1,700.10 करोड़ का लाभ अर्जित किया, ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

5.6 ऋण सर्विसिंग

5.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने में किया जाता है तथा इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज व्ययों द्वारा ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की आय को विभाजित करके की जाती है। जितना अनुपात कम होगा, उतना ही कंपनी के ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी अपनी ब्याज देयता का भुगतान करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। ब्याज देयता वाले एसपीएसई में ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका 5.6 में दिया गया है:

⁴ जीएसडीएल और आईसीएसआईएल

⁵ डीएसआईआईडीसी

तालिका 5.6: एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज देयता (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	सरकार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ब्याज देयता वाली एसपीएसई की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2020-21	7,474.05	1,926.05	6	3	3
2021-22	8,663.58	2,106.11	6	3	3
2022-23	8,663.58	2,101.65	6	3	3

स्रोत: एसपीएसई का नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

यह देखा गया कि 2022-23 के दौरान तीन एसपीएसई⁶ का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था, लेकिन अन्य तीन⁷ एसपीएसई का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था। इस प्रकार, ये तीन एसपीएसई अपनी ब्याज देयता पूरा करने के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर पा रही थीं।

5.7 एसपीएसई का वित्तीय निष्पादन

5.7.1 नियोजित पूंजी पर रिटर्न

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) एक अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता तथा क्षमता को मापता है जिस पर इसकी पूंजी नियोजित की जाती है। आरओसीई की गणना, ब्याज तथा कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूंजी⁸ से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान 13 एसपीएसई जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था, का आरओसीई विवरण परिशिष्ट 5.3 में दिया गया है तथा तालिका 5.7 में सारांशित किया गया है:

तालिका 5.7: नियोजित पूंजी पर रिटर्न

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2020-21	2574.58	16596.04	15.51
2021-22	2567.63	17235.98	14.90
2022-23	2563.17	17218.84	14.89

स्रोत: एसपीएसई का नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

⁶ डीटीएल, पीपीसीएल और आईपीजीसीएल

⁷ डीटीसी, डीएससीएफडीसी और डीएफसी

⁸ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आरओसीई वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान 15.51 प्रतिशत से घटकर 14.89 प्रतिशत हो गई। उपर्युक्त आरओसीई डीटीसी को छोड़कर 12 एसपीएसई का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि डीटीसी की नियोजित पूंजी सभी तीन वर्षों में ऋणात्मक थी जो ₹ 38,582.69 करोड़ से ₹ 47,081.04 करोड़ के बीच थी। इसके अलावा, उपर्युक्त अवधि के दौरान डीटीसी की ईबीआईटी (-) ₹ 108.33 करोड़ से (-) ₹ 163.90 करोड़ रही।

5.7.2 एसपीएसई द्वारा इक्विटी पर रिटर्न

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) वित्तीय निष्पादन, लाभ अर्जन के लिए कंपनी की संपत्ति को कितना प्रभावकारी तरीके से उपयोग किया जा रहा है, इसके आकलन के लिए एक मापक है। आरओई की गणना निवल आय (अर्थात् करों के पश्चात निवल लाभ) को शेयरधारकों की निधि⁹ से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है तथा किसी भी कंपनी के लिए आकलन किया जा सकता है, यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्या हों।

शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि यदि सभी संपत्ति बेच दी जाए तथा ऋण चुका दिए जाएं तो कंपनी के शेयरधारकों के लिए कितनी निधि बचेगी। एक धनात्मक शेयरधारक की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त संपत्ति है, जबकि ऋणात्मक शेयरधारक निधि का अर्थ है कि देयताएं संपत्ति से अधिक हैं।

रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के साथ 13 एसपीएसई से संबंधित कुल निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि का विवरण परिशिष्ट 5.3 में दिया गया है तथा तालिका 5.8 में सारांशित किया गया है:

⁹ शेयरधारकों की निधि = प्रदत्त पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय

तालिका 5.8: एसपीएसई से संबंधित इक्विटी पर रिटर्न जहां रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निधि लगाई गई

वर्ष	कुल निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2020-21	(-) 5,537.79	(-) 35,274.30	-
2021-22	(-) 6,658.68	(-) 43,012.79	-
2022-23	(-) 6,663.14	(-) 43,029.93	-

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

चूंकि वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान निवल आय के साथ-साथ शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी, इसलिए आरओई की गणना नहीं की गई। डीटीसी को हुई भारी हानि के कारण वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक सभी वर्षों के लिए निवल आय, ऋणात्मक थी, जिसने अन्य एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ को समाप्त कर दिया। शेयरधारकों की निधि मुख्यतः डीटीसी की संचित हानि के कारण ऋणात्मक थी, जो नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण के अनुसार ₹ 60,741.03 करोड़ तक बढ़ चुकी थी।

5.7.3 निवेश पर रिटर्न

निवेश पर रिटर्न, कुल निवेश पर लाभ या हानि की प्रतिशतता है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने 18 एसपीएसई में से केवल 13 एसपीएसई में इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में धनराशि लगाई है। रा.रा.क्षे.दि.स. ने शेष पांच¹⁰ एसपीएसई में कोई प्रत्यक्ष धनराशि नहीं लगाई।

5.7.4 सरकारी निवेशों पर वास्तविक रिटर्न की दर (आरओआरआर)

31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में, निवेश की विगत लागत को वर्तमान मूल्य (पीवी) पर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एसपीएसई में लगाए गए पिछले निवेश/वर्ष-वार धनराशि को, सरकारी उधारों पर वर्ष-वार औसत ब्याज दर पर संयोजित किया गया है जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार के लिए धनराशि की न्यूनतम लागत के रूप में माना जाता है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई, जहां राज्य सरकार द्वारा इन कंपनियों के प्रारंभ से 31 मार्च 2023 तक परिचालन

¹⁰ डीईएल, डीसीएडी, डीएमएसएल तथा डीएलएल डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनियां जिसने अपनी पूंजी में योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, आईसीएसआईएल के मामले में, डीएसआईआईडीसी, टीसीआईएल तथा अन्य दो कंपनियों द्वारा पूंजी का योगदान किया गया।

और प्रबंधन व्यय के लिए इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण, अनुदान/सब्सिडी, यदि कोई हो (विनिवेश को छोड़कर), इन के रूप में धनराशि लगाई गई थी।

एसपीएसई में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई:

- राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋणों को, निवेश प्रोत्साहन माना गया है क्योंकि एसपीएसई द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की कोई राशि नहीं चुकाई गई है। इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां एसपीएसई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में परिवर्तित किया गया था, इस प्रकार इक्विटी में परिवर्तित ऋण राशि को ब्याज मुक्त ऋण राशि में से घटा दिया गया तथा उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया।
- संबंधित वित्तीय वर्ष¹¹ के लिए सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के लिए निधियों के निवेश के लिए सरकार द्वारा वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न की दर माना गया।
- रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश की आरओआरआर गणना के लिए, 2002-03¹² के प्रारंभ से 2022-23 की अवधि में 13 एसपीएसई में 31 मार्च 2002 तक के निवेश को 2002-03 के प्रारंभ में रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश के वर्तमान मूल्य के रूप में लिया गया।

2002-03 से 31 मार्च 2023 तक 17 एसपीएसई (डीएसआईआईडीसी की चार सहायक कंपनियों सहित) से संबंधित रा.रा.क्षे.दि.स. निवेश की आरओआरआर की समेकित स्थिति तालिका 5.9 में दर्शाई गई है:

¹¹ संबंधित वर्ष के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखों से सरकारी उधारों पर औसत ब्याज दर स्वीकृत की गई।

¹² एसपीएसई से प्राप्त सूचना के अनुसार

तालिका 5.9: वर्ष 2002-03 से 2022-23 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश तथा सरकारी निधियों पर आरओआरआर का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिया गया ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन और प्रशासन के व्यय के लिए अनुदान तथा सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत तक कुल निवेश	सरकारी उधारी पर औसत ब्याज दर प्रतिशत में	वर्ष के अंत तक कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत की पूर्ति के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष के दौरान कुल अर्जन/हानि (-)
i	ii	iii	iv	v	vi=iii +iv +v	vii=ii +vi	viii	ix={vii*(1+viii)/100}	x={viii*vii}/100}	xi
2002-03	183.06 ¹³	324.41	0.00	0.20	324.61	507.67	11.17	564.38	56.71	-1,872.94
2003-04	564.38	0.00	0.00	0.20	0.20	564.58	10.65	624.70	60.13	-534.27
2004-05	624.70	0.00	0.00	0.20	0.20	624.90	10.34	689.52	64.62	-1,375.28
2005-06	689.52	0.00	0.00	130.87	130.87	820.39	8.87	893.16	72.77	-1,859.78
2006-07	893.16	3.11	0.00	42.07	45.18	938.34	9.35	1,026.07	87.73	-864.09
2007-08	1,026.07	4,471.80	0.00	33.56	4,505.36	5,531.43	9.84	6,075.73	544.29	-1,749.46
2008-09	6,075.73	715.19	0.00	19.25	734.44	6,810.17	9.90	7,484.37	674.21	-1,672.67
2009-10	7,484.37	1,128.25	0.00	96.25	1,224.50	8,708.87	9.52	9,537.96	829.08	-1,788.68
2010-11	9,537.96	464.00	0.00	402.98	866.98	10,404.94	9.10	11,351.79	946.85	-1,557.81
2011-12	11,351.79	665.48	40.00	764.59	1,470.07	12,821.86	9.77	14,074.55	1,252.70	-1,969.18
2012-13	14,074.55	498.55	50.00	1,310.54	1,859.09	15,933.64	9.73	17,483.98	1,550.34	-1,775.75
2013-14	17,483.98	745.00	1.00	1,409.70	2,155.70	19,639.68	9.21	21,448.50	1,808.81	-2,034.69
2014-15	21,448.50	-1.15	7.00	1,438.75	1,444.60	22,893.10	8.59	24,859.62	1,966.52	-942.51
2015-16	24,859.62	0.00	0.00	1,416.93	1,416.93	26,276.55	8.54	28,520.56	2,244.02	-2,049.81
2016-17	28,520.56	0.00	0.00	1,792.66	1,792.66	30,313.22	8.65	32,935.32	2,622.09	-2,867.88
2017-18	32,935.32	0.00	0.00	2,078.18	2,078.18	35,013.50	8.58	38,017.66	3,004.16	-2,895.56
2018-19	38,017.66	0.00	0.00	1,890.95	1,890.95	39,908.61	8.64	43,356.71	3,448.10	-3,489.59
2019-20	43,356.71	4.80	0.00	2,162.44	2,167.24	45,523.95	8.14	49,229.60	3,705.65	-4,175.27
2020-21	49,229.60	0.00	0.00	2,639.68	2,639.68	51,869.28	7.04	55,520.88	3,651.60	-3,358.75
2021-22	55,520.87	0.00	0.00	2,472.19	2,472.19	57,993.06	6.50	61,762.61	3,769.55	-4,520.55
2022-23	61,762.61	0.00	0.00	2,602.08	2,602.08	64,364.69	6.15	68,323.12	3,958.43	-6,657.59
कुल		9,019.44	98.00	22,704.27	31,821.71					

स्रोत: एसपीएसई से प्राप्त सूचना तथा संबंधित वर्षों के रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

वर्ष के अंत में, इन 13 एसपीएसई में रा.रा.क्षे.दि.स. का निवेश वर्ष 2002-03 में ₹ 507.67 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 64,364.69 करोड़ हो गया। 31 मार्च 2023 तक रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 68,323.12 करोड़ था। तालिका से यह देखा जा सकता है कि कंपनियों की कुल अर्जित आय 2002-03 से 2022-23 तक सभी वर्षों में ऋणात्मक रही। यह डीटीसी को लंबे समय से हो रही हानि के कारण थी, जिसने मुख्य रूप से अन्य एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ को नष्ट कर दिया।

¹³ वर्ष 2001-2002 तक 13 एसपीएसई में रा.रा.क्षे.दि.स द्वारा किए गए निवेश का अंतिम शेष

5.8 हानि में चल रहे एसपीएसई

5.8.1 उठाई गई हानि

मार्च 2023 के अंत में उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार नौ¹⁴ एसपीएसई ऐसी हैं जिन्हें हानि हुई। इन एसपीएसई द्वारा उठाई गई हानि उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार वर्ष 2020-21 में ₹ 7,362.06 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 8,526.78 करोड़ से ₹ 8,531.24 करोड़ तक बढ़ी जैसा कि तालिका 5.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.10: हानि उठाने वाले एसपीएसई का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एसपीएसई की संख्या जिन्हें हानि हुई	वर्ष में हुई निवल हानि	संचित हानि	निवल मूल्य ¹⁵
2020-21	7 ¹⁶	7,362.06	(-)52,269.29	(-)50,213.6
2021-22	9 ¹⁷	8,526.78	(-)60,527.54	(-)58,458.57
2022-23	9 ¹⁸	8,531.24	(-)60,544.69	(-)58,475.72

स्रोत: एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान घाटे में चल रहे नौ एसपीएसई द्वारा कुल हानि ₹ 8,531.24 करोड़ में से ₹ 8,498.35 करोड़ (99.61 प्रतिशत) हानि में केवल दिल्ली परिवहन निगम का योगदान था।

5.8.2 एसपीएसई में पूंजी का अपक्षरण

31 मार्च 2023 तक, पांच एसपीएसई¹⁹ ऐसे थे जिनका निवल मूल्य समाप्त हो चुका है। इन पांच एसपीएसई में से तीन एसपीएसई जैसे डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी मेटेनेंस लिमिटेड तथा डीएसआईआईडीसी क्रिएटिव आर्ट्स लिमिटेड, जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया, निष्क्रिय हैं।

¹⁴ एसआरडीसी ने 2020-21 में कोई लाभ/हानि अर्जित नहीं किया, अतः इसे हानि उठाने वाली एसपीएसई में नहीं माना गया।

¹⁵ निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त पूंजी और मुक्त रिजर्व और अधिशेष से संचित हानि और स्थगित राजस्व व्यय घटाकर मिलने वाला कुल योग। मुक्त रिजर्व का अर्थ है लाभ और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी रिजर्व, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से निर्मित आरक्षित निधियाँ तथा मूल्य ह्रास प्रावधान का प्रतिलेखन शामिल नहीं है।

¹⁶ डीटीसी, डीएफसी और डीएससीएफडीसी और डीएसआईआईडीसी की चार सहायक कंपनियां

¹⁷ डीटीसी, डीएफसी, डीटीटीडीसी, डीएससीएससी, डीएससीएफडीसी तथा डीएसआईआईडीसी की चार सहायक कंपनियां

¹⁸ डीएससीएफडीसी, डीएफसी, डीटीसी, डीएससीएससीएल, डीटीटीडीसी, डीसीएडी, डीएसआईआईडीसी मेटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड

¹⁹ दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली वित्तीय निगम, डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी मेटेनेंस लिमिटेड तथा डीएसआईआईडीसी क्रिएटिव आर्ट्स लिमिटेड

शेष दो एसपीएसई दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी) हैं जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने इक्विटी और ऋणों का निवेश किया था।

नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरणों के अनुसार सितंबर 2023 तक डीटीसी को ₹ 8,498.35 करोड़ की हानि हुई। इसकी प्राप्तियां मुख्य रूप से यातायात आय, किराया प्राप्त आदि से थीं, जो इसके परिचालन व्यय (वेतन और भत्ते, ईंधन लागत आदि) के लिए पर्याप्त नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप इसको नवीनतम अंतिम वित्तीय विवरण के अनुसार ₹ 60,741.03 करोड़ की संचित हानि हुई।

संचित हानि से इसका निवल मूल्य पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है तथा 31 मार्च 2023 तक, ₹ 1,983.85 करोड़ के इक्विटी निवेश तथा ₹ 11,676.14 करोड़ के ऋण के प्रति निवल मूल्य (-) ₹ 58,757.18²⁰ करोड़ था जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया।

डीएफसी को, जिसकी संचित हानि ₹ 39.31 करोड़ थी, इसके सितंबर 2023 के नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार ₹ 17.14 करोड़ की हानि हुई। इसका निवल मूल्य संचित हानि के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गया तथा 31 मार्च 2023 को, ₹ 26.60 करोड़ के इक्विटी निवेश तथा ₹ 33 करोड़ के ऋण के प्रति निवल मूल्य (-) ₹ 12.71 करोड़ था जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, एक सरकारी कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करता है। सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने तथा वैधानिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी जारी करने या पूरक लेखापरीक्षा का अधिकार है। निगमों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार उनके वित्तीय विवरणों (एफएस) की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा किया जाना आवश्यक है तथा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट विधानमंडल को प्रस्तुत की जाती है।

²⁰ डीटीसी अपने परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए पूरी तरह से रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त राजस्व अनुदान पर निर्भर है। डीटीसी को 2010-11 से 2022-23 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुदान के रूप में ₹ 18,911 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

5.10 सीएजी द्वारा सरकारी कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी के मामले में वैधानिक लेखापरीक्षकों को सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष के आरंभ से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाना चाहिए।

सितंबर 2022 तक सीएजी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सरकारी कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई।

5.11 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कार्यचालन और कार्यों पर एक वार्षिक रिपोर्ट उसकी वार्षिक सामान्य बैठक²¹ (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी होती है। ऐसी तैयारी के बाद शीघ्रतः, किसी सरकारी कंपनी के मामले में जहां राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के साथ सदस्य हो, वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सहित और लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर या उसकी पूरक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर सीएजी की टिप्पणियों के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वैधानिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियम में समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से कंपनियों में निवेशित सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक करने की आवश्यकता होती है। यह भी बताया गया है कि एक एजीएम की तिथि तथा अगली एजीएम की तिथि के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय रिपोर्ट विवरणी एजीएम में विचार के लिए प्रस्तुत करनी होती है।

²¹ पहली एजीएम के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष के समापन की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर अर्थात् 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना (जैसे अर्थ दंड और कारावास) लगाने का प्रावधान है।

30 सितंबर 2023 को विभिन्न एसपीएसई के वित्तीय विवरण (एफएस) बकाया थे जैसा कि निम्नलिखित पैराग्राफों में उल्लिखित है।

5.11.2 सरकारी कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में 16 सरकारी कंपनियां थीं। इनमें से, वर्ष 2022-23 के लिए 16 एसपीएसई से वित्तीय विवरण बकाया थे। हालांकि, केवल एक सरकारी कंपनी²² ने वर्ष 2022-23 के लिए सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए 30 सितंबर 2023 तक अपने वित्तीय विवरण तैयार करके प्रस्तुत किए थे। 30 सितंबर 2023 तक 15 सरकारी कंपनियों के 22 वित्तीय विवरण बकाया थे। अंतिम लेखाओं के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में सरकारी निवेश, राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहता है। सरकारी कंपनियों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकायों का विवरण तालिका 5.11 में दिया गया है।

तालिका 5.11: सरकारी कंपनियों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकायों का विवरण

विवरण		सरकारी कंपनियां	लेखाओं की संख्या
कंपनियों की कुल संख्या जिनके लेखे 2022-23 के लिए प्राप्त नहीं हुए		16	16
कंपनियों की संख्या जिन्होंने सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2023 तक तैयार तथा प्रस्तुत किए		01 ²³	01
बकाया लेखाओं की संख्या		15	22
बकाया का ब्योरा	एक वर्ष (2022-23) के लिए बकाया	10 ²⁴	10
	दो वर्ष (2021-22 तथा 2022-23) के लिए बकाया	4 ²⁵	8
	तीन वर्षों से अधिक के लिए बकाया	1 ²⁶	4

5.11.3 वैधानिक निगमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

दो वैधानिक निगमों (डीएफसी और डीटीसी) की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। जबकि डीएफसी ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने वित्तीय विवरण

²² डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड

²³ डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड

²⁴ डीटीडीडीसी, डीटीएल, डीएसआईआईडीसी, डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड, डीसीएडीएल, डीएसआईआईडीसी एमएसएल, जीएसडीएल, डीएससीएससी, डीटीआईडीसी और आईसीएसआईएल

²⁵ एसआरडीसी, डीपीसीएल, आईपीजीसीएल और पीपीसीएल

²⁶ वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिए डीएससीएफडीसी के चार वित्तीय विवरण बकाया थे।

समय से प्रस्तुत किए परंतु वर्ष 2022-23 के लिए डीटीसी के वित्तीय विवरण 30 सितंबर 2023 तक तैयार और प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

5.12 सीएजी निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति के परामर्श से, जिसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग²⁷ प्राधिकरण का नाम दिया गया है, निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। वैधानिक निगमों को अपने लेखाओं को सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों और ऐसे निगमों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करने की आवश्यकता होती है।

5.12.2 वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उनपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में वैधानिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी के द्वारा निरीक्षण भूमिका निभाता है जिसका समग्र उद्देश्य यह है कि वैधानिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का उचित और प्रभावी ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्नलिखित शक्तियों के प्रयोग द्वारा किया जाता है।

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षकों को दिशानिर्देश जारी करना और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी या परिवर्द्धन करना।

²⁷ 01 अक्टूबर 2018 से प्रभावी

5.12.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एक इकाई के प्रबंधन की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों और सीएजी द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी देने के लिए उत्तरदायी हैं। वैधानिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीएजी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं के साथ वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके की जाती है। इस प्रकार की समीक्षा के आधार पर, रिपोर्ट की गई, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत वार्षिक सामान्य बैठक में रखी जाएंगी।

5.13 सीएजी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम

5.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

वर्ष 2022-23 और पिछले वर्षों के लिए ग्यारह वित्तीय विवरण (एफएस)²⁸ 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 के दौरान, नौ सरकारी कंपनियों से प्राप्त हुए थे। इनमें से, सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में एसपीएसई के 10 एफएस की समीक्षा की गई और शेष एक एफएस²⁹ के संबंध में, उसकी समीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया गया। सरकारी कंपनियों के इन एफएस पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां लाभप्रदता पर ₹ 98.31 करोड़ और वित्तीय स्थिति-परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 34.69 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को इंगित करती हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 5.4 और परिशिष्ट 5.5 में दिया गया है।

²⁸ डीटीडीडीसी (2021-22), आईपीजीसीएल (2020-21), पीपीसीएल (2020-21), डीएसआईआईडीसी (2021-22), डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड (2022-23), जीएसडीएल (2021-22), डीएससीएससी (2021-22), डीटीआईडीसी (2021-22), डीएसएफडीसी (2016-17, 2017-18 और 2018-19)

²⁹ डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड (2022-23)

5.13.2 वैधानिक निगम जहां सीएजी एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है

वैधानिक निगमों के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जहां सीएजी एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है, जो लाभप्रदता और परिसंपत्तियों/देयताओं की वित्तीय स्थिति पर ₹ 47.76 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को इंगित करती हैं, को परिशिष्ट 5.6 में उल्लिखित किया गया है।

5.14 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2023 तक, दो वैधानिक निगमों सहित 18 एसपीएसई थे।
- 2022-23 में आठ लाभ अर्जन करने वाले एसपीएसई द्वारा अर्जित ₹ 1,873.65 करोड़ के कुल लाभ में से 98.46 प्रतिशत का योगदान पांच³⁰ एसपीएसई द्वारा किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले तीन एसपीएसई ने रा.रा.क्षे.दि.स. को लाभांश घोषित/भुगतान किया।
- घाटे में चल रहे नौ एसपीएसई द्वारा किए गए ₹ 8,531.24 करोड़ की कुल हानि में से ₹ 8,498.35 करोड़ की हानि केवल दिल्ली परिवहन निगम द्वारा की गई थी।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार डीएससीएफडीसी ने अपने वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं किया और इसके लेखे चार वर्षों से बकाया थे। इसके अलावा, चार सरकारी कंपनियों के 2021-22, 2022-23 के लेखाओं और दस सरकारी कंपनियों के 2022-23 के लेखाओं और एक वैधानिक निगम के 2022-23 के लेखाओं को 30 सितंबर 2023 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।
- 2022-23 के दौरान, एसपीएसई के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियों का प्रभाव लाभप्रदता तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 180.76 करोड़ की राशि का था।

5.15 सिफारिशें

1. राज्य सरकार अपने वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए एसपीएसई के प्रबंधनों पर दबाव डाल सकती है। 16 एसपीएसई के 23 लेखे बकाया थे। अंतिम लेखाओं के अभाव में, ऐसे एसपीएसई में किए गए सरकारी निवेश राज्य विधानमंडल की निगरानी से बाहर रहे।

³⁰ डीएसआईआईडीसी, पीपीसीएल, आईपीजीसीएल, डीटीएल और डीपीसीएल

2. आठ एसपीएसई में से, जिन्होंने नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित किया, केवल तीन एसपीएसई ने लाभांश घोषित किया। सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाले पांच एसपीएसई में से, केवल डीएसआईआईडीसी ने वर्ष 2022-23 में लाभांश की घोषणा की और अन्य चार एसपीएसई, जिन्होंने ₹ 1,700.10 करोड़ का लाभ अर्जित किया, ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया। इन एसपीएसई को रा.रा.क्षे.दि.स. की लाभांश नीति (अगस्त 2021) के अनुसार लाभांश की घोषणा/भुगतान करना चाहिए।
3. राज्य सरकार को उन एसपीएसई की हानि के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए जिनका निवल मूल्य पूर्ण रूप से क्षय हो चुका था तथा इन एसपीएसई के संचालन को जारी रखने का निर्णय लें।

नई दिल्ली

दिनांक: 17 मई 2024



(अमन दीप चड्ढा)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 7 जून 2024



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(पैराग्राफ 1.1 में संदर्भित)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या-रूपरेखा

क्रम सं.	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्र	1,483 वर्ग कि.मी.
2.	जनसंख्या	
	जनसंख्या (2011 की जनगणना)	1.70 करोड़
	जनसंख्या 2023	2.14 करोड़
3.	जनसंख्या का घनत्व (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 01.03.2022 तक अनुमानित जनसंख्या) अखिल भारतीय घनत्व = 422.46 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	14,402.56 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)	9.91 प्रतिशत
5.	साक्षरता दर (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	86.20 प्रतिशत
6.	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (2020) (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)	12
7.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2016-20) (अखिल भारतीय औसत = 70 वर्ष)	75.8 वर्ष
8.	मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2022-23	₹ 10,43,759 करोड़
9.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी/जीडीपी सीएजीआर (2013-14 से 2022-23)	रा.रा.क्षे.दिल्ली अखिल भारतीय
		7.83 प्रतिशत 9.12 प्रतिशत
10.	जीएसडीपी/जीडीपी सीएजीआर (2013-14 से 2022-23)	रा.रा.क्षे.दिल्ली अखिल भारतीय
		9.96 प्रतिशत 10.34 प्रतिशत
11.	जनसंख्या वृद्धि (2013 से 2023)	11.68 प्रतिशत (अखिल भारतीय)
		21.75 प्रतिशत

स्रोत:

- क्षेत्र: वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021)
- जनसंख्या: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत और राज्यों के लिए 2011-2036 जनसंख्या अनुमान
- गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)
- साक्षरता दर: जनगणना 2011
- आईएमआर: एसआरएस बुलेटिन (2020)
- जीवन प्रत्याशा: एसआरएस आधारित जीवन सारणी (2016-20)
- जीएसडीपी: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

परिशिष्ट 1.2
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े
(पैरा 1.3.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	43,113	47,136	41,864	49,313	62,703
(i) राजस्व कर	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	19,187	19,465	15,676	22,263	27,324
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	5,886	5,475	4,411	5,099	5,582
राज्य उत्पाद शुल्क	5,028	5,068	4,108	5,488	5,548
वाहनों पर कर	2,055	1,948	1,676	1,956	2,884
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,459	4,606	3,549	5,212	6,023
भू राजस्व	0	3	4	0	0
अन्य कर	10	1	1	1	2
(ii) गैर कर राजस्व	644	1,097	980	827	581
(iii) केन्द्रीय करों तथा ड्यूटी में राज्य का अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	5,844	9,473	11,459	8,467	14,759
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋण व अग्रिमों की वसूली	1,644	823	631	623	1,258
4. कुल राजस्व (1+2+3)	44,757	47,959	42,495	49,936	63,961
5. लोक ऋण प्राप्तियां	2,880	4,765	15,365	11,193	3,251
आंतरिक ऋण (अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय को छोड़कर)	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अंतर्गत सकल लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,880	4,765	15,365	11,193	3,251
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	47,637	52,724	57,860	61,129	67,212
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	95	143	79	74	52
8. लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	47,732	52,867	57,939	61,203	67,264
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	7,605	7,083	6,295	6,953	7,322
सामाजिक सेवाएं	21,663	22,145	22,693	26,294	27,177
आर्थिक सेवाएं	5,219	6,530	8,514	9,328	9,423
सहायता अनुदान तथा अंशदान	2,365	3,879	2,912	3,468	4,323
11. पूंजीगत व्यय	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065
सामान्य सेवाएं	180	389	246	374	625
सामाजिक सेवाएं	1,755	3,572	2,669	5,062	4,566
आर्थिक सेवाएं	1,331	1,511	1,784	2,875	2,874
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084
13. कुल व्यय (10+11+12)	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,636	2,811	3,265	4,215	4,715
आंतरिक ऋण (अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अंतर्गत सकल लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	3,636	2,811	3,265	4,215	3,251
15. आकस्मिक निधि में विनियोजन	90	0	0	0	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	46,246	51,186	52,468	61,172	64,110

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
17. आकस्मिक निधि संवितरण	5	143	79	74	52
18. लोक लेखा संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	46,251	51,329	52,547	61,246	64,162
भाग घ. घाटा					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	6,261	7,499	1,450	3,270	14,457
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+)(4-13)	2,237	-416	-6,708	-7,021	4,566
22. प्राथमिक घाटा(-)/प्राथमिक अधिशेष(+)(21+23)	5,104	2,336	-3,834	-3,747	7,832
भाग घ. अन्य आंकड़ें					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,867	2,752	2,874	3,274	3,266
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. अग्रिम अर्थोपाय/ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
अग्रिम अर्थोपाय का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
26. अग्रिम अर्थोपाय /ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	7,38,389	7,92,911	7,63,435	9,04,642	10,43,759
28. बकाया राजकोषीय देयता	32,812	34,767	46,867*	53,844*	52,380
29. बकाया गारंटी (समाप्त वर्ष) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम राशि की गारंटी (समाप्त वर्ष)	-	-	-	-	-
भाग च. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्व कर राजस्व/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	4.96	4.61	3.85	4.42	4.54
स्व गैर-कर राजस्व/स.रा.घ. (प्रतिशत में)	0.09	0.14	0.13	0.09	0.06
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	5.76	6.10	6.44	6.30	5.69
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	98.62	102.63	117.53	115.50	94.72
राजस्व व्यय/कुल व्यय	86.67	81.94	82.14	80.84	81.23
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	55.08	53.16	51.55	55.05	53.44
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	15.40	16.62	20.93	21.42	20.70
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	7.68	11.31	9.55	14.59	13.58
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	7.26	10.51	9.05	13.94	12.53
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.85	0.95	0.19	0.36	1.39
राजकोषीय घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.30	-0.05	-0.88	-0.78	0.44
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.69	0.29	-0.50	-0.41	0.75
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	4.44	4.38	5.37**	4.62**	5.02
राजकोषीय देयताएं/रा.प्रा.	76.11	73.76	111.95	109.19	83.54
प्राथमिक घाटे की तुलना में क्वांटम स्प्रेड	5,458.31	-883.35	76.04	-58.02	162.02
ऋण मुक्ति (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	-	-	-	-	-
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	0.07	0.08	0.05	0.43	0.49

नोट-आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक में लिया गया है।

*वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताओं/देयता क्रमशः ₹ 41,002 करोड़ एवं ₹ 41,786 करोड़ होगी क्योंकि राज्य को दिए गए ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे के रूप में ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण को किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

**कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे के बहिष्करण के बाद आया।

परिशिष्ट 3.1

(पैराग्राफ 3.3.1 में संदर्भित)

उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक)
अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	कुल अनुदान में से बचत
राजस्व (प्रभारित)						
1	अनुदान सं. 5 - गृह	882.19	46.51	928.70	851.04	77.66
2	अनुदान सं. 6 - शिक्षा	13,856.58	220.92	14,077.50	12,957.37	1,120.13
3	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,062.23	95.17	7,157.40	6,376.85	780.55
4	अनुदान सं. 9 - उद्योग	588.80	36.53	625.33	474.26	151.07
5	अनुदान सं. 11 - यूडी एवं पीडब्ल्यूडी	11,715.70	377.65	12,093.35	10,207.46	1,885.89
	कुल	34,105.50	776.78	34,882.28	30,866.98	4,015.30
राजस्व (प्रभारित)						
6	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8.49	4.05	12.54	3.95	8.59
	कुल	8.49	4.05	12.54	3.95	8.59
पूंजीगत (दत्तमत्त)						
7	अनुदान सं. 3 - न्याय का प्रशासन	32.00	7.00	39.00	18.76	20.24
8	अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण	2,493.32	1,211.47	3,704.79	1,631.09	2,073.70
	कुल	2,525.32	1,218.47	3,743.79	1,649.85	2,093.94
	कुल योग	36,639.31	1,999.30	38,638.61	32,520.78	6,117.83

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.2
(पैराग्राफ 3.3.2 में संदर्भित)

निधियों का अधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहां अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्ष.दि.स. के शीर्ष वार विनियोग लेखे के अनुसार
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
राजस्व प्रभारित									
राजस्व दत्तमत्त									
1.	अनुदान सं. 6 शिक्षा	2202.01.113.97-समग्र शिक्षा (सीएसएस)	275.00	0.01	1.99	277.00	191.50	85.50	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर और उसके बाद राज्य शेयर जारी करने में देरी
2.		2202.01.113.96 - समग्र शिक्षा (टापअप) - प्रारंभिक शिक्षा	0	0.03	145.92	145.95	0	145.95	वर्ष 2022-23 में टापअप के लिए नया बजट हैड खोलना एवं कैबिनेट नोट का अनुमोदन ना होना
3.		2202.01.113.95 - समग्र शिक्षा - टीचर एडुकेशन (टापअप) राज्य शेयर	0	0.01	22.09	22.10	0	22.10	
4.	अनुदान सं. 07 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.800.41 - दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (राज्य शेयर)	60.00	0.01	19.99	80.00	57.52	22.48	भारत सरकार से कम केंद्रीय शेयर/निधि प्राप्त होने के फलस्वरूप राज्य का शेयर डीएसएचएम को हस्तांतरित नहीं हो सका।
5.	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	2235.02.789.98 - विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता (एससीएसपी)	39.00	0.01	5.99	45.00	0.21	44.79	एससीएसपी मद से भुगतान किया गया, चूंकि एनएसपी पोर्टल की शुरुआत के कारण जिसमें एससी/एसटी लाभार्थियों को अलग से अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है।
6.	अनुदान सं. 10 विकास	2053.00.093.82- विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए सेवाएं	35.11	0.01	32.99	68.11	17.69	50.42	यह अनुमान लगाया गया था कि विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के संबंध में पिछले वर्षों की देनदारियों को चुकाने के लिए निधि की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से बीई/आरई - 2022-23 में रखी गई निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्ष.दि.स. के शीर्ष वार विनियोग लेखे के अनुसार
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
7.	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2215.01.191.98- अनाधिकृत कालोनियों में पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	275.00	0.02	55.65	330.67	273.11	57.56	वित्त विभाग ने इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव लौटा दिया कि प्रशासन विभाग ने अनुमत शेष राशि को नहीं दर्शाया गया और जारी की गई राशि में समायोजित किया है।
8		2217.05.191.96 - स्मार्ट सिटी के लिए एनडीएमसी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	50.00	0.01	47.99	98.00	49.00	49.00	बचत मुख्य रूप से वर्ष 2022-23 में ₹ 980000 के अपेक्षित शेष आवंटन के प्रति भारत सरकार से प्राप्त केवल ₹ 490000 के कारण हुई।
9		2217.05.191.95 - एएमआरयूटी के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	40.00	0.01	114.99	155.00	0.00	155.00	•जबकि 2022-23 में एएमआरयूटी 1.0 के अंतिम शेष आवंटन के लिए प्रावधान किए गए थे, अंतिम शेष ₹ 15,55,300 (हजारों) भारत सरकार द्वारा जून 2023 में ही जारी किए गए थे। शुरुआत में मिशन को 31.03.2023 तक समाप्त करने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बाद में समय सीमा 31.03.2024 तक बढ़ा दी गई।
कुल			774.11	0.12	447.6	1,221.83	589.03	632.8	
पूँजीगत दत्तमत्त									
10	अनुदान सं. 5 गृह	4070.00.800.88 अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूँजी परिव्यय- अन्य व्यय- सेंट्रल जेल	10.00	0.01	16.99	27.00	6.85	20.15	कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्ष.दि.स. के शीर्ष वार विनियोग लेखे के अनुसार
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
11	अनुदान सं. 11	4210.01.110.65 मौजूदा अस्पतालों का पुर्ननिर्माण	500.00	0.01	27.99	528.00	466.95	61.05	कार्यों के निष्पादन में देरी, एनजीटी द्वारा समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंध, कांटेक्टर्स/एजेंसियों द्वारा समय पर बिल नहीं प्रस्तुत करना। विभिन्न रिक्त पदों को भरना, आरई के देर से जारी होने, फंड का उपयोग न होने और अपेक्षित मध्यस्थता प्रचार मिलने के कारण
कुल			510.00	0.02	44.98	555.00	473.8	81.2	
कुल योग			1284.11	0.14	492.58	1776.83	1062.83	714.00	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.3
(पैराग्राफ 3.3.3 में संदर्भित)
वर्ष 2022-23 के दौरान बड़ी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत) वाले अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं सं.	मूल अनुदान विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	कुल अनुदान में से बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के पश्चात बचत
राजस्व (दत्तमत्त)								
1	अनुदान सं. 6 शिक्षा	13,856.58	220.92	14077.50	12,957.37	1,120.13	72.93	1,047.20
2	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,062.23	95.17	7157.40	6,376.85	780.55	105.50	675.05
3	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	9,967.72	0.55	9968.27	8,531.81	1,436.46	749.71	686.75
4	अनुदान सं. 10 विकास	3,339.20	864.76	4203.97	3,431.26	772.71	0.04	772.67
5	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	11,715.71	377.65	12093.35	10,207.46	1,885.89	913.21	972.68
	कुल	45,941.44	1,559.05	47500.49	41,504.75	5,995.74	1,841.39	4,154.35
पूंजीगत (दत्तमत्त)								
6	अनुदान सं. 08 समाज कल्याण	2,493.32	1,211.47	3704.79	1,631.09	2,073.70	102.96	1,970.74
7	अनुदान सं. 10 विकास विभाग	1,177.95	0.04	1177.99	290.97	887.02	797.41	89.61
8	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	12,493.82	0.29	12494.11	9,038.52	3,455.59	2,917.58	538.01
	कुल	16,165.09	1,211.80	17376.89	10,960.58	6,416.31	3,817.95	2,598.36
	कुल योग	62,106.53	2,770.85	64,877.38	52,465.33	12,412.05	5,659.34	6,752.71

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.4
(पैराग्राफ 3.3.3 में संदर्भित)
मार्च 2023 के अंत में व्यपगत बचत (₹ 10 करोड़ से अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
राजस्व (दत्तमत)								
1	अनुदान सं. 02 सामान्य प्रशासन	849.06	0.08	849.14	431.95	417.19	352.47	64.72
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के अलावा रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण, कम बिलों की प्राप्ति, कम विज्ञापन और प्रचार वेतन पर कम खर्च, अधिकारियों की स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति और चिकित्सा दावों की कम संख्या (प्रचार निदेशालय आदि के कारण बचत हुई ₹ 167.96 करोड़)। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन न होने, कम विज्ञापन और प्रचार, परीक्षाओं की कम संख्या, एकीकृत काल सेंटर आदि की शुरुआत न होने के कारण जिम्मेदार ठहराया गया था।								
2	अनुदान सं. 3 न्याय का प्रशासन	1,260.10	331.21	1,591.31	1,367.38	223.93	43.55	180.38
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण, कम बिलों की प्राप्ति, प्रशासनिक कारणों से आशुलिपिकों के बकाया प्रतिपूर्ति को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, कार्मशियल अदालतों के लिए 64 डैडिकेटिड ला रिसर्चस के भुगतान के लिए मंजूरी देर से प्राप्त होने के कारण। अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को काम पर रखने का प्रस्ताव अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और विक्रेताओं (सेशन कोर्ट) आदि से बिल देर से प्राप्त होने के कारण बचत हुई ₹ 137.59 करोड़)। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
3	अनुदान सं. 4 वित्त	389.56	0.21	389.77	259.23	130.54	28.61	101.93
बचत और अभ्यर्पण के कारण: मार्च 2023 तक एडेसिव इक्साइज लेबल का कार्यान्वयन न होने तथा सीक्रेट सर्विस निधि आदि का उपयोग ना होने के कारण बचत हुई ₹ 32.18 करोड़)। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण और पुनर्वसन पदों को न भरने तथा कम खरीद के कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
4	अनुदान सं. 5 गृह	882.19	46.51	928.70	851.04	77.66	25.10	52.56
बचत और अभ्यर्पण के कारण: रिक्त पदों, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति और दवाओं की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया को देर से अंतिम रूप देने आदि के कारण बचत हुई ₹ 74.62 करोड़)। बचत का अभ्यर्पण अन्य बातों के साथ-साथ पदाधिकारियों के रिक्त स्थान और निविदाओं को अंतिम रूप न देने आदि के कारण किया गया।								
5	अनुदान सं. 6 शिक्षा	13,856.58	220.92	14,077.50	12,957.37	1,120.13	72.93	1,047.20
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ तीन एमसीडी के एकीकरण (₹ 1,460 करोड़) कम सहायता अनुदान तथा भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर एवं बाद में राज्य शेयर (₹ 139.74 करोड़) जारी करने में देरी, कम खरीद और ईडीपी स्टाफ (₹ 105.41 करोड़) की मजदूरी में कम व्यय आदि के कारण बचत हुई। बचत का अभ्यर्पण अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण तथा कम खरीद, कम अनुदान जारी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
6	अनुदान सं. 07 चिकित्सा एवं जन सेवाएं	7,062.23	95.17	7,157.40	6,376.85	780.55	105.50	675.05
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ सहायता अनुदान कम जारी होने के कारण बचत हुई तथा ₹ 78.52 करोड़ जारी नहीं किया गया क्योंकि इसे वित्त विभाग आदि द्वारा डीएसएचएम (एएएमसी) के साथ पिछले वर्ष की अपव्ययित शेष राशि (₹ 150.73 करोड़) के प्रति समायोजित किया गया था। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ 3 एमसीडी के अंतर एकीकरण और सहायता में कम अनुदान जारी करने के कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
7	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	9,967.72	0.55	9,968.27	8,531.81	1,436.46	749.71	686.75

¹ विनियोग लेखे और अभ्यर्पण के अनुसार

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली शॉपिंग फेस्टीवल (₹ 250 करोड़) की योजना को लागू न करने, खुदरा बाजार के नवीकरण और संवर्धन की योजना को शहरी विकास विभाग (₹ 100 करोड़) को हस्तांतरित करने, कम लाभार्थी, मृत्यु और पीएफएमएस रिटर्न, अथार्थ बैंक द्वारा असंवितरित पेंशन रिटर्न और योजना के भीतर डुप्लीकेट मामलों को रोकना (₹ 215.30 करोड़), एससीएसटी लाभार्थियों को अलग से अपलोड करने के प्रावधान के साथ एनएसपी पोर्टल की शुरुआत जिसके परिणामस्वरूप भुगतान एससीएसपी मद (₹ 179.99 करोड़) आदि से किया गया। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ योजना के गैर-कार्यान्वयन आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
8	अनुदान सं. 9 उद्योग	588.81	36.53	625.34	474.26	151.08	53.98	97.10
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली बाजार प्लेटफार्म का शुभारंभ, दिल्ली गांधी नगर गार्मेंट हब, गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र का पुर्नविकास, किसान मित्र योजना, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अभियान, मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना आदि (₹ 135 करोड़) के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण में अन्य बातों के अलावा, दिल्ली की मेडिकल उत्पादन आकसीजन नीति की योजना की गैर-अधिसूचना आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
9	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	11,715.71	377.65	12,093.35	10,207.46	1,885.89	913.21	972.68
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के अलावा रा वाटर के लिए डीजेबी को कम अनुदान जारी करने (₹ 262.50 करोड़), यमुना रिजुवेनेशन (₹ 407.76 करोड़) तथा अनाधिकृत कालोनियों में सीवेज सुविधा (₹ 918.41 करोड़) उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए औसत आधार पर डीजेबी को अनुदान जारी करना (₹ 133.59 करोड़) तीन एमसीडी का एकीकरण (स्थानीय निकायों को बीटीए) (₹ 508.73 करोड़ आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ अनुदान का कम रीलिज करना आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
कुल राजस्व दत्तमत		46,571.96	1,108.83	47,680.78	41,457.35	6,223.43	2,345.06	3,878.37
पूँजीगत (दत्तमत)								
10	अनुदान सं. 5 गृह	357.93	0.01	357.94	232.59	125.35	97.44	27.91
बचत और अभ्यर्पण के कारण: कम मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, निविदाओं को अंतिम रूप न देने, अग्रिमशमन वाहनों की खरीद के लिए कुछ प्रस्तावों में भारी विचलन के कारण, जिन्हें वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और (₹ 108.06 करोड़) कुछ विक्रेताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण बचत हुई थी। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ मशीनरी और उपकरण को अन्य बातों के साथ-साथ मशीनरी और उपकरण आदि की कम खरीद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
11	अनुदान सं. 6 शिक्षा	517.97	0.03	518.00	179.05	338.95	171.72	167.23
बचत और अभ्यर्पण के कारण: स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के संबंध में पीडब्ल्यूडी द्वारा काम की धीमी गति, काम की प्रगति के आधार पर पीडब्ल्यूडी को फंड जारी करना (₹ 100.56 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण को योजना के क्रियान्वयन न होने, कार्य की धीमी गति आदि कारणों से जिम्मेदार ठहराया गया था।								
12	अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	213.87	0.02	213.89	151.82	62.07	38.46	23.61
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ कम मशीनरी और उपकरणों की खरीद एवं प्रशासनिक कारणों के कारण 2 सीटी स्कैन का भुगतान न होने आदि (₹ 40.44 करोड़) के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण में अन्य बातों के साथ-साथ मशीनरी तथा उपकरण की कम खरीद को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
13	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	2,493.32	1,211.47	3,704.79	1,631.09	2,073.70	102.96	1,970.74
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ ऋण और अग्रिम जारी ना करने और एमआरटीएस (₹ 413 करोड़) के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधीनस्थ ऋण से संबंधित प्रस्ताव के मूर्त रूप न लेने (i) एमआरटी प्राधिकरण के लिए इक्विटी पूंजी (ii) केंद्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण और (iii) डीटीसी और क्लसटर बसों में सीसीटीवी कैमरों को लगाना आदि (₹ 1607.50 करोड़) के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ ऋण एवं अग्रिम जारी ना करने आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
14	अनुदान सं. 10 विकास विभाग	1,177.95	0.04	1,177.99	290.97	887.02	797.41	89.61
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ 3 एमसीडी (₹ 1,163.91 करोड़) के एकीकरण आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के अलावा कम मुख्य कार्य एवं कार्य की धीमी गति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
15	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	12,493.82	0.29	12,494.11	9,038.52	3,455.59	2,917.58	538.01
<p>बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के अलावा मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास (सीएमएलएडी) योजना के कार्यान्वयन न होने और 31 मार्च 2023 तक सीएमएलएडी के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने (₹ 300 करोड़), डिजिटल कक्षाओं का निर्माण: कार्य निष्पादन में देरी (i) सीएक्यूएम द्वारा जीआरएपी का निष्पादन (ii) एनजीटी द्वारा समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंध; कांटेक्टर/एजेंसियों द्वारा समय पर बिल न प्रस्तुत करना, विभिन्न रिक्त पदों को न भरना, फण्ड का उपयोग न करना तथा अपेक्षित मध्यस्थता पंचार की गैर-प्राप्ति (₹ 150 करोड़), महारौली बदरपुर कॉरिडोर भुगतान की मंजूरी ना मिला (₹ 120 करोड़), अनाधिकृत कालोनियों का विकास: कार्य की धीमी गति, अनाधिकृत कालोनियों में एचटी/एलटी लाइनों के लिए बिजली विभाग द्वारा फण्ड का उपयोग न करना तथा कार्यकारी संस्थाओं अर्थात डीएसआईआईडीसी एवं आई एण्ड एफसी द्वारा फण्ड का उपयोग न करना (₹ 124.17 करोड़); मुख्यमंत्री सड़क परियोजना आदि से संबंधित कार्य की धीमी गति (₹ 144.60 करोड़) के कारण बचत हुई।</p> <p>बचत के अभ्यर्पण में अन्य बातों के साथ-साथ लोन को जारी न करना, परियोजनाओं का स्थगन, व्यय की धीमी गति आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।</p>								
कुल पूंजीगत दत्तमत		17,254.86	1,211.86	18,466.72	11,524.04	6,942.68	4,125.57	2,817.11
कुल योग		63,826.82	2,320.69	66,147.50	52,981.39	13,166.11	6,470.63	6,695.48

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.5
(पैराग्राफ 3.4.1 में संदर्भित)
वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए एकमुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	एकमुश्त प्रावधान	एकमुश्त प्रावधान से व्यय	बताया गया उद्देश्य
1.	7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (राजस्व-प्रभारित)	2210.06.800.70.00.42	20.0	1.39	प्रतीक्षित
2.	10- विकास (पूँजीगत-प्रभारित)	5425.00.208.84.00.42	0.81	0.37	प्रतीक्षित
3.	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (पूँजीगत प्रभारित)	4055.00.212.90.00.42	29.50	26.48	प्रतीक्षित
4.		4070.00.800.89.00.42	32.50	24.90	प्रतीक्षित
5.		4202.01.800.97.00.42	50.00	47.43	प्रतीक्षित
6.		4202.03.800.89.00.42	50.00	49.29	प्रतीक्षित
7.		4202.04.101.99.00.42	2.88	2.73	प्रतीक्षित
8.		4210.03.102.98.00.42	1.00	0.92	प्रतीक्षित
9.		4235.02.101.87.00.42	2.66	1.47	प्रतीक्षित
10.		4235.02.104.94.00.42	6.53	2.16	प्रतीक्षित
11.		4235.02.800.90.00.42	10.00	8.73	प्रतीक्षित
12.	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (पूँजीगत प्रभारित)	5054.04.800.99.00.42	55.00	39.52	प्रतीक्षित
कुल			260.88	205.39	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.6

(पैराग्राफ 3.5.2 में संदर्भित)

योजनाएं जिनके लिए संशोधित परिव्यय (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व दत्तमत्त					
1.	अनुदान सं. 04 वित्त	2043.00.101.93- वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का कार्यान्वयन	1.00	1.00	शून्य
2.	अनुदान सं. 04 वित्त	2043.00.101.92- बिल बनवाओ ईनाम पाओ	1.00	1.00	शून्य
3.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.01.113.96- समग्र शिक्षा (टापअप) प्रारंभिक शिक्षा	0.03	145.95	शून्य
4.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.01.113.95- समग्र शिक्षा (टापअप) राज्य शेरर टीचर्स एडुकेशन	0.01	22.10	शून्य
5.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.101.97- दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एडुकेशन को सहायता अनुदान	30.00	7.00	शून्य
6.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.62- शैक्षिक सम्मेलनों का संचालन	5.00	1.00	शून्य
7.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.60- वर्चुअल स्कूल	2.00	2.00	शून्य
8.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.56- देशभक्ति पाठ्यक्रम	2.00	2.00	शून्य
9.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.53- विशिष्ट उत्कृष्टता वाले विद्यालयों को सहायता अनुदान	100.00	19.00	शून्य
10.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.51- उद्यमिता विकास कार्यक्रम गतिविधियां	30.00	10.00	शून्य
11.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.49- इन्क्यूबेशन विजनेस ब्लास्टर टीमों के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान	0.01	5.00	शून्य
12.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.47- देश के मॉडर के लिए डीसीपीसीआर को सहायता अनुदान	0.02	5.00	शून्य
13.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.113.94- समग्र शिक्षा (टापअप) माध्यमिक शिक्षा	0.01	11.80	शून्य
14.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.68- ऑनलाइन व्यख्यान के लिए स्टूडियो की स्थापना	1.00	1.00	शून्य
15.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2203.00.112.44- विश्वविद्यालयों/कालेजों में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना	4.00	4.00	शून्य
16.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2203.00.112.35- दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी को मेडीटेशन एवं योगा के लिए सहायता अनुदान	15.00	3.57	शून्य
17.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2230.03.101.91.00- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस)	24.00	21.50	शून्य
18.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2230.03.789.95.00- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस) (एससीवीकी)	1.01	3.50	शून्य

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	संशोधित परिचय	वास्तविक व्यय
19.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.03.102.82- डा.बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को भारतीय भाषा में अभिलेखीय अनुसंधान को सहायत अनुदान	2.00	2.00	शून्य
20.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2205.00.001.88- डा.बी.आर. अम्बेडकर के प्रेरक जीवन पर अभियान	10.00	10.00	शून्य
21.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2205.00.102.56.97- स्ट्रीट थिएटर और प्रदर्शन कलाएँ	5.00	5.00	शून्य
22.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2205.00.102.48- गढ़वाली, कुमाऊंणी और जौनसारी अकादमी को सहायता अनुदान	2.00	1.54	शून्य
23.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2205.00.102.38 -मुख्यमंत्री कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन योजना	5.00	1.00	शून्य
24.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2205.00.102.36 -भारत का त्योहार	10.00	10.00	शून्य
25.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.102.87- प्रारंभिक बचपन देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.01	1.00	शून्य
26.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.102.85- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विशेष अनुदान	10.00	1.00	शून्य
27.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.102.83- इंग्लिश स्पोकन कार्यक्रम के लिए डीएसईयू को अनुदान सहायता	0.01	1.00	शून्य
28.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.104.74- दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान	50.00	1.00	शून्य
29.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.110.50- दिल्ली राज्य महिला स्वास्थ्य मिशन मोहल्ला क्लिनिक के लिए अनुदान सहायता	14.50	1.00	शून्य
30.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.72-कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (एनआरएचएम) के लिए सहायता अनुदान	200.01	244.00	शून्य
31.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.06.800.67- रोगी कल्याण समिति को सहायता अनुदान	10.00	2.00	शून्य
32.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.104.60- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) (- एनएसएपी) (सीएसएस)	2.35	2.35	शून्य
33.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.03.101.98 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपीएस) (एनएसएपी) (सीएसएस)	44.50	44.50	शून्य
34.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.03.102.98- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएसएपी) (सीएसएस)	4.67	4.67	शून्य
35.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.102.22- माता-पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी समितियों का प्रशिक्षण (प्रारंभिक बचपन शिक्षा)	2.00	1.00	शून्य
36.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.102.16.92- आंगनवाड़ी सेवा योजना - आधार नामांकन किट की खरीद	1.71	1.70	शून्य
37.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.13.98- सार्वजनिक - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	1.80	1.08	शून्य

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
38.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.13.97-पीएमएमवीवाई- फ्लेक्सी फंड	2.10	3.50	शून्य
39.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.13.92- संबल - वन स्टॉप सेंटर	0.02	1.90	शून्य
40.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.18- महिलाओं के सम्मान हेतु व्यवहार परिवर्तन	12.00	1.00	शून्य
41.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.13.90- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.02	1.00	शून्य
42.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2236.02.101.71- पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आहार	10.00	1.00	शून्य
43.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2225.01.190.97- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	2.53	1.75	शून्य
44.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2225.01.789.79- जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना (एससीएसपी)	70.00	1.50	शून्य
45.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2225.03.277.75- अल्पसंख्यकों/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना	90.00	4.86	शून्य
46.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.200.78- प्रख्यात हस्तियों के जन्म एवं मृत्यु वर्षगांठ हेतु योजना	2.00	1.90	शून्य
47.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3055.00.001.87- फीडर बस सेवा/विधुत वाहन	1.00	1.00	शून्य
48.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3055.00.190.89- एमआरटीएस को अन्य अनुदान	0.01	1.00	शून्य
49.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.80.001.84- सदस्य परिषद के लिए सार्वजनिक सहभागिता	6.00	6.00	शून्य
50.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	3456.00.001.94- राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु अभियान	10.00	5.00	शून्य
51.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	3456.00.103.93- आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए बाजार हस्तक्षेप का प्रावधान	5.00	2.00	शून्य
52.	अनुदान संख्या 10-विकास	2515.00.800.77 - आईडीआरयूवी कार्यो की मरम्मत के लिए 5% परिव्यय सहित डीवीडीबी के माध्यम से जल निकायो सहित आईडीआरयूवी कार्य (सामान्य)	1.40	1.40	शून्य
53.	अनुदान संख्या 10-विकास	2052.00.090.48- दिल्ली वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान	63.01	71.45	शून्य
54.	अनुदान संख्या 10-विकास	2225.04.102.97- अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सीएसएस)	9.00	9.00	शून्य
55.	अनुदान संख्या 10-विकास	2245.05.101.99- दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया निधि (केंद्र शेयर)	15.00	15.00	शून्य
56.	अनुदान संख्या 10-विकास	2245.05.101.98- दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया निधि (राज्य हिस्सा)	5.00	3.75	शून्य

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
57.	अनुदान संख्या 10-विकास	2406.04.103.98- राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एससीएएफ) से वित्तपोषित जलग्रहण क्षेत्र उपचार संयंत्र	1.05	1.00	शून्य
58.	अनुदान संख्या 10-विकास	2015.00.106.98.98- चुनाव पर व्यय	0.01	1.30	शून्य
59.	अनुदान संख्या 10-विकास	2015.00.106.95.98- चुनाव पर व्यय	0.01	2.50	शून्य
60.	अनुदान संख्या 10-विकास	3435.04.103.86 -स्मॉग टावर के लिए डीपीसीसी को अनुदान	3.00	3.00	शून्य
61.	अनुदान संख्या 10-विकास	3435.04.103.85- दिल्ली में अग्रिम वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए वास्तविक समय स्रोत विभाजन और पूर्वानुमान के लिए डीपीसीसी को अनुदान	2.01	2.80	शून्य
62.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2070.00.800.90- एमसीडी को जब्ती जुर्माने की प्रतिपूर्ति,	2.50	1.78	शून्य
63.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2217.05.800.85- बाजार विकास निधि	1.01	2.00	शून्य
64.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2217.80.191.04.95- क्षमता निर्माण और ए एवं ओई के लिए शहरी विकास विभाग (सीएसएस)	2.70	5.00	शून्य
65.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	3475.00.108.94-दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	23.35	5.32	शून्य
66.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2810.00.105.98- सौर ऊर्जा हेतु उत्पादन आधारित असंवेदनशील योजना	5.01	8.60	शून्य
राजस्व दत्तमत्त कुल			936.39	769.57	शून्य
पूंजीगत दत्तमत्त					
67.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.01.202.92- वर्चुअल स्कूल	8.00	8.00	शून्य
68.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.01.202.91- विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय की स्थापना	50.00	3.00	शून्य
69.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.01.202.90- बेघर बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल	4.00	1.00	शून्य
70.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4250.00.201.83.98- औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिणाम क्षेत्र-1 के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)	3.10	2.31	शून्य
71.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.04.101.96- अवसंरचना विकास	5.00	1.00	शून्य
72.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.04.800.85- एसीएल भवन का निर्माण/नवीनीकरण	15.00	10.00	शून्य
73.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.01.203.96- इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की भूमि का आवंटन एवं भवन निर्माण	20.00	16.00	शून्य
74.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	4235.02.101.82- विकलांग व्यक्तियों के कार्यान्वयन के लिए योजना अधिनियम 1995 (एसआईपीडीए) (सीएसएस)	5.00	5.00	शून्य
75.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	5055.00.050.86- बस कतार आश्रयों का निर्माण	75.00	1.00	शून्य
76.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	7055.00.190.96- एमआरटीएस के अधीनस्थ भूमि अधिग्रहण के लिए ऋण	413.00	312.00	शून्य
77.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	7055.00.190.90- डीएमआरसी को इक्विटी पूंजी (मेट्रो लाइट)	25.00	1.00	शून्य
78.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	5475.00.102.88- डिस्ट्रिक्ट फोरम एवं राज्य आयोग को आवास प्रदान करना	2.00	2.00	शून्य

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	संशोधित परिचय	वास्तविक व्यय
79.	अनुदान संख्या 10-विकास	4403.00.101.92- पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	1.01	1.53	शून्य
80.	अनुदान संख्या 10-विकास	4250.00.101.99- आपदा आकस्मिकता योजना/आपदा प्रतिक्रिया निधि	5.00	5.00	शून्य
81.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4217.60.051.95- मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास	300.00	1.00	शून्य
82.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4202.01.202.89- डिजिटल कक्षाओं का निर्माण	150.00	1.00	शून्य
83.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4202.01.203.89- आम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) परिसर का निर्माण - धीरपुर	50.00	1.00	शून्य
84.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4202.01.203.88- आम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) परिसर का निर्माण - रोहिणी	50.00	1.00	शून्य
85.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4202.01.203.87- दिल्ली टीचर्स विश्व विद्यालय का निर्माण	50.00	15.00	शून्य
86.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4801.05.800.87- एचटी/एलटी ट्रांसमिशन विद्युत लाइनों का स्थानांतरण	8.00	8.00	शून्य
87.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4810.00.101.99- ऊर्जा नवीकरणीय	10.00	10.00	शून्य
पूँजीगत दत्तमत्त कुल			1,249.11	405.84	शून्य
कुल योग			21,85.50	1,175.41	शून्य

परिशिष्ट 3.7

(पैराग्राफ 3.5.2 में संदर्भित)

योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया, लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
राजस्व दत्तमत्त				
1.	अनुदान संख्या 02-सामान्य प्रशासन	2052.00.090.38 -मुख्यमंत्री का जनता से संवाद	20.00	0.00
2.	अनुदान संख्या 02-सामान्य प्रशासन	2070.00.104.97- सतर्कता निदेशालय	8.67	0.00
3.	अनुदान संख्या 03-न्याय का प्रशासन	2014.00.103.98 - निर्वाचित सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए साथ में सौदा करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना।	2.60	0.00
4.	अनुदान संख्या 04-वित्त	2052.00.090.36- दिल्ली मिशन 2047 - अध्ययन, नीति, योजना और निष्पादन	5.00	0.00
5.	अनुदान संख्या 04-वित्त	3451.00.102.95- दिल्ली में निवेश और उद्यमों के लिए ब्यूरो को सहायता पाठ्यक्रम का विकास अनुदान करने हेतु	1.00	0.00
6.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.01.101.91 - विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्ति	1.00	0.00
7.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.02.104.98 - शिक्षकों की नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना	5.00	0.00
8.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.02.109.72- स्कूल स्वास्थ्य योजना और बहुउद्देश्यीय छात्र आई-कार्ड जारी करना	10.00	0.00
9.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.02.109.71- सिंगल शिफ्ट विद्यालयों में स्कूल समय के बाद पाठ्योत्तर गतिविधियों को बढ़ावा देना	5.00	0.00
10.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.02.109.54- ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए डीबीएसई को अनुदान सहायता	25.00	0.00
11.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.02.109.50- बेघर बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल	6.00	0.00
12.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.001.98- छात्र परामर्श कार्यक्रम के लिए डीटीयू को सहायता अनुदान	5.00	0.00
13.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.80.001.83 - मौखिक अंग्रेजी कौशल और संचार क्षमता के विकास के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन	11.69	0.00
14.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.80.001.82- शिक्षा मंत्री जनता से जुड़ाव/संवाद	10.00	0.00
15.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2204.00.101.79- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	0.00
16.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2204.00.101.78- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	0.00
17.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2204.00.101.77- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	0.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिचय	संशोधित परिचय
18.	अनुदान संख्या 06- शिक्षा	2230.03.101.93- छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आईटीआई)	2.80	0.00
19.	अनुदान संख्या 06- शिक्षा	2202.03.001.96- दिल्ली उच्च एवं तकनीकी शिक्षा आश्वासन योजना के लिए सहायता अनुदान (दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट के तहत)	60.00	0.00
20.	अनुदान संख्या 06- शिक्षा	2202.03.102.84 - खेल विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	50.01	0.00
21.	अनुदान संख्या 06- शिक्षा	2202.03.800.84- स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम	25.00	0.00
22.	अनुदान संख्या 07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.84- आम आदमी डेंटल क्लिनिक	4.5	0.00
23.	अनुदान संख्या 07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.75- स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और फ्रंट लाइन वर्कर्स (एफसीडब्ल्यू) (सीएसएस) के लिए कोविड-19 टीकाकरण की परिचालन लागत के लिए सहायता अनुदान	6.00	0.00
24.	अनुदान संख्या 07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.70- स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और फ्रंट लाइन वर्कर्स (एफसीडब्ल्यू) के लिए सीओवीआईडी-19 टीकाकरण की परिचालन लागत के लिए सहायता अनुदान (राज्य शेयर)	4.00	0.00
25.	अनुदान संख्या 07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.80.800.59- दिल्ली आरोग्य कोष	50.00	0.00
26.	अनुदान संख्या 07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3454.02.800.95.99 -सूचना प्रौद्योगिकी	1.00	0.00
27.	अनुदान संख्या 07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.05.105.67 -डीडीयू मेडिकल कॉलेज की स्थापना	1.00	0.00
28.	अनुदान संख्या 07- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.06.102.85- खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना (सीएसएस)	1.08	0.00
29.	अनुदान संख्या 08- समाज कल्याण	2235.02.102.17.91- पोषण घटक के अलावा किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)	1.00	0.00
30.	अनुदान संख्या 08- समाज कल्याण	2235.02.102.16.94- किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)-पोषण घटक	1.00	0.00
31.	अनुदान संख्या 08- समाज कल्याण	2235.02.102.16.93- पोषण घटक के अलावा किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)	1.00	0.00
32.	अनुदान संख्या 08- समाज कल्याण	2235.02.103.17- महिला सहायता प्रकोष्ठ (महिला हेल्प डेस्क)	2.00	0.00
33.	अनुदान संख्या 08- समाज कल्याण	2235.02.789.91.97- किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)-पोषण घटक-राज्य शेयर (सीएसएस)	1.00	0.00
34.	अनुदान संख्या 08- समाज कल्याण	2235.02.789.92.97- किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)-पोषण घटक	1.00	0.00
35.	अनुदान संख्या 08- समाज कल्याण	2225.01.277.42- माध्यमिक कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री कनिष्ठ छात्रवृत्ति योजना	49.00	0.00
36.	अनुदान संख्या 08- समाज कल्याण	3452.01.190.73- आम आदमी कैंटीन के लिए डीटीडीसी को सहायता अनुदान	5.00	0.00

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिचय	संशोधित परिचय
37.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.01.190.70- दिल्ली के फूड हब के पुनर्विकास के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	20.00	0.00
38.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.01.190.69- दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	250.00	0.00
39.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.01.190.67- दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	25.00	0.00
40.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.01.190.66- दिल्ली फिल्मस फंड के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	30.00	0.00
41.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.80.104.63- दिल्ली की दिवाली के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	15.00	0.00
42.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.80.104.62- पूर्वचल महोत्सव के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	10.00	0.00
43.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.80.104.61- भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	10.00	0.00
44.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.80.104.59- पर्यटन और विरासत फैलोशिप के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
45.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2851.00.004.91- स्टार्ट-अप का विकास एवं अनुसंधान	50.00	0.00
46.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2851.00.004.90- स्टार्ट-अप फेस्टिवल	10.00	0.00
47.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.08.600.90- पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजनाओं (सीएसएस) का निरूपण	6.34	0.00
48.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.80.104.98- क्लाउड किचन क्लस्टर के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	25.00	0.00
49.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.80.104.97- दिल्ली बाज़ार प्लेटफार्म के लांच के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	20.00	0.00
50.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.80.104.96- दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी के प्रचार और विकास के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	10.00	0.00
51.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.80.104.95- दिल्ली के गांधी नगर गारमेंट हब के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	25.00	0.00
52.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.80.104.94- गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्जनन के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	25.00	0.00
53.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2230.02.101.72- रोजगार बाजार	12.00	0.00
54.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	3456.00.102.93- टीपीडीएस का कम्प्यूटरीकरण-(सीएसएस)	3.20	0.00
55.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	3475.00.106.90- लीगल मेट्रोलाजी विंग (सीएसएस) का सुदृढीकरण	1.20	0.00
56.	अनुदान संख्या 10-विकास	2401.00.104.94- परम्परागत कृषि विकास योजना (सीएसएस)	4.71	0.00
57.	अनुदान संख्या 10-विकास	2215.02.107.99- एसटीपी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुदान	1.00	0.00
58.	अनुदान संख्या 10-विकास	3435.03.103.87- पर्यावरण के प्रचार, संरक्षण और संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों को सहायता	1.00	0.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिचय	संशोधित परिचय
59.	अनुदान संख्या 10-विकास	3435.03.103.86- पर्यावरण डेटा सृजन, सर्वेक्षण, अनुसंधान परियोजना और अन्य गतिविधियां	2.00	0.00
60.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2215.02.191.79- मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना हेतु अनुदान	23.00	0.00
61.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2216.05.800.99- मंत्रिपरिषद के सदनों के लिए सुरक्षा एवं स्वच्छता सेवाएँ	1.50	0.00
राजस्व दत्तमत्त कुल			967.30	0
राजस्व प्रभारित				
62.	अनुदान संख्या 03-न्याय का प्रशासन	2015.00.102.00- निर्वाचन अधिकारी	1.00	0.00
63.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	7055.00.190.90- डीएमआरसी को इक्विटी पूंजी (मेट्रो लाइट)	1.00	0.00
राजस्व प्रभारित कुल			2.00	0.00
पूंजीगत दत्तमत्त				
64.	अनुदान संख्या 02-सामान्य प्रशासन	4059.60.051.75- वजीरपुर एवं परपड़गंज में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का विकास	43.00	0.00
65.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.02.104.87- नए पॉलिटेक्निक (सीएसएस) की स्थापना	4.00	0.00
66.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4250.00.201.86- सरकारी आईटीआई को मॉडल आईटीआई (सीएसएस) में अपग्रेड करना	1.75	0.00
67.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.200.93- आंख और कान की देखभाल सेवाओं के लिए मोबाइल वैन क्लिनिक	1.00	0.00
68.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.04.107.90- वायरल रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला की स्थापना (केंद्रीय क्षेत्र योजना)	2.98	0.00
69.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	7055.00.190.91- भूमि अधिग्रहण (मेट्रो लाइट)	25.00	0.00
70.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4059.60.051.77- हज हाउस का निर्माण	1.00	0.00
71.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4235.02.104.93- सेवा सदन परिसर, लाम्बोर में भवन का निर्माण	40.00	0.00
72.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.95- बाहरी रिंग रोड पर मजनु का टीला और मेटकाफ हाउस पर फ्लाईओवर	1.00	0.00
73.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.70 खेड़ा कलां से खेड़ा खुर्द रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर एलसी-12 पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण	25.00	0.00
74.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.90- वजीराबाद से डीएनडी फ्लाईओवर तक रिंग रोड के साथ नया बाईपास रोड	5.00	0.00
75.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.84- एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास एवं स्ट्रीट नेटवर्क/रोहतक रोड/एनएच-10 (ज्वाला हेरी मार्केट रेड लाइट से ज्वालापुरी रेड लाइट) के कॉरिडोर के लिए लाइट कनेक्टिविटी	50.00	0.00

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिचय	संशोधित परिचय
76.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.83- मुकरबा चौक पर भीड़ कम करने की व्यापक योजना	5.00	0.00
77.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.80- महरोली-बदरपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान)	120.00	0.00
78.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4801.05.800.86- जगमगाती दिल्ली कार्यक्रम के तहत 11केवी नेटवर्क को बेयर कंडक्टर से इंसुलेटेड कंडक्टर में परिवर्तित करना	22.18	0.00
पूँजीगत दत्तमत्त कुल			346.91	0.00
कुल योग			1,316.21	0.00

परिशिष्ट 3.8
(पैराग्राफ 3.5.3(iii) में संदर्भित)
केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय पर अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में अनुपूरक सहित कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय का प्रतिशत 2023
1	03--न्याय का प्रशासन	2235.01.800.92.00.31	63.96	32.95	51.53
2	05--गृह	4055.00.800.99.00.52	15.65	12.70	81.19
3	05-- गृह	4070.00.800.98.00.52	204.24	198.10	96.99
4	06--शिक्षा	2202.01.112.84.00.31	24.26	14.00	57.70
5	06--शिक्षा	2202.01.112.99.00.21	122.32	72.48	59.26
6	06--शिक्षा	2202.02.105.95.00.31	46.63	28.66	61.46
7	06--शिक्षा	2202.02.113.98.00.35	12.12	10.12	83.49
8	07 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.110.92.00.52	13.42	12.71	94.73
9	08--समाज कल्याण	2225.01.277.71.00.50	52.40	35.06	66.92
10	08--समाज कल्याण	3452.80.104.71.00.31	16.69	12.32	73.79
11	09--उद्योग	3456.00.102.85.00.50	137.60	82.95	60.29
12	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2215.01.191.98.00.35	85.57	60.57	70.79
13	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2215.02.106.99.00.35	20.34	19.09	93.85
14	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	3604.00.200.80.93.31	702.65	508.73	72.40
15	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.77.00.53	34.52	19.61	56.80
16	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.79.00.53	87.32	60.83	69.66
17	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.043.37.86.00.53	34.75	20.10	57.83
18	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.190.98.00.55	40.0	31.25	78.13
19	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.75.00.55	128.23	90.73	70.76
20	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.77.00.55	84.14	44.14	52.46
21	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.02.191.85.00.55	104.18	84.18	80.80
22	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.02.191.95.00.55	18.49	12.24	66.20
कुल			2,049.48	1,463.52	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.9

(पैराग्राफ 3.5.4 में संदर्भित)

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व दत्तमत्त					
1.	अनुदान संख्या 06	2230.03.101.91.00- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस)	24.00	21.50	शून्य
2.	अनुदान संख्या 06	2230.03.789.95.00- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस)(एससीएसपी)	1.01	3.50	शून्य
3.	अनुदान संख्या 08	2235.02.104.60- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) (एनएसएपी) (सीएसएस)	2.35	2.35	शून्य
4.	अनुदान संख्या 08	2235.03.101.98- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) (एनएसएपी) (सीएसएस)	44.50	44.50	शून्य
5.	अनुदान संख्या 08	2235.03.102.98- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएसएपी) (सीएसएस)	4.67	4.67	शून्य
6.	अनुदान संख्या 10	2225.04.102.97- अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सीएसएस)	9.00	9.00	शून्य
7.	अनुदान संख्या 11	2217.80.191.04.95-क्षमता निर्माण हेतु नगर विकास विभाग एवं ए एवं ओई (सीएसएस)	2.70	5.00	शून्य
8.	अनुदान संख्या 11	3475.00.108.94-दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	23.35	5.32	शून्य
कुल			111.58	95.84	शून्य
पूंजीगत (दत्तमत्त)					
9.	अनुदान संख्या 08	4235.02.101.82- विकलांग व्यक्तियों के कार्यान्वयन के लिए योजना अधिनियम 1995 (एसआईपीडीए) (सीएसएस)	5.00	5.00	शून्य
कुल			5.00	5.00	शून्य
कुल योग			116.58	100.84	शून्य

परिशिष्ट 3.10

(पैराग्राफ 3.6(ई) में संदर्भित)

2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या-6-शिक्षा में निधियों का अतिरिक्त/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहां अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान से बचत
2022-23							
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	2202.01.113.96 - समग्र शिक्षा (टॉप अप) - प्रारंभिक शिक्षा	0.00	0.03	145.92	145.95	0.00	145.95
2.	2202.01.113.95 - समग्र शिक्षा - शिक्षक शिक्षा (टॉप अप) (राज्य शेर)	0.00	0.01	22.09	22.10	0.00	22.10
3.	2202.02.109.89 - लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता	15.00	0.00	1.20	16.20	14.95	1.25
4.	2202.02.109.49 - इनक्यूबेशन बिजनेस ब्लास्टर टीमों के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान	0.00	0.01	4.99	5.00	0.00	5.00
5.	2202.02.109.47 - देश के मॉडल के लिए डीसीपीसीआर को सहायता अनुदान	0.00	0.02	4.98	5.00	0.00	5.00
6.	2202.02.113.98 - समग्र शिक्षा (राज्य शेर)	42.00	0.02	11.35	53.37	37.70	15.67
7.	2202.02.113.97- समग्र शिक्षा (सीएसएस)	60.00	0.01	9.99	70.00	56.54	13.46
8.	2202.02.113.94- समग्र शिक्षा (टापअप) सेकेंडरी एडुकेशन (सीएसएस)	0.00	0.01	11.79	11.80	0.00	11.80
9.	2204.00.102.66 - सेल्फ डिफेंस फार गर्ल्स स्टुडेंट्स स्कूल	2.00	0.01	7.65	9.66	0.06	9.60
10.	2204.00.104.99 - खेलकूद को बढ़ावा देना	15.61	0.00	1.55	17.16	14.09	3.07
11.	2230.03.789.95.00- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सी.एस.एस (एससीएसपी)	1.00	0.01	2.49	3.50	0.00	3.50
12.	2202.03.102.87 - प्रारंभिक बचपन देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.00	0.01	0.99	1.00	0.00	1.00
13.	2202.03.102.83 - स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम के लिए डीएसईयू को अनुदान सहायता	0.00	0.01	0.99	1.00	0.00	1.00
राजस्व दत्तमत्त कुल (2022-23)		135.61	0.15	225.98	361.74	123.34	238.4

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान से बचत
पूँजीगत दत्तमत्त							
14.	4250.00.201.88- उपकरण	12.00	0.01	5.81	17.82	10.67	7.15
पूँजीगत दत्तमत्त कुल (2022-23)		12.00	0.01	5.81	17.82	10.67	7.15
कुल योग		147.61	0.16	231.79	379.56	134.01	245.55
2021-22							
राजस्व दत्तमत्त							
15.	2202.01.112.95-नार्थ दिल्ली म्यूनििसीपल कार्पोरेशन के लिए मिड डे मिल कार्यक्रम का सहायता अनुदान (सीएसएस)	13.00	0.01	5.18	18.19	11.00	7.19
16.	2202.02.113.98 -समग्र शिक्षा (राज्य शेयर)	42.00	0.01	1.99	44.00	18.22	25.78
17.	2202.02.113.97- समग्र शिक्षा (सीएसएस)	50.00	0.01	14.99	65.00	20.75	44.25
18.	2204.00.103.78- उत्कृष्ट खिलाड़ियों/स्पोर्ट्स कार्मिकों को नकद प्रोत्साहन एवं राजीव गांधी खेल पुरस्कार	15.00	0.01	3.50	18.51	13.64	4.87
19.	2203.00.112.50- दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को सहायता अनुदान	34.25	0.03	1.72	36.00	33.96	2.04
20.	2230.03.003.99 - शिल्पकार प्रशिक्षण योजना	114.18	0.04	2.03	116.25	109.83	6.42
21.	2230.03.003.76 - निदेशालय के अधीन संस्थानों में सुरक्षा एवं स्वच्छता का निजीकरण	7.74	0.01	0.25	8.00	6.75	1.25
22.	2202.03.102.87 - प्रारंभिक बचपन देखभाल केंद्र के लिए जीआईए आंबेडकर विश्वविद्यालय	0.10	0.01	1.89	2.00	0	2.00
राजस्व दत्तमत्त कुल (2021-22)		276.27	0.13	31.55	307.95	214.15	93.8
2020-21							
राजस्व दत्तमत्त							
23.	2202.01.112.98 - मध्याह्न कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान (सीएसएस)	3.18	0.01	3.10	6.29	3.11	3.18
24.	2202.01.112.95 - मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सीएसएस)	13.00	0.01	12.00	25.01	12.71	12.31
25.	2202.01.112.94- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सीएसएस)	12.00	0.01	8.59	20.60	10.41	10.19
26.	2202.01.112.93- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सीएसएस)	7.80	0.01	6.40	14.21	7.32	6.89

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान से बचत
27.	2202.01.112.88 - मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर)	9.00	0.01	4.49	13.50	2.64	10.86
28.	2202.01.112.87- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर)	8.00	0.01	3.12	11.13	2.17	8.96
29.	2202.01.112.86- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर)	5.00	0.01	2.67	7.68	1.47	6.21
30.	2202.01.789.99- बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (सीएसएस) (एससीएसपी)	5.40	0.01	4.29	9.70	4.46	5.24
31.	2202.01.789.94- बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (सीएसएस) (एससीएसपी)	2.00	0.01	0.38	2.39	0.89	1.50
32.	2202.01.789.88 - मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर) (एससीएसपी)	2.00	0.01	0.95	2.96	0.58	2.38
33.	2202.01.789.87- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर) (एससीएसपी)	1.70	0.01	0.73	2.44	0.46	1.98
34.	2202.01.789.86- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर) (एससीएसपी)	1.10	0.01	0.58	1.69	0.32	1.37
35.	2203.00.105.86 -, निर्देशन एवं प्रशासन पॉलिटैक्निक	175.48	0.01	6.52	182.01	156.33	25.68
36.	2202.03.102.87 - प्रारंभिक बचपन देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.60	0.01	1.39	2.00	0	2.00
कुल राजस्व दत्तमत्त (2020-21)		246.26	0.14	55.21	301.61	202.87	98.75

स्रोत: विनियोजन लेखे

परिशिष्ट 3.11

(पैराग्राफ 3.6 (एफ) में संदर्भित)

अनुदान संख्या: 06-शिक्षा के तहत संशोधित अप्रयुक्त परिव्यय

(₹ एक करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
2020-21				
राजस्व प्रभारित				
1.	2202.02.109.69- दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा अभिभावक कार्यशालाओं का आयोजन	20.00	1.50	शून्य
2.	2202.02.109.68- ऑनलाइन व्याख्यानो के प्रसारण हेतु स्टूडियो की स्थापना	1.00	1.00	शून्य
3.	2202.02.109.64- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रतिभा प्रोत्साहन (सीडब्ल्यूएसएन)	2.00	2.00	शून्य
4.	2202.80.001.85- दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को सहायता अनुदान	2.00	1.00	शून्य
5.	2202.80.001.82- शिक्षा मंत्री का जनता से जुड़ाव/संवाद	10.00	10.00	शून्य
6.	2202.80.001.74 गणितीय कौशल एवं योग्यता के विकास हेतु विशेष कक्षाओं का संचालन	8.00	1.75	शून्य
7.	2202.80.789.97- लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता	4.00	2.50	शून्य
8.	2204.00.101.79- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
9.	2204.00.101.78- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
10.	2204.00.101.77- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
11.	2204.00.104.53- स्पोर्ट्स एसोसिएशन को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
12.	2204.00.104.46- विद्यार्थियों को खेल किट उपलब्ध कराना	65.00	1.00	शून्य
13.	2204.00.104.44- खेल अवसरचना का रखरखाव	5.00	5.00	शून्य
14.	2203.00.112.41- अनुसंधान अनुदान योजना	10.00	10.00	शून्य
15.	2205.00.102.79 -साहित्य कला परिषद को राजकीय समारोह के आयोजन हेतु सहायता अनुदान	7.00	3.50	शून्य
16.	2202.03.102.87- प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.60	2.00	शून्य
17.	2202.03.102.86- दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय	5.00	1.00	शून्य
18.	2202.03.800.85- छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम	1.50	1.50	शून्य
पूँजीगत दत्तमत्त				
19.	4202.03.800.98- खेल मैदान, खेल परिसर, स्विमिंग पूल आदि का विकास।	24.65	20.00	शून्य
20.	4250.00.201.86- सरकारी आईटीआई को मॉडल आईटीआई (सीएसएस) में बदलना	2.95	1.55	शून्य
21.	4202.04.101.98- दिल्ली कला केंद्र	10.00	1.00	शून्य
22.	4202.01.203.96- इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण	0.00	10.25	शून्य

क्र.सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
23.	4202.01.203.91- खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	20.00	1.00	शून्य
2021-22				
राजस्व दत्तमत्त				
24.	2202.02.109.72- स्कूल स्वास्थ्य योजना और बहुउद्देश्यीय छात्र आई कार्ड जारी करना	22.00	2.00	शून्य
25.	2202.02.109.68- ऑनलाइन व्याख्यानों के प्रसारण हेतु स्टूडियो की स्थापना	1.00	1.00	शून्य
26.	2202.02.109.62-शैक्षिक सम्मेलन का संचालन	50.0	1.00	शून्य
27.	2202.02.109.61- सैनिक स्कूल एवं अकादमी	2.00	1.00	शून्य
28.	2202.02.109.60- वर्चुअल स्कूल	2.00	1.00	शून्य
29.	2202.02.109.56- देश भक्ति पाठ्यक्रम	2.00	1.00	शून्य
30.	2202.02.109.54- ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए डीबीएसई को सहायता अनुदान	0.00	15.00	शून्य
31.	2202.80.001.82- शिक्षा मंत्री का जनता से जुड़ाव/संवाद	10.00	1.00	शून्य
32.	2203.00.112.41- अनुसंधान अनुदान योजना	10.00	5.00	शून्य
33.	2202.03.001.99- छात्रों के लिए नवाचार पहल	1.00	1.00	शून्य
34.	2202.03.102.87- प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.10	2.00	शून्य
35.	2202.03.102.85- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को विशेष अनुदान	20.00	10.00	शून्य
36.	2202.80.004.87- उच्च शिक्षा फेलोशिप	4.00	4.00	शून्य
पूंजीगत दत्तमत्त				
37.	4202.01.202.93- सैनिक स्कूल एवं अकादमी	18.00	0.06	शून्य
38.	4202.03.800.98- खेल के मैदानों और खेल परिसर और स्विमिंग पूल आदि का विकास	24.65	5.00	शून्य
2022-23				
राजस्व दत्तमत्त				
39.	2202.01.113.96- समग्र शिक्षा (टॉप अप) - प्रारंभिक शिक्षा	0.00	145.95	शून्य
40.	2202.01.113.95- समग्र शिक्षा शिक्षक शिक्षा (टॉप अप) - राज्य शेर	0.00	22.10	शून्य
41.	2202.02.101.97- दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान	30.00	7.00	शून्य
42.	2202.02.109.68- ऑनलाइन व्याख्यानों के प्रसारण के लिए स्टूडियो की स्थापना	1.00	1.00	शून्य
43.	2202.02.109.63- दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री परीक्षा शुल्क सहायता योजना	1.00	0.08	शून्य
44.	2202.02.109.62- शैक्षिक सम्मेलनों का संचालन	5.00	1.00	शून्य
45.	2202.02.109.60- वर्चुअल स्कूल	2.00	2.00	शून्य
46.	2202.02.109.56- देश भक्ति पाठ्यक्रम	2.00	2.00	शून्य
47.	2202.02.109.53- स्कूल विशेषीकृत उत्कृष्टता के लिए सहायता अनुदान	100.00	19.00	शून्य
48.	2202.02.109.51-उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रचारात्मक गतिविधियां	30.00	10.00	शून्य
49.	2202.02.109.49- इनक्यूबेशन बिजनेस ब्लास्टर टीमों के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान	0.00	5.00	शून्य

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
50.	2202.02.109.47- देश के मॅटर के लिए डीसीपीसीआर को सहायता अनुदान	0.00	5.00	शून्य
51.	2202.02.113.94- समग्र शिक्षा (टॉप अप) - माध्यमिक शिक्षा	0.00	11.8	शून्य
52.	2203.00.112.44- विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना	4.0	4.0	शून्य
53.	2203.00.112.35- ध्यान और योग के लिए दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को सहायता अनुदान	15.00	3.57	शून्य
54.	2230.03.101.91- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	24.0	21.50	Nil
55.	2230.03.789.95.00 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस) (एससीएसपी)	1.00	3.50	Nil
56.	2202.03.102.82 -भारतीय भाषा में अनुसंधान के लिए डी.बी.आर. आम्बेडकर यूनीवर्सिटी को सहायता अनुदान	2.00	2.00	Nil
57.	2205.00.001.88- डा.बी.आर. अम्बेडकर के प्रेरणात्मक जीवनशैली पर अभियान	10.00	10.00	Nil
58.	2205.00.102.56.97- स्ट्रिट थियेटर और परफार्मिंग आर्ट्स	5.00	5.00	Nil
59.	2205.00.102.48 -गढ़वाली, कुमायूँ, जनुसारी अकादमी को सहायता अनुदान	2.00	1.54	शून्य
60.	2205.00.102.38- मुख्यमंत्री कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन योजना	5.00	1.00	शून्य
61.	2205.00.102.36-भारत का त्योहार	10.00	10.00	शून्य
62.	2202.03.102.87- प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.00	1.00	शून्य
63.	2202.03.102.85- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विशेष अनुदान	10.00	1.00	शून्य
64.	2202.03.102.83- स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान	0.00	1.00	शून्य
65.	2202.03.104.74 - दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान	50.00	1.00	शून्य
पूँजीगत-दत्तमत्त				
66.	4202.01.202.92 -वर्चुअल स्कूल	8.00	8.00	शून्य
67.	4202.01.202.91- विद्यालय विज्ञान संग्रहालय की स्थापना	50.00	3.00	शून्य
68.	4202.01.202.90- बेघर बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल	4.00	1.00	शून्य
69.	4250.00.201.83.98- औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिणाम क्षेत्र-1 के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)	3.10	2.31	शून्य
70.	4202.04.101.96- अवसंरचना विकास	5.00	1.00	शून्य
71.	4202.04.800.85- एसीएल भवन का निर्माण/नवीनीकरण	15.00	10.00	शून्य
72.	4202.01.203.96- इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की भूमि का आवंटन एवं भवन निर्माण	20.00	16.00	शून्य

परिशिष्ट 3.12
(पैराग्राफ 3.6(जी) में संदर्भित)
अनुदान सं. 06-शिक्षा के अंतर्गत व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कुल व्यय		व्यय किया	
				पिछली तिमाही के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय का %	मार्च में आपूर्ति सहित कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय का %
2020-2021							
1	2202.01.113.97.00.31-समग्र शिक्षा (सीएसएस)	200.00	102.07	66.69	65.33	66.69	65.33
2	2202.01.113.98.00.31- समग्र शिक्षा सहायता अनुदान सामान्य (राज्य शेर)	200.00	79.87	53.14	66.53	53.14	66.53
3	2202.01.113.98.00.36 समग्र शिक्षा सहायता अनुदान वेतन(राज्य शेर)	35.00	32.10	28.80	89.72	28.80	89.72
4	2202.02.113.95.00.01- समग्र शिक्षा-शिक्षक शिक्षा	21.00	17.50	17.50	100.00	17.50	100.00
2021-2022							
5	2202.02.101.97.00.31-दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान	30.00	30.00	25.00	83.33	25.00	83.33
6	2202.02.109.53.00.31-विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालय को सहायता अनुदान	38.00	38.00	38.00	100.00	38.00	100.00
7	2202.02.113.95.00.01- समग्र शिक्षा-शिक्षक शिक्षा	45.00	42.80	40.57	94.79	40.57	94.79
8	2202.02.789.94.00.33-छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए सब्सिडी (एससीएसपी)	45.00	37.75	37.75	100.00	29.07	77.00
9	2202.02.800.40.00.33- छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए सब्सिडी	185.00	181.67	151.67	83.49	109.97	60.53
10	2202.03.102.84.00.31-खेल विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	44.25	44.25	34.25	77.40	34.25	77.40
11	2202.80.107.82.00.34-शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण	20.00	18.15	18.15	100.00	18.15	100.00
12	2230.03.101.91.00.31- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस)	26.37	18.99	14.30	75.32	14.30	75.32
13	4202.01.203.91.00.53-खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	15.00	14.91	14.91	100.00	14.91	100.00
14	4202.01.203.96.00.53-इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण	10.25	10.25	10.25	100.00	10.25	100.00

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कुल व्यय		व्यय किया	
				पिछली तिमाही के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय का %	मार्च में आपूर्ति सहित कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय का %
15	4202.01.600.94.00.53-स्कूल भवनों की आउटसोर्सिंग के कार्य	135.00	132.28	124.23	93.92	87.76	66.35
16	4202.02.105.82.00.53-स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं	625.00	558.33	404.36	72.42	381.77	68.38
2022-2023							
17	2202.01.112.84.00.31-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेर)र)	54.38	24.26	24.26	100.00	14.00	57.70
18	2202.01.112.85.00.31-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सीएसएस)	115.05	45.54	45.54	100.00	45.54	100.00
19	2202.01.112.99.00.21-बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (सीएसएस)	138.56	122.32	72.48	59.26	72.48	59.26
20	2202.02.105.95.00.31-एससीईआरटी को सहायता अनुदान	63.50	46.63	28.66	61.46	28.66	61.46
21	2202.02.113.98.00.35-समग्र शिक्षा (राज्य शेर)र)	12.50	12.12	10.12	83.49	10.12	83.49
22	2202.03.001.95.00.31- मेरिट कम मीन्स से जुड़ी वित्तीय सहायता के लिए दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट को सहायता अनुदान	17.00	17.00	17.00	100.00	17.00	100.00
23	2202.80.107.82.00.34-शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण	20.00	19.12	19.12	100.00	19.12	100.00

परिशिष्ट 5.1
(पैराग्राफ 5.3.1 में संदर्भित)
एसपीएसई की सूची

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का क्षेत्र और नाम
सरकारी कंपनियाँ	
वित्त	
1.	दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय विकास निगम लिमिटेड (डीएससीएफडीसी)
अवसंरचना	
2.	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी)
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी)
पावर	
4.	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)
5.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)
6.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल)
7.	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल)
सेवाएं	
8.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीडीसी)
9.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी)
10.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जीडीएल)
परिवहन	
11.	दिल्ली परिवहन और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी)
वैधानिक निगम	
वित्त	
12.	दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी)
परिवहन	
13.	दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	
सेवाएं	
14.	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल- डीएसआईआईडीसी की एसोसिएट कंपनी)
निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	
15.	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (डीसीएडीएल-डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
16.	डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड (डीएलएल- डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
17.	डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड (डीएमएसएल- डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
18.	डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड (डीईएल- डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)

² इन चार कंपनियों का कोई परिचालन नहीं है, हालांकि, वे लेखापरीक्षा के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार कर रहे हैं और भेज रहे हैं।

परिशिष्ट 5.2

(पैराग्राफ 5.4.1 में संदर्भित)

31 मार्च 2023 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पीएसयू का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगम का महीना और वर्ष	वर्ष 2022-23 के अंत में इक्विटी ³				वर्ष ⁴ 2022-23 के अंत में बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (ए)	5 (बी)	5 (सी)	5 (डी)	6 (ए)	6 (बी)	6 (सी)	6 (डी)
ए	विद्युत क्षेत्र										
1	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	पावर	जनवरी 2001	596.54	0.00	140.00	736.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पावर	जनवरी 2001	2074.19	0.00	0.00	2074.19	441.98	0.00	172.03	614.01
3	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	पावर	जुलाई 2001	3691.00	0.00	260.00	3951.00	0.00	0.00	197.05	197.05
4	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	पावर	जुलाई 2001	745.05	0.00	0.00	745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5	डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	मई 2011	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ए			7106.78	0.00	400.01	7506.79	441.98	0.00	369.08	811.06
बी	वित्त क्षेत्र										
6	दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड	एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों का कल्याण	जनवरी-83	38.12	11.88	0.00	50.00	68.24	0.00	0.00	68.24
7	दिल्ली वित्तीय निगम	वित्त	अप्रैल-67	26.48	0.00	0.12	26.60	33.00	0.00	0.00	33.00
	कुल बी			64.60	11.88	0.12	76.60	101.24	0	0	101.24
सी	सेवा क्षेत्र										
8	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	नवंबर-80	6.99	0.00	0.00	6.99	52.14	0.00	0.00	52.14
9	दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	दिसम्बर-75	6.28	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

³ आंकड़े 31 अक्टूबर 2023 तक प्राप्त नवीनतम खातों/जानकारी और 2022-23 के वार्षिक खातों के अनुसार

⁴ ऋणों में वर्तमान देनदारियों के रूप में खातों में दिखाए गए रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों की वर्तमान परिपक्वता शामिल है।

क्र.सं.	पीएसयू का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगम का महीना और वर्ष	वर्ष 2022-23 के अंत में इक्विटी ³				वर्ष ⁴ 2022-23 के अंत में बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (ए)	5 (बी)	5 (सी)	5 (डी)	6 (ए)	6 (बी)	6 (सी)	6 (डी)
10	भू-स्थानिक दिल्ली लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी	मई-08	10.76	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
12	डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.06	0.06
13	डीएसआईआईडीसी मेटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
14	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड	डीएसआईआईडीसी और टीसीआईएल का संयुक्त उद्यम	अप्रैल-87	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल सी			24.03	0.00	1.03	25.06	52.14	0.00	0.06	52.20
डी	अवसंरचना क्षेत्र										
15	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	फरवरी-71	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	शहरी विकास	मई-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल डी			21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ई	परिवहन क्षेत्र										
17	दिल्ली परिवहन और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	परिवहन	अगस्त-10	10.65	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
18	दिल्ली परिवहन निगम	परिवहन	नवम्बर-71	1,983.85	0.00	0.00	1,983.85	11,676.14	0.00	0.00	11,676.14
	कुल ई			1994.50	0.00	0.00	1994.50	11676.14	0.00	0.00	11676.14
	कुल ए + बी + सी + डी + ई			9210.91	11.88	401.16	9623.95	12271.50	0	369.14	12640.64

परिशिष्ट 5.3

(पैराग्राफ 5.5.1, 5.7.1 और 5.7.2 में संदर्भित)

नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसके लिए खाते प्राप्त हुए हैं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एसपीएसई की गतिविधि और नाम	खातों की अवधि	वर्ष जिसमें प्राप्त हुआ	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी ⁵	निवल मूल्य ⁶	संचित लाभ/हानि (मुक्त आरक्षित निवल)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ए	एसपीएसई जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था									
ए 1	पावर									
1	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2020-21	2022-23	218.75	141.77	275.66	736.54	2,302.57	2,302.57	1,566.47
2	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2022-23	1,044.36	652.47	3,038.36	2,074.19	7,695.35	6,845.15	4,771.55
3	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	2021-22	2022-23	969.77	766.22	1,556.94	3,951.00	5,008.20	4,811.13	860.13
4	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	161.67	139.64	0.00	745.05	396.24	63.60	-681.45
	कुल ए1			2,394.55	1,700.1	4,870.96	7,506.78	15,402.36	14,022.45	6,516.7
ए2	अन्य									
5	दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2023-24	-9.96	-10.58	0.65	45.20	104.61	28.07	-17.13
6	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	-3.65	-4.36	705.27	6.99	59.55	57.41	50.41
7	दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	164.30	144.68	789.65	21.00	1197.04	1197.04	1176.04
8	दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	-0.37	-0.81	845.68	6.28	208.68	208.68	202.40
9	दिल्ली परिवहन और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	27.82	20.79	77.76	10.65	195.19	195.19	184.54
10	दिल्ली वित्तीय निगम	2022-23	2023-24	-12.94	-17.14	3.61	26.60	20.29	-12.71	-39.31

⁵ प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक ऋण और संचित लाभ/हानि (-) आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग नियोजित पूंजी है। नियोजित पूंजी तक पहुंचने के लिए आईपीजीसीएल से संबंधित ₹ 0.44 करोड़ और पीपीसीएल से संबंधित में ₹ 0.59 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को घटाया गया।

⁶ निवल मूल्य चुकता पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि और अधिशेष में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर कुल योग है। निवल मूल्य के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए आईपीजीसीएल के संबंध में ₹ 0.44 करोड़ और पीपीसीएल के संबंध में ₹ 0.59 करोड़ का राजस्व व्यय काटा गया।

क्र.सं.	एसपीएसई की गतिविधि और नाम	खातों की अवधि	वर्ष जिसमें प्राप्त हुआ	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी ⁵	निवल मूल्य ⁶	संचित लाभ/हानि (मुक्त आरक्षित निवल)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	दिल्ली परिवहन निगम	2021-22	2022-23	-108.33	-8,498.35	558.78	1,983.85	-47,081.04	-58,757.18	-60,741.03
12	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	2021-22	2022-23	3.42	2.53	5.74	10.76	31.12	31.12	20.36
13	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	2020-21	2021-22	0	0	0	0	0	0	0
	कुल ए2			60.29	-8,363.24	2987.14	2,111.33	-45,264.56	-57,052.38	-59,163.72
	कुल ए (ए1+ए2)			2,454.84	-6,663.14	7,858.1	9,618.11	-29,862.2	-43,029.9	-5,264.7
बी	एसपीएसई जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश नहीं किया था									
बी 1	पावर									
14	डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.01	0.22	0.22	0.21
	कुल बी1			0.00	0.00	0.00	0.01	0.22	0.22	0.21
बी2	अन्य									
15	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.06	-0.06	-0.07
16	डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड	2022-23	2023-24	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.06	-0.07
17	डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.09	-0.09	-0.10
18	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड	2021-22	2022-23	8.21	5.55	165.92	1.00	41.26	41.26	40.26
	कुल बी2			8.21	5.55	165.92	1.03	41.11	41.05	40.02
	कुल बी (बी1+बी2)			8.21	5.55	165.92	1.04	41.33	41.27	40.23
	कुल योग (ए+बी)			2,463.05	-6,657.59	8,024.02	9,619.15	-29,820.9	-42,988.7	-52,606.8

परिशिष्ट 5.4

(पैराग्राफ 5.13.1 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	डीएसआईआईडीसी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने डीआईडीओएम फंड पर अर्जित ₹ 47.16 करोड़ के ब्याज को डीआईडीओएम फंड के हिस्से के रूप में दिखाने के बजाय अपनी आय के रूप में लिया है इसके परिणामस्वरूप अन्य आय को अधिक बताया गया और डीआईडीओएम फंड को प्रत्येक में ₹ 47.16 करोड़ कम दिखाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष का लाभ ₹ 47.16 करोड़ अधिक बताया गया। औद्योगिक श्रमिक आवास परिसरों के संबंध में वर्ष 2011-12 से 2021-22 के लिए भुगतान की गई ₹ 0.53 करोड़ के संपत्ति कर को गलत तरीके से कार्य-प्रगति के रूप में दर्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य खर्चों को कम बताया गया और इन्वेंटरी - डब्ल्यूआईपी हाउसिंग को प्रत्येक में ₹ 0.53 करोड़ से अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष का लाभ भी उसी राशि से अधिक बताया गया।
2	डीएससीएफडीसी (2016-17)	<ul style="list-style-type: none"> गलत लेखांकन के मामलों में अग्रिम के रूप में ₹ 0.51 करोड़ के व्यय की बुकिंग और पीडब्ल्यूडी को ₹ 0.27 करोड़ के अग्रिम में से ₹ 0.18 करोड़ के व्यय की गैर-बुकिंग और विभिन्न, विद्युत प्रतिष्ठानों और यांत्रिक उपकरण की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव के लिए मार्च 2016 तक व्यय के रूप में 2009-16 की अवधि के लिए पीडब्ल्यूडी को देय ₹ 1.25 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप व्यय में ₹ 0.18 करोड़ (2016-17) की कमी तथा, पूर्व अवधि के व्यय में ₹ 1.25 करोड़ (2009-10 से 2015-16) की कमी आई। वर्तमान देनदारियों को ₹ 1.25 करोड़, अग्रिम को ₹ 0.78 करोड़ (₹ 0.51 करोड़ + ₹ 0.27 करोड़) अधिक बताया गया और परिणामस्वरूप हानि को ₹ 1.43 करोड़ (₹ 1.25 करोड़ + ₹ 0.18 करोड़) कम बताया गया।
3	डीएससीएफडीसी (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> अन्य खर्चों में 2009-17 की अवधि के लिए विभिन्न विद्युत प्रतिष्ठानों और यांत्रिक उपकरणों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (एआरएमओ) के लिए पीडब्ल्यूडी को देय ₹ 1.43 करोड़ और वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 0.26 करोड़ (पीडब्ल्यूडी द्वारा सूचित) का व्यय शामिल नहीं है, जो चालू वर्ष के व्यय के रूप में दर्ज किया जाना था। कंपनी ने 2017 तक पीडब्ल्यूडी को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान किया था, हालाँकि, इसे पीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में बुक किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय में ₹ 0.26 करोड़ (2017-18) की कमी बताई गई, पूर्व अवधि के खर्चों में ₹ 1.43 करोड़ (2009-10 से 2016-17) की कमी बताई गई, वर्तमान देनदारियों में ₹ 1.69 करोड़ (₹ 1.43 करोड़ + ₹ 0.26 करोड़) की कमी बताई गई और ₹ 1.69 करोड़ की हानि हुई।
4	आईपीजीसीएल (2020-21)	<ul style="list-style-type: none"> 2004-2005 से 2020-2021 की अवधि के लिए एसडीएमसी को देय संपत्ति कर की राशि ₹ 14.89 करोड़ को शामिल न करने के परिणामस्वरूप, वर्तमान देनदारियों और अन्य खर्चों में से प्रत्येक में ₹ 14.89 करोड़ की कमी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उसी सीमा तक लाभ अधिक बताया गया है।
5	पीपीसीएल (2020-21)	<ul style="list-style-type: none"> दक्षिण दिल्ली नगर निगम को देय ₹ 4.70 करोड़ की राशि के संपत्ति कर को शामिल न करने के परिणामस्वरूप, अन्य वर्तमान देनदारियों और अन्य खर्चों को ₹ 4.70 करोड़ कम बताया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक को उसी सीमा तक लाभ में अधिक बताया गया है।
6	डीटीआईडीसी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने 31.03.2022 तक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को पीडब्ल्यूडी पार्किंग जमा से प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज के कारण देय ₹ 22.67 करोड़ की अवैतनिक राशि पर ₹ 7.83 करोड़ के ब्याज का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक में आय को अधिक बताया गया और अन्य वित्तीय देनदारियों को ₹ 7.83 करोड़ कम बताया गया। अतः लाभ भी ₹ 7.83 करोड़ से अधिक बताया गया। कंपनी ने 24.05.2014 से 31.03.2022 तक 'स्टडीज़ एंड एडवाइजरी कंसल्टेंसी' की ₹ 1.27 करोड़ की शेष ब्याज राशि पर ₹ 0.70 करोड़ की ब्याज देनदारी का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देनदारियों के साथ-साथ व्यय को भी ₹ 0.70 करोड़ कम बताया गया। अतः लाभ भी ₹ 0.70 करोड़ से अधिक बताया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
		<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी को परिवहन विभाग (प.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. के माध्यम से कंपनी के गठन के समय (अगस्त 2010) उच्च क्षमता बस प्रणाली (एचसीबीएस) ₹ 17.48 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी जबकि इसे (मई 2018) प.वि. को वापस कर दिया गया था लेकिन खातों में ₹ 14.47 करोड़ की ब्याज देनदारी का प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देनदारियों को कम और आय को ₹ 14.47 करोड़ से अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, लाभ भी ₹ 14.47 करोड़ से अधिक बताया गया। • दिल्ली के लिए आउटडोर विज्ञापन नीति के खंड संख्या 4.1 के अनुसार, 50 प्रतिशत राजस्व दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ साझा किया जाना है। हालांकि, कंपनी ने सभी रियायतग्राहियों के मामले में एमसीडी शेयर के लिए केवल 25 प्रतिशत देयता/खर्च प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वर्तमान देयताएं' और 'अन्य व्यय (एमसीडी शेयर)' को ₹ 4.91 करोड़ कम बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'लाभ' को भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

परिशिष्ट 5.5

(पैराग्राफ 5.13.1 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	डीएससीएससी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी संपूर्ण मौजूदा सड़कों के नवीनीकरण और आईएफसीडी द्वारा निर्मित सिरसपुर गोदाम में कॉम्प्लेक्स ही हार्वेस्टिंग प्रणाली से संबंधित ₹ 1.93 करोड़ का सिविल कार्य निष्पादित करती है जिसका 80 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था और 21.05.2020 से उपयोग में लाया गया था। इसे 21.05.2020 से उपयोग में लाया जा रहा है। इसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (भवन) के बजाय प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को अधिक बताया गया और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (भवन) को ₹ 1.93 करोड़ से कम बताया गया।
2	डीटीटीडीसी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> पिछले आठ वर्षों में दिल्ली हाट, जनकपुरी में लिफ्टों और एस्केलेटर्स की स्थापना और कमीशनिंग के लिए ₹ 1.43 करोड़ का उपयोग करने और पूंजी लगाने में विफल रही क्योंकि लिफ्ट शाफ्ट में पानी के रिसाव की समस्या के कारण कोई और काम नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य-प्रगति को अधिक बताया गया और अप्रयुक्त सीडब्ल्यूआईपी पर घाटे के प्रावधान को ₹ 1.43 करोड़ कम बताया गया।
3	डीटीआईडीसी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने डीआईएमटीएस को दिए गए ₹ 14.34 करोड़ के पूंजीगत अग्रिम के प्रति ₹ 5.59 करोड़ की राशि के रनिंग अकाउंट बिल (फंड के उपयोग) का हिसाब नहीं दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को कम दिखाया गया और प्रत्येक पूंजीगत अग्रिम को ₹ 5.59 करोड़ से अधिक बताया गया। . केनरा बैंक और यूको बैंक में एफडीआर पर अर्जित ब्याज क्रमशः ₹ 0.91 करोड़ और ₹ 0.39 करोड़ को एफडीआर पर अर्जित ब्याज के रूप में दिखाने के बजाय एफडीआर की मूल राशि (तीन महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ) के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जमाराशियों (तीन महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ) को अधिक बताया गया और प्रत्येक जमाराशियों (तीन महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ) पर अर्जित ब्याज को ₹ 1.30 करोड़ से कम बताया गया।
4	डीएसआईआईडीसी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने नरेला फेस -I एवं II में ₹ 0.06 करोड़ के निक्षेप कार्य को अपनी ही निधि से निष्पादित कार्य के रूप में दर्ज किया और अपनी ही निधि से निष्पादित ₹ 1.51 करोड़ के बिटुमिनस, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और बाउंड्री ड्रेन आदि की मरम्मत और रखरखाव कार्य को सीआईएसएफ के निक्षेप कार्य के रूप में दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों - सूची-कार्य-प्रगति (आवास) और अन्य वित्तीय देनदारियों (जमा कार्यों के विरुद्ध अग्रिम-सीआईएसएफ) में से प्रत्येक को ₹ 1.45 करोड़ (₹ 1.51 करोड़ - ₹ 0.06 करोड़) कम बताया गया। पूर्वा संस्कृति केंद्र के रखरखाव पर हुआ 1.64 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च (पीएसके) को जमा कार्य के रूप में पीएसके से वसूली योग्य के रूप में बुक करने के बजाय जमा कार्य के विरुद्ध अग्रिम के रूप में गलत तरीके से समायोजित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देयताएं (जमा कार्य के विरुद्ध अग्रिम) और वर्तमान संपत्ति (प्राप्तियां) प्रत्येक में ₹ 1.64 करोड़ कम बताई गईं।
5	डीएससीएफडीसी (2016-17)	<ul style="list-style-type: none"> भवनों के स्थान पर प्लांट और मशीनरी में 1.09 करोड़ की राशि के वर्क शेडों को शामिल करने के परिणामस्वरूप प्लांट और मशीनरी का मूल्य अधिक बताया गया और भवनों का मूल्य ₹ 1.09 करोड़ कम बताया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
		<ul style="list-style-type: none"> कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में ₹ 2.69 करोड़ की ऋण राशि/बकाया माफ करने को मंजूरी दे दी। हालांकि, लेखा पुस्तकों में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऋण और अग्रिम राशि को अधिक बताया गया और प्रावधान को ₹ 2.69 करोड़ कम बताया गया। परिणामस्वरूप, रिजर्व और अधिशेष को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया। लाभार्थियों से ₹ 5.04 करोड़ की बकाया ऋण राशि के विरुद्ध प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप ऋण और अग्रिम राशि को अधिक बताया गया और प्रावधान को ₹ 5.04 करोड़ से कम बताया गया। परिणामस्वरूप, रिजर्व और अधिशेष को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया।
6	डीएससीएफडीसी (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में ₹ 2.69 करोड़ की ऋण राशि/बकाया माफ करने को मंजूरी दे दी। हालांकि, लेखा पुस्तकों में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऋण और अग्रिम राशि को अधिक बताया गया और प्रावधान को ₹ 2.69 करोड़ कम बताया गया। अतः आरक्षित और अधिशेष को भी उसी हद तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। लाभार्थियों से ₹ 4.94 करोड़ की बकाया ऋण राशि के विरुद्ध प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप ऋण और अग्रिम राशि को अधिक बताया गया और प्रावधान को ₹ 5.04 करोड़ से कम बताया गया। अतः आरक्षित और अधिशेष को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया। 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली ₹ 4.75 करोड़ की पांच सावधि जमा (एफडी) को नकद और बैंक शेष के तहत नकद और नकद समकक्षों के बजाय 'अन्य बैंक शेष' के तहत गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत दिखाया जाना चाहिए था। इसके अलावा, इन पांच एफडीएस पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 5.35 लाख का भी खातों में हिसाब नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों (नकद और बैंक शेष) को अधिक बताया गया और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों (अन्य बैंक शेष) को प्रत्येक में ₹ 4.80 करोड़ से कम बताया गया।

परिशिष्ट 5.6

(पैराग्राफ 5.13.2 में संदर्भित)

वैधानिक निगमों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

दिल्ली परिवहन निगम (2021-22)

- 1997-98 से 2010-11 की अवधि से संबंधित ₹ 1.38 करोड़ की पुरानी बकाया देयताएं जो बिना किसी समायोजन के निगम के खातों में लगातार दिखाई दे रही थीं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ वापस नहीं लिखा गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं अधिक बताई गईं और आय ₹ 1.38 करोड़ कम बताई गई। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी ₹ 1.38 करोड़ से अधिक बताई गई।
- सुभाष प्लेस डिपो में ₹ 0.77 करोड़ की राशि का पूंजीगत कार्य का काम 31 जनवरी 2022 को पूरा हो गया, लेकिन पूंजीकृत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को अधिक बताया गया और अचल संपत्ति को ₹ 0.77 करोड़ से कम बताया गया।
- दिवाला कार्यवाही और समाधान योजना में दावों पर विचार न करने के मद्देनजर मेसर्स ट्राइमैक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में संदिग्ध प्राप्तियों के लिए गैर-प्रावधान, जिसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों और अन्य प्राप्तियों को अधिक बताया गया और निवल हानि ₹ 29.10 करोड़ कम बताया गया।

मेसर्स ग्रीन दिल्ली बीक्यूएस लिमिटेड बनाम डीटीसी के मामले में निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जमा किए गए ₹ 16.51 करोड़ की राशि, अग्रिम और जमा के रूप में बुक करने के बजाय डीटीआईडीसीएल से वसूली योग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप अग्रिमों और जमाओं {{अग्रिम सीईडी (बिल)}} को अधिक बताया गया और विविध देनदारों और अन्य प्राप्तियों को प्रत्येक में ₹ 16.51 करोड़ से कम बताया गया।

पारिभाषिक शब्दावली

पारिभाषिक शब्दावली

1. एक वर्ष का 'लेखा' अथवा 'वास्तविक आंकड़े' - 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की राशि होती है, जैसा कि लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में अंतिम रूप से दर्ज किया गया है (जैसा कि नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखा का तात्पर्य अनअंकेक्षित लेखा से है।
2. किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य का 'प्रशासनिक अनुमोदन' - व्यय करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी औपचारिक स्वीकृति है। बजट में निधियों के प्रावधान के अंतर्गत यह उस विशेष वर्ष के दौरान, जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया जाता है, प्रचालन हेतु वित्तीय मंजूरी के रूप में कार्य करता है।
3. 'वार्षिक वित्तीय विवरण' - इसे बजट के रूप में भी देखा जाता है जिसका मतलब है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ एवं व्यय का विवरण।
4. 'विनियोजन' - इसका तात्पर्य विनियोजन के विविध मूल इकाई अथवा उसके किसी भाग के अंतर्गत व्यय के लिए संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत राशि को किसी संवितरण अधिकारी के समक्ष निपटान हेतु रखी गई राशि से है।
5. 'प्रभारित व्यय' - इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमण्डल के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
6. भारत/राज्य की समेकित निधि - संघ/राज्य सरकार के समस्त राजस्व, उसके द्वारा लिए गए ऋण तथा भारत/राज्य की समेकित निधि से ऋणों के पुनः भुगतान से प्राप्त समस्त राशि से है। इस निधि में से कोई भी धनराशि कानून के अनुसार और संविधान में निहित तरीकों और किसी उद्देश्य के अलावा विनियोजित नहीं की जा सकती है।
7. 'आकस्मिक निधि' अग्रदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य कार्यपालिका/सरकार को किसी वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए संसद/राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत किए जाने तक अग्रिम राशि प्रदान करना है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के जरिए अनुमोदित करने के बाद की जाती है।

8. 'नियंत्रक अधिकारी (बजट)' - इसका तात्पर्य एक ऐसे अधिकारी से है जिसे विभाग द्वारा किए गए व्यय और/अथवा राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे पद में विभाग के प्रमुख और प्रशासक भी शामिल हैं।
9. 'आहरण और संवितरण अधिकारी' (डीडीओ) - इसका तात्पर्य कार्यालय के प्रमुख और राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किसी ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार की ओर से बिल का आहरण और भुगतान करता हो। इस पद में विभाग के प्रमुख भी शामिल होंगे जहां वे स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करते हैं।
10. 'अतिरिक्त अनुदान' - अतिरिक्त अनुदान का मतलब है मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से स्वीकृत प्रावधान से अधिक व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अंतर्गत संसद/राज्य विधानमण्डल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण करने की आवश्यकता है।
11. 'नई सेवा' - जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115/1(क)/205/(1)(क) में उल्लेख किया गया है, नई सेवा का अर्थ है एक नई नीति निर्णय के अंतर्गत होने वाला व्यय जिसे पहले संसद/राज्य विधानमण्डल के ध्यान में नहीं लाया गया जिसमें एक नई गतिविधि या निवेश का एक नया रूप शामिल है।
12. 'सेवा का नया साधन' - का अर्थ है किसी मौजूदा गतिविधि के महत्त्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाला अपेक्षाकृत अधिक व्यय।
13. 'लोक लेखा' - का अभिप्राय संविधान के अनुच्छेद 266/(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण इत्यादि जैसे प्राप्तियाँ और संवितरण जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं है, को लोक लेखा में शामिल किया जाता है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमण्डल के मत के अधीन नहीं होता है क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किया गया धन नहीं है।
14. 'पुनर्विनियोजन' - का अर्थ है किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत किसी अन्य इकाई से अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए विनियोजन के एक इकाई में बचत का स्थानांतरण करना।
15. 'संशोधित मूल्य का अनुमान' - वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान है जिसे पहले से ही जारी आदेशों के अंतर्गत वर्ष

में पहले से ही दर्ज किए गए लेन-देन और शेष के लिए अनुमान के संदर्भ में उस वर्ष तैयार किया गया है।

16. 'अनुदान की अनुपूरक मांगों' - का अर्थ है उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में और आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि का उल्लेख करना जिसे विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी या वास्तविक/नकद हो सकती है।

(क) **पूरक नगद** मूल बजट प्रावधानों से अधिक होता है तथा इसके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आवंटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में और उचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रत्येक मांग में चार खण्ड होते हैं, अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत, पूंजीगत प्रभारित। **तकनीकी पूरक**, राज्य विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, किसी एक अनुभाग की बचत को किसी अन्य अनुभाग के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

(ग) **टोकन पूरक** अनुदान के एक ही अनुमान के भीतर बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।

17. 'मुख्य शीर्ष' - का अर्थ राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को रिकॉर्ड करने तथा वर्गीकृत करने के उद्देश्य से एक मुख्य लेखा शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के 'कार्य' के अनुरूप होता है।

18. 'उप-मुख्य शीर्ष' - का अर्थ है एक मुख्य शीर्ष तथा इसके तहत लघु शीर्षों के बीच प्रस्तुत किए गए मध्यवर्ती लेखा शीर्ष, जब लघु शीर्ष असंख्य होते हैं तो ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के अंतर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किए जा सकते हैं।

19. 'लघु शीर्ष' - का अर्थ है मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष का अधीनस्थ शीर्ष। मुख्य शीर्ष का एक लघु अधीनस्थ मुख्य शीर्ष द्वारा प्रतिनिधित्व कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शुरू किए गए 'कार्यक्रम' को चिह्नित करता है।

20. 'उप-शीर्ष' - का अर्थ है एक लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई जो समान्यतः लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अंतर्गत योजना या संगठन को दर्शाती है।
21. 'प्रमुख कार्य' - का अर्थ है एक मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक हो।
22. 'लघु कार्य' - का अर्थ है एक मूल कार्य, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय प्रभारों को छोड़कर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होता है।
23. 'संशोधित अनुदान या विनियोजन' - का अर्थ है विनियोजन के किसी उप-शीर्ष को आवंटित राशि, जैसा कि यह पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद हो।
24. 'पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन' - का अर्थ एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोजन अधिनियम में शामिल प्रावधान है, जो उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हो।
25. 'नए व्यय की अनुसूची' - का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल करने हेतु प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण।
26. 'टोकन मांग' - का अर्थ है एक मामूली या सांकेतिक राशि के लिए विधानमंडल में की गई मांग। उदाहरण के लिए, नई सेवा पर संपूर्ण व्यय स्वीकृत बजट अनुदान की बचत से पूरा करने का प्रस्ताव।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag/new-delhi/hi>